

**पूर्वोत्तर रेलवे****लखनऊ मंडल**

स्टेशन संचालन नियमावली सं०-एल०जे०एन०/200

स्टेशन संचालन नियम जारी होने की तिथि: 05.04.23

स्टेशन संचालन नियम लागू होने की तिथि: 08.04.23

**खलीलाबाद के स्टेशन संचालन नियम****बी०जी०**

टिप्पणी: i) दिनांक 08.04.23 से लागू स्टेशन संचालन नियम सं०/200 में शुद्धि पर्ची सं० 1 को समाहित किया जायेगा।

ii) इस स्टेशन संचालन नियम की एक प्रति स्टेशन मास्टर के कार्यालय में संदर्भ के लिए सदैव उपलब्ध रहेगी तथा इनका अध्ययन पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ किया जायेगा यह स्टेशन संचालन नियम किसी भी रूप में साधारण एवं सहायक नियमों का किसी भी स्थिति में अतिक्रमण नहीं करते हैं।

**1. स्टेशन संचालन नियमारेख :**

मुसिदूँ/नि./गोरखपुर/पू.उ.रेलवे के सिगनल अन्तर्पाशन योजना संख्या एनईआर/एल.जे.एन./के.एल.डी./एस.आई.पी./2006/वी.ई.आर.-जीरो संशोधन 'ए' पर आधारित नियमारेख सं०: वमंसिदूँ/ल.जं./2023(आर.डी.)/20 दि. 10.04.23 एवं खलीलाबाद-मगहर आई.बी.एस. के एस.आई.पी. सं० एन.ई.आर/एल.जे.एन/आईबीएस/एसआईपी/केएलडी-एमएचएच/2016/वी०ई०आर०-जीरो संशोधन 'बी' पर आधारित नियमारेख सं०: वमंसिदूँ/ल०जं०/2017(आर०डी०) /07 दि० 13.02.17 मय संशोधन 'ए' दिनांक 10.04.23 व कर्षण आरेख सं० RE/GKP/EL/BGC/TSWR/KLD/Gr-142/MOD-1 दिनांक 17.10.16 संलग्न है, जिसमें इस स्टेशन के कांटों, सिगनलों और लाइनों की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है, दुर्घटना आदि की रिपोर्ट करते समय व संदर्भ के सभी मामलों में इसका उल्लेख करे तथा इसमें दिये कांटों, सिगनलों व लाइनों के नम्बर अवश्य अंकित करें।

**2. स्टेशन का विवरण :****2.1 सामान्य स्थिति :**

खलीलाबाद स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे के गोण्डा-गोरखपुर विद्युतीकृत मार्ग पर दोहरी लाइन का "बी" श्रेणी का स्टेशन है। यह स्टेशन मानक-III अन्तर्पाशित, बहुसंकेतीय रंगीन बत्ती वाले सिगनलों सहित डोमिनो टाइप पैनल से सुसज्जित है। यह गोरखपुर जं० स्टेशन से 34.37 कि०मी० तथा गोण्डा जं० से 118.73 कि०मी० की दूरी पर स्थित है।

**2.2 ब्लाक स्टेशन, किसी भी ओर आई.बी.एस., आई.बी.एस. तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगें :****2.2.1 ब्लाक स्टेशन:**

खलीलाबाद स्टेशन चुरेब स्टेशन के पूर्व में 07.87 कि०मी० की दूरी पर एवं मगहर स्टेशन के पश्चिम में 08.62 कि०मी० की दूरी पर स्थित

**2.2.2 आई.बी.एस.:**

खलीलाबाद-मगहर ब्लाक सेक्शन के मध्य अप एवं डाउन लाइन पर इण्टरमीडिएट ब्लाक सिगनलिंग (आई.बी.एस.) का प्रावधान है। खलीलाबाद-मगहर डाउन लाइन पर इण्टरमीडिएट ब्लाक सिगनल (आई.बी.एस.) खलीलाबाद स्टेशन से 04.40 कि०मी० की दूरी पर स्थित है।

कमश: पृष्ठ 2 पर

**2.2.2 नान ब्लाक स्टेशन :**क. अप साइड :

कोई नहीं

ख. डाउन साइड:

कोई नहीं

**2.3 विभिन्न दिशाओं में स्टेशन के किसी भी ओर ब्लाक खंड सीमा :**

| स्टेशनों के बीच         | वह स्थान जहां से "ब्लाक खंड" शुरू होता है ।                                                                             | वह स्थान जहां "ब्लाक खंड " समाप्त होता है ।                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>खलीलाबाद – चुरेब</b> |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |
| अप लाइन                 | इस स्टेशन के अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 से ।                                                                     | चुरेब स्टेशन के अप होम सिगनल के आगे पर्याप्त दूरी तक ।                                                                                  |
| डाउन लाइन               | इस स्टेशन के डाउन होम सिगनल सं० एस-1 के आगे बी०एस०एल०बी० से ।                                                           | चुरेब स्टेशन के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक ।                                                                                         |
| <b>खलीलाबाद – मगहर</b>  |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |
| अप लाइन                 | i) मगहर स्टेशन के अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 से ।<br>ii) मगहर स्टेशन के अप IBS सिगनल सं० एस-14 से ।              | i) मगहर स्टेशन के अप IBS सिगनल सं० एस-14 से 400 मी० आगे तक ।<br>ii) खलीलाबाद स्टेशन के अप होम सिगनल सं० एस-12 के आगे कॉटा सं० 208ए तक । |
| डाउन लाइन               | i) खलीलाबाद स्टेशन के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-11 से ।<br>ii) खलीलाबाद स्टेशन के डाउन IBS सिगनल सं० एस-13 से । | i) खलीलाबाद स्टेशन के डाउन IBS सिगनल सं० एस-13 से 400 मी० आगे तक ।<br>ii) मगहर स्टेशन के डाउन होम सिगनल के आगे पर्याप्त दूरी तक ।       |

**नोट:-** खलीलाबाद स्टेशन के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-11 से डाउन IBS सिगनल सं० एस-13 के 400 मी० (ट्रैक सर्किटेड) आगे तक का सेक्शन एक्सल काउन्टरों द्वारा नियन्त्रित है, सामान्य रूप से यह खलीलाबाद स्टेशन के नियन्त्रण में रहता है।

(विस्तृत विवरण हेतु स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "एफ" देखें।)

**2.4 ढलान, यदि कोई हो :**

इस स्टेशन की मध्य रेखा से चुरेब छोर की ओर समतल एवं मगहर छोर की समतल व 2564 में 1 की ढाल व समतल तथा 1342 में 1 की ढाल का ग्रेडिएण्ट है।

**2.5 ले आउट :**

इस स्टेशन का ले आउट पाँच लाइनों का है, जिसमें लाइन सं० 1, 2, 3, 4 एवं 5 ट्रैक सर्किटेड रनिंग लाइनें हैं ।

**2.5.1 (क) चालू लाइने, संचालन की दिशा और सी.एस.आर. में वाहन क्षमता :**

| लाइन संख्या | क्लीयर स्टैंडिंग रूम (मीटर में) (सी०एस०आर०) | वाहन क्षमता (कोच) |     | अभ्युक्तियाँ                                                    | विद्युतीकृत अथवा अविद्युतीकृत |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|             |                                             | ICF               | LHB |                                                                 |                               |
| 1           | 746.70 मी०                                  | 33                | 31  | अप लूप लाइन उच्चतल यात्री प्लेटफार्म सुविधा युक्त है ।          | विद्युतीकृत                   |
| 2           | 746.70 मी०                                  | 33                | 31  | अप मेन लाइन है ।                                                |                               |
| 3           | 696.00 मी०                                  | 31                | 29  | डाउन मेन लाइन उच्चतल डबल फेस यात्री प्लेटफार्म सुविधायुक्त है । |                               |

कमश: पृष्ठ 3 पर

|   |            |    |    |                                                                 |             |
|---|------------|----|----|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 4 | 696.00 मी० | 31 | 29 | डाउन लूप लाइन उच्चतल डबल फेस यात्री प्लेटफार्म सुविधा युक्त है। | विद्युतीकृत |
| 5 | 696.00 मी० | —  | —  | कामन गुडस लाइन रेलतल रैक हैण्डलिंग प्लेटफार्म सुविधायुक्त है।   |             |

(ख) रनिंग लाइन सं० 2 अप मेन लाइन एवं रनिंग लाइन सं. 3 डाउन मेन लाइन है।

2.5.2 गैर चालू लाइनों और सी०एस०आर० में उनकी क्षमता :—

| लाइन संख्या | क्लीयर स्टैंडिंग रूम (मीटर में) (सी०एस०आर०) | वाहन क्षमता (कोच) | अभ्युक्तियों | विद्युतीकृत अथवा अविद्युतीकृत |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|
| कोई नहीं    |                                             |                   |              |                               |

2.5.3 ले आउट की कोई मुख्य विशेषता : — — कोई नहीं —

2.6 समपार :

2.6.1 स्टेशन सीमा के भीतर स्थित समपार फाटकों की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण निम्न है :

| फाटक सं०    | श्रेणी  | स्थिति                                                                                       | सामान्य स्थिति             | परिचालन के लिए उत्तरदायी कर्मचारी | अन्तर्पाशित है या नहीं | संचार साधन                                         | क्या गाड़ी चालित चेतावनी प्रणाली (टी.ए.डब्लू.डी.) उपलब्ध है |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 179 ट्राफिक | “विशेष” | कॉटा सं० 205बी तथा कॉटा सं० 206ए के मध्य कि०मी० 538/5-6 पर स्थित।                            | सड़क यातायात के लिये खुला। | कार्यरत फाटक वाला                 | है                     | स्टेशन मास्टर कार्यालय से टेलीफोन द्वारा जुड़ा है। | नहीं                                                        |
| 180 ट्राफिक | “विशेष” | कॉटा सं० 202बी तथा अप प्रस्थान सिगनलो के मध्य कि०मी० 539/4-5 पर स्थित।                       | सड़क यातायात के लिये खुला। | कार्यरत फाटक वाला                 | है                     | स्टेशन मास्टर कार्यालय से टेलीफोन द्वारा जुड़ा है। | नहीं                                                        |
| 181 इन्जी०  | “बी-2”  | डाउन डिस्टेन्ट/ गेट सिगनल सं० 2एल तथा अप गेट सिगनल सं० 2 आर के मध्य कि०मी० 540/8-9 पर स्थित। | सड़क यातायात के लिये खुला। | कार्यरत फाटक वाला                 | हैं                    | स्टेशन मास्टर कार्यालय से टेलीफोन द्वारा जुड़ा है। | नहीं                                                        |

कमश: पृष्ठ 4 पर

2.6.2 स्टेशन सीमा के बाहर स्थित इस स्टेशन से टेलीफोन द्वारा जुड़े समपार फाटकों की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण निम्न है :

| फाटक सं0   | श्रेणी | स्थिति                                                         | सामान्य स्थिति             | परिचालन के लिए उत्तरदायी कर्मचारी | अन्त-पंशित है या नहीं | संचार साधन                                         | क्या गाड़ी चालित चेतावनी प्रणाली (टी.ए.डब्ल्यू.डी.) उपलब्ध है |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 176 इन्जी0 | 'सी'   | खलीलाबाद तथा मगहर स्टेशनो के मध्य कि0मी0 535/2-3 पर स्थित है।  | सड़क यातायात के लिये खुला। | कार्यरत फाटक वाला                 | हैं                   | स्टेशन मास्टर कार्यालय से टेलीफोन द्वारा जुड़ा है। | नहीं                                                          |
| 177 इन्जी0 | 'बी-1' | खलीलाबाद तथा मगहर स्टेशनो के मध्य कि0मी0 536/3-4 पर स्थित है।  | सड़क यातायात के लिये खुला। | कार्यरत फाटक वाला                 | हैं                   | स्टेशन मास्टर कार्यालय से टेलीफोन द्वारा जुड़ा है। | नहीं                                                          |
| 182 इन्जी0 | 'बी-2' | खलीलाबाद तथा चुरेब स्टेशनो के मध्य कि0मी0 542/3-4 पर स्थित है। | सड़क यातायात के लिये खुला। | कार्यरत फाटक वाला                 | हैं                   | स्टेशन मास्टर कार्यालय से टेलीफोन द्वारा जुड़ा है। | नहीं                                                          |

टिप्पणी: समपार फाटक के संचालन की पद्धति हेतु स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "ए" भाग- 1, 2, 3, 4, 5 व 6 देखें।

### 3 संचालन की प्रणाली और साधन :

अगल-बगल के स्टेशनों के मध्य "पूर्ण ब्लाक पद्धति" लागू है। इस स्टेशन पर लगाये गये ब्लाक उपकरणों का प्रकार निम्नवत् है :

| लगे ब्लाक उपकरणों के प्रकार                                                                                                                                  | सहकारी/असहकारी | परिचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी | चाभी जिसके पास रखी जाती है | टिप्पणी                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| इस स्टेशन और स्टेशन मास्टर चुरेब के कार्यालय में स्थापित समान प्रकार के टेलीफोन युक्त दोहरी लाइन लाक एवं ब्लाक यंत्र एवं ड्यूल एस.एस.डी.ए.सी. से सम्बद्ध है। | असहकारी        | कार्यरत स्टेशन मास्टर              | कार्यरत स्टेशन मास्टर      | —                                                                                                       |
| इस स्टेशन और स्टेशन मास्टर मगहर के कार्यालय में स्थापित समान प्रकार के टेलीफोन युक्त दोहरी लाइन लाक एवं ब्लाक यंत्र के साथ (HASSDAC) से सम्बद्ध है।          | असहकारी        | कार्यरत स्टेशन मास्टर              | कार्यरत स्टेशन मास्टर      | एक्सल काउन्टर ब्लाक यंत्र के साथ सम्बन्धित ब्लाक खण्ड के मध्य गाड़ियों के आवागमन को नियन्त्रित करता है। |

टिप्पणी : कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति उपर्युक्त विद्युत ब्लाक यंत्र को परिचालित नहीं कर रहा है, विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक का अध्याय 14 तथा स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' का अनुलग्नक-III एवं अनुलग्नक IV देखें।

क्रमशः पृष्ठ 5 पर

## 4. सिगनलिंग और अन्तर्प्राशन प्रणाली :

4.1 यह स्टेशन मानक-III अन्तर्प्राशित, बहुसंकेतीय रंगीन बत्ती वाले सिगनलों सहित डोमिनो टाइप पैनल से सुसज्जित है। मोटर चालित कांटों एवं सिगनलों को कार्यरत स्टेशन मास्टर के कक्ष में स्थापित डोमिनो पैनल पर प्रदत्त पुश बटनों के द्वारा परिचालित किया जायेगा।

स्टेशन मास्टर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्टेशन के समस्त कलर लाइट/पोजिशन लाइट सिगनल अनवरत दिन-रात साधारण एवं सहायक नियम 3.49(2)(बी) के अनुसार जलते रहेंगे। इस स्टेशन के स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "बी" का अनुलग्नक-II को देखें।

(i) सिगनल/प्वाइंट को लीवर फ्रेम/कंट्रोल पैनल/वी.डी.यू./सी.टी.सी. से संचालन विधि :-

स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "बी" को देखें।

(ii) एक्सल काउन्टर/ट्रैक सर्किट का रनिंग लाइनों में प्रावधान :-

खलीलाबाद-चुरेब खंड में ड्यूल एस.एस.डी.ए.सी. तथा खलीलाबाद-मगहर खंड में एच.ए.एस.एस.डी.ए.सी. का प्रावधान है। सभी रनिंग लाइनें ट्रैक सर्किटेड हैं। रनिंग ला० सं० 5 के दोनों छोरों पर ड्यूल डिटेक्शन एक्सल काउन्टर का प्रावधान है।

(iii) कालिंग आन सिगनल/आई.बी.एस. :

| क्र० सं० | सिगनल संख्या                   | विवरण                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी-3  | यह डाउन होम सिगनल सं० एस-1 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं० 3/4/5 में आने के लिए है।                                                                 |
| 2        | अप कालिंग आन सिगनल सं० सी-10   | यह अप होम सिगनल सं० एस-12 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं० 1/2/5 में आने के लिए है।                                                                  |
| 3        | डाउन आई.बी.एस. सिगनल सं० एस-13 | यह खलीलाबाद-मगहर डाउन लाइन पर खलीलाबाद स्टेशन से 04.40 कि.मी. दूर स्थित है। यह मगहर छोर दोहरी लाइन लाक एवं ब्लाक यंत्र के साथ एक्सल काउन्टर से नियंत्रित है। |

(iv) फिक्सड वार्नर एवं स्टेशनों पर स्टाप बोर्ड :-

फिक्सड वार्नर की यहाँ व्यवस्था नहीं है। लाइन सं० 1 व 2 पर डाउन स्टाप बोर्ड तथा लाइन सं० 3 व 4 पर अप स्टाप बोर्ड का प्रावधान है।

(v) आपात कास ओवर :-

अप मेन लाइन को डाउन मेन लाइन से तथा डाउन मेन लाइन को अप मेन लाइन से जोड़ने हेतु कांटा सं० 208ए-208बी व 201ए-201बी आपात कासओवर का प्रावधान है। कामन गुड्स रनिंग लाइन सं० 5 पर अप गाड़ी का आगमन करते समय कासओवर कांटा सं० 208ए-208बी तथा लाइन सं० 5 से अप गाड़ी का प्रस्थान कराते समय कासओवर कांटा सं० 201ए-201बी नार्मल ट्रेन वर्किंग के लिए है।

(vi) स्थाई रुप से लाक किये गये कांटे :-

स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है।

(vii) यांत्रिक रुप से संचालित स्टेशनों पर मोटर द्वारा परिचालित कांटे :

स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है।

क्रमशः पृष्ठ 6 पर

- (viii) आपात/कैंक हैण्डल चाभियों और उनकी अभिरक्षा :  
आपात/कैंक हैण्डल चाभियों का विवरण और उनकी अभिरक्षा स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "बी" में दिया गया है ।
- (ix) कांटे/ट्रैप कांटे/सिगनल/एक्सल काउन्टर/ट्रैक सर्किट के संकेत (इलेक्ट्रिक/बैनर किस्म के) :

(अ) पैनल पर प्रत्येक सिगनल के लिये स्थल पर लगे सिगनल सूचक द्वारा दर्शाये गये हैं। ये सूचक फील्ड पर लगे सिगनलों द्वारा दर्शाये जाने वाले आस्पेक्ट के अनुरूप लाल/हरे/पीले रंग की लघु प्रकाश इंडीकेशन (सूचक बत्ती) का प्रावधान है।

**होम सिगनल** पर लगे जंक्शन इंडीकेटर के लिये पैनल पर एक लघु सफेद प्रकाश पट्टी (स्टिप) प्रकाशित होकर होम सिगनल का लूप लाइन के लिए "आफ" होना दर्शाती है ।

**आश्रित शंट सिगनल** जो मुख्य सिगनल के खम्भे पर स्थित होते हैं, उनके इंडीकेशन के लिए एक लघु सफेद प्रकाश पट्टी "आफ" स्थिति में प्रकाशित होगी । सामान्य दशा में यह अप्रकाशित रहता है ।

**अनाश्रित शंट सिगनल** (स्वतंत्र खम्भे पर स्थित) की आन स्थिति में एक सीधी लघु प्रकाश पट्टी तथा आफ स्थिति में 45° के कोण पर लघु सफेद प्रकाश पट्टी प्रकाशित होगी ।

**कालिंग आन सिगनल** के आस्पेक्ट का इंडीकेशन पैनल पर होम सिगनल के नीचे छोटे पीले प्रकाश के रूप में दिया गया है। सामान्य दशा में यह अप्रकाशित रहता है। यह तभी प्रकाशित होता है जब कालिंग आन सिगनल **आफ** किया जाता है ।

(ब) ट्रैक सर्किट इंडीकेशन:

पैनल पर ट्रैक सर्किटों के ऊपर प्रकाश पट्टियाँ (स्टिप) का प्रावधान है, जो ट्रैक सर्किट पर गाड़ी नहीं रहने पर प्रकाशित नहीं होती है। जब कोई सिगनल "आफ" किया जाता है तो उसके मार्ग में पडने वाले तथा ओवर लैप की ट्रैक सर्किटों की सफेद प्रकाश पट्टिया प्रकाशित हो जाती हैं। जब गाड़ी ट्रैक सर्किट पर आती है तब प्रकाश पट्टियों का सफेद प्रकाश बुझ जाता है और लाल प्रकाश जल जाता है। गाड़ी जब ट्रैक सर्किट को पार कर जाती है तब लाल प्रकाश बुझकर पुनः सफेद प्रकाश जल जाता है। ट्रैक सर्किट की विफलता की स्थिति में ये प्रकाश पट्टियाँ लाल प्रकाश से प्रकाशित हो जाती हैं ।

**टिप्पणी:** गाड़ी ट्रैक पर आने पर यदि लाल प्रकाश पट्टी प्रकाशित नहीं हो तो इसका अर्थ यह है कि लघु प्रकाश बत्ती फ्यूज हो गयी है, इसके मरम्मत हेतु संबंधित विद्युत सिगनल अनुरक्षक को तुरन्त सूचित करें। यदि सफेद प्रकाश पट्टी का प्रकाशित होना अपेक्षित हो और वह न जलती हो तो स्टेशन मास्टर व्यक्तिगत रूप से जांच करे कि ट्रैक साफ है अथवा नहीं। यदि साफ है तो ट्रैक सर्किट को सही कार्यशील समझा जाये तथापि बत्ती मरम्मत हेतु सम्बन्धित विद्युत सिगनल अनुरक्षक को तुरन्त सूचित करें।

**कमशः पृष्ठ 7 पर**

## (स) कांटो का संकेत :

एक सफेद प्रकाश स्टिप (पट्टी) प्रत्येक कांटे के ट्रैक सर्किट पर कांटे की नार्मल/रिवर्स स्थिति के अनुसार प्रकाशित रहता है। जब सम्बन्धित कांटा बटन एवं डब्लू डब्लू एन बटन कांटो को संचालित करने के लिए दबाते हैं तो कांटे के नार्मल/रिवर्स स्थिति में सेट एवं लाक होने पर सफेद प्रकाश का स्टिप पलैश करना प्रारम्भ कर देती है, फिर सफेद प्रकाश स्टिप स्थिर हो जाती है। विफलता में सफेद स्टिप पलैश करती रहती है।

**टिप्पणी:** मोटर कांटे पर नान सिगनल मूवमेन्ट के पश्चात कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिए कि वह सम्बन्धित मोटर कांटो को नार्मल/रिवर्स स्थिति में चलाकर उसकी जांच कर ले तथा उनके सम्बन्धित सूचकों को पैनल पर सुनिश्चित कर ले तथा इस जांच की प्रविष्टि स्टेशन मास्टर डायरी में अवश्य करें।

## (द) एक्सल काउन्टर का संकेत:-

रनिंग लाइन सं० 5 के दोनो छोरों पर ड्यूल डिटेक्शन एक्सल काउन्टर का प्रावधान है। डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-11 व डाउन आई.बी.एस. सिगनल सं० एस-13 के बीच ट्रैक का भाग डिजिटल एक्सल काउन्टरों द्वारा रक्षित है तथा आई.बी.एस. सिगनल के आगे ट्रैक का 400 मी. भाग ट्रैक सर्किट द्वारा रक्षित है।

**खलीलाबाद-चुरेब** प्रखण्ड में अप एवं डाउन लाइन पर ड्यूल एस.एस.डी.ए.सी. तथा **खलीलाबाद-मगहर** प्रखण्ड में डाउन लाइन पर खलीलाबाद व डाउन आई.बी.एस. एवं डाउन आई.बी.एस. व मगहर के मध्य तथा अप लाइन पर मगहर व अप आई.बी.एस. एवं अप आई.बी.एस. व खलीलाबाद के मध्य एच.ए.एस.एस.डी.ए.सी.(डिजिटल एक्सल काउन्टरों) का प्रावधान है। एक्सल काउन्टर के संकेत का विस्तृत विवरण हेतु स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' एवं अनुलग्नक IV देखें।

(x) कांटे/सिगनल/गेट कन्ट्रोल स्वीचों का उपयोग करते हुए रुट सेंटिंग के लिये लीवर फ्रेम/नियंत्रण पैनल वीडियो डिस्प्ले यूनिट:  
स्टेशन के संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "बी" में दिया गया है।

(xi) कांटों का पृथक परिचालन :  
स्टेशन के संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "बी" में दिया गया है।

(xii) स्टेशन सीमा के भीतर गेटों का परिचालन :  
स्टेशन के संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "ए" में दिया गया है।

(xiii) कैंक हैण्डल एवं केएलसीआर का उपयोग करते हुए कांटों की सेटिंग  
जब कभी किसी प्वाइण्ट को आपेक्षित पोजीशन में रुट आपरेशन सिस्टम या इमरजेन्सी प्वाइण्ट आपरेशन द्वारा सेट करना सम्भव न हो तो यह निष्कर्ष होगा कि प्वाइण्ट को कन्ट्रोल पैनल से इलेक्ट्रिकली सेट नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामले में स्टे० मास्टर इलेक्ट्रिकली लाक रखे गये सम्बन्धित कैंक हैण्डल को रिलीज करके स्टे.सं.नि. में संलग्न परिशिष्ट "बी" के अनुसार प्वाइण्ट को सेट करायेगा।

क्रमशः पृष्ठ 8 पर

**टिप्पणी :**

- (i) प्रत्येक बार जब विद्युत कांटा मशीन से संचालित कांटो को टेस्टिंग हेतु या हाथ द्वारा संचालन के लिए के.एल.सी.आर. चाभी निकाला जाये तो इस आशय की प्रविष्टि स्टे.मा. द्वारा इस उद्देश्य से बनाये गये रजिस्टर में 'स्टे.सं.नि. में संलग्न परिशिष्ट 'बी' अनुलग्नक-I के प्रोफार्मा अनुसार की जायेगी।
- (ii) जब भी के.एल.सी.आर. चाभी संकेत एवं दूरसंचार कर्मचारी को अनुरक्षण या टेस्टिंग इत्यादि हेतु दिया जाये तो सम्बन्धित कांटे का वियोजन निर्धारित प्रारूप पर अवश्य लिया जाये, जिसका रख रखाव अलग से रखा जाये।
- (iii) सम्बन्धित सिगनल विभाग के कर्मचारी से रिकनेक्शन मेमों के साथ क्रेन्क हैण्डिल प्राप्त होने पर सामान्य कार्य प्रणाली अपनायी जाये।
- (iv) डिस्कनेक्शन की अवधि में गाड़ियों का परिचालन साधारण एवं सहायक नियम 3.69(1)(3) एवं 3.70(1)(2) के अनुसार करें।

**(xiv) आपातकालीन संचालन के लिये उपलब्ध वीडर काउन्टर :**

1. क्रेन्क हैण्डिल रिलीज काउन्टर।
2. आपातकालीन रुट कैंन्सीलेशन वीडर गणक (ईयूवाईएन)
3. आपातकालीन सिगनल रिप्लेसमेण्ट वीडर गणक(ईजीजीएन)
4. कालिंग आन सिगनल वीडर गणक
5. आपातकालीन रुट रिलीज वीडर गणक (ईयूवाईएन)
6. आपातकालीन कॉटा संचालन वीडर गणक (ईडब्लूएन)।
7. एक्सल काउन्टर का वीडर काउन्टर (रिसेट बाक्स में)
8. अप आई.बी.एस. सिगनल को-आपरेशन काउन्टर
9. डाउन आई.बी.एस. सिगनल रीसेट काउन्टर
10. लाइन सं० 5 हेतु एक्सल काउन्टर रीसेट वीडर गणक।

**टिप्पणी:** स्टेशन मास्टर वीडर काउन्टर रजिस्टर को वीडर गणक द्वारा दर्शायी गयी संख्या के अनुसार अद्यतन रखेंगे।

**(xv) गाड़ी बचाव और चेतावनी प्रणाली (टी.पी.डब्लूएस.) तथा टक्कर रोधी उपकरण (ए.सी.डी) की कार्य विधि :-**  
स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है।**(xvi) बर्थिंग पोर्शन और आई.बी.एस. सेक्शन पर एक्सल काउन्टर की खराबी के मामले में रीसेटिंग की पद्धति :-**  
स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "बी" में दिया गया है**(xvii) कांटो का आपात संचालन :**  
स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "बी" में दिया गया है।**(xviii) आपात मार्ग रद्दीकरण :**  
स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "बी" में दिया गया है।**(xix) ब्लाक की क्लियरिंग :**  
कार्यरत स्टेशन मास्टर स्टेशन पर उपलब्ध सम्बन्धित ब्लाक खण्ड के एक्सल काउन्टर की लघु हरी प्रकाश बत्ती के द्वारा ब्लाक की क्लियरिंग सुनिश्चित करेगा व इंडिकेशन की विफलता की स्थिति में गाड़ी का पूर्ण आगमन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही ब्लाक की क्लियरिंग सुनिश्चित करेगा।

**कमश: पृष्ठ 9 पर**

**4.1.1 अप आगमन सिगनल :-**

- (क) अप डिस्टेंट सिगनल सं० ए-12 का नार्मल आस्पेक्ट **पीला** है जो अप होम सिगनल सं. एस-12 के स्थिति पर निर्भर है।
- (ख) अप होम सिगनल सं० एस-12 का नार्मल आस्पेक्ट **लाल** है जंक्शन रुट इंडीकेटर के साथ इस तरह पढ़ा जाय :-  
लाइन सं० 1 हेतु बाँयी ओर जंक्शन रुट इंडीकेटर सहित।  
लाइन सं० 2 हेतु जंक्शन रुट इंडीकेटर रहित।  
लाइन सं० 5 हेतु दायी ओर जंक्शन रुट इंडीकेटर सहित।

**4.1.2 अप प्रस्थान सिगनल :-**

- (क) (i) अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-6 लाइन सं० 1 से।  
(ii) अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-4 लाइन सं० 2 से।  
(iii) अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-8 लाइन सं० 5 से।
- (ख) अप अग्रिम प्रस्थान/अप गेट डिस्टेंट सिगनल (समपार सं० 181) सं० एस-2 का **पीला** आस्पेक्ट **चुरेब** छोर के दोहरी लाइन लाक एवं ब्लाक यंत्र से नियंत्रित तथा **हरा** आस्पेक्ट अप गेट सिगनल सं० 2आर के **आफ** आस्पेक्ट व **चुरेब** छोर के दोहरी लाइन लाक एवं ब्लाक यंत्र द्वारा नियंत्रित है।
- (ग) गेट सिगनल सं० 2आर समपार सं० 181 की बन्द व लाक स्थिति द्वारा नियंत्रित है।

**4.1.3 डाउन आगमन सिगनल :**

- (क) डाउन गेट डिस्टेंट सिगनल का नार्मल आस्पेक्ट **पीला** है जो डाउन डिस्टेंट/डाउन गेट सिगनल सं. 2एल के स्थिति पर निर्भर है।
- (ख) डाउन डिस्टेंट/डाउन गेट सिगनल सं. 2एल का नार्मल आस्पेक्ट **लाल** है जो समपार सं० 181 की बन्द व लाक स्थिति व डाउन होम सिगनल सं. एस-1 की स्थिति पर निर्भर है।
- (ग) डाउन होम सिगनल सं० एस-1 का नार्मल आस्पेक्ट **लाल** है जंक्शन रुट इंडीकेटर के साथ इस तरह पढ़ा जाय :-  
लाइन सं० 3 हेतु जंक्शन रुट इंडीकेटर रहित।  
लाइन सं० 4 हेतु बांयी ओर जंक्शन रुट इंडीकेटर सहित।  
लाइन सं० 5 हेतु अंतिम बांयी ओर जंक्शन रुट इंडीकेटर सहित।

**4.1.4 डाउन प्रस्थान सिगनल :**

- (क) (i) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-5 लाइन सं० 3 से।  
(ii) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-7 लाइन सं० 4 से।  
(iii) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-9 लाइन सं० 5 से।
- (ख) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-11 डाउन लाइन के **खलीलाबाद-आई.बी.एस.** सिगनल सं० एस-13 खण्ड के एक्सल काउन्टर एवं आई.बी.एस. सिगनल ट्रैक सर्किट सं० 13टी व 13एटी के क्लीयर इन्डीकेशन द्वारा नियंत्रित है।
- (ग) डाउन गेट डिस्टेंट (समपार सं० 177) सिगनल सं० ए-1
- (घ) डाउन गेट (समपार सं० 177)/डिस्टेंट (समपार सं० 176) सिगनल सं० 1
- (ङ) डाउन गेट (समपार सं० 176)/डाउन डिस्टेंट (आई.बी.एस) सिगनल सं० 3

कमशः पृष्ठ 10 पर

(च) डाउन इण्टरमीडिएट ब्लॉक स्टाप (आई.बी.एस)/डाउन गेट डिस्टेन्ट (समपार सं० 175) सिगनल सं० एस-13 मगहर छोर के दोहरी लाइन लाक एवं ब्लॉक यंत्र तथा एक्सल काउन्टर द्वारा नियंत्रित है।

नोट:(अ)अप होम सिगनल सं० एस-12 समपार सं० 179 व 180 की बन्द व लाक स्थिति द्वारा नियंत्रित है।

(ब)डाउन होम सिगनल सं० एस-1 समपार सं० 180 व लाइन सं० 5 पर सैण्ड हम्प लगाकर लेने के अतिरिक्त समपार सं० 179 की बन्द व लाक स्थिति द्वारा नियंत्रित है।

(स) सभी डाउन प्रस्थान सिगनल समपार सं० 179 की बन्द व लाक स्थिति द्वारा नियंत्रित है।

(द) सभी अप प्रस्थान सिगनल समपार सं० 180 की बन्द व लाक स्थिति द्वारा नियंत्रित है।

(य) अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 का "आफ" आस्पेक्ट चुरेब छोर के लाक एवं ब्लॉक यंत्र व गेट सिगनल सं० 2आर द्वारा नियंत्रित है।

(र)अग्रिम प्रस्थान सिगनलो का प्रस्थान सिगनल के आफ आस्पेक्ट पर नियंत्रण है।

(ल)डाउन इण्टरमीडिएट ब्लॉक स्टाप सिगनल (आई.बी.एस) सं० एस-13 मगहर छोर लाक एवं ब्लॉक यंत्र के साथ एक्सल काउन्टर से नियंत्रित है।

#### 4.1.5 अतिरिक्त सिगनल :

##### 4.1.5.1 शंट सिगनल

| (क) आश्रित शंट सिगनल   |                                                                              |                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| शंट सिगनल संख्या       | किस सिगनल के नीचे स्थित है                                                   | विवरण                                                                          |
| एस.एच-24               | अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-4                                                   | लाइन सं० 2 से चुरेब छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 तक शंटिंग हेतु।   |
| एस.एच-25               | डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-5                                                 | लाइन सं० 3 से मगहर छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-11 तक शंटिंग हेतु। |
| एस.एच-26               | अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-6                                                   | लाइन सं० 1 से चुरेब छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 तक शंटिंग हेतु।   |
| एस.एच-27               | डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-7                                                 | लाइन सं० 4 से मगहर छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-11 तक शंटिंग हेतु। |
| एस.एच-28               | अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-8                                                   | लाइन सं० 5 से चुरेब छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 तक शंटिंग हेतु।   |
| एस.एच-29               | डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-9                                                 | लाइन सं० 5 से मगहर छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-11 तक शंटिंग हेतु। |
| (ख) अनाश्रित शंट सिगनल |                                                                              |                                                                                |
| शंट सिगनल संख्या       | विवरण                                                                        |                                                                                |
| एस.एच-31               | चुरेब छोर से लाइन सं० 1/2/3/4/5 में शंटिंग के लिये आने हेतु।                 |                                                                                |
| एस.एच-32               | मगहर छोर से लाइन सं० 3/4/5 में शंटिंग के लिये आने हेतु।                      |                                                                                |
| एस.एच-30               | लाइन सं० 3 से चुरेब छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 तक शंटिंग हेतु। |                                                                                |
| एस.एच-34               | लाइन सं० 4 से चुरेब छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 तक शंटिंग हेतु। |                                                                                |

कमश: पृष्ठ 11 पर

- टिप्पणी: (i) विस्तृत जानकारी हेतु इस स्टेशन संचालन नियमावली में संलग्न परिशिष्ट "बी" को देखें।
- (ii) सिगनल की विफलता की स्थिति में गाड़ियों साधारण एवं सहायक नियम 3.68, 3.69, 3.70, 3.71 एवं 3.75 के अनुसार चलेगी। स्टेशन मास्टर खराब सिगनल एडवाइस टी-369(3बी) जारी करने के लिये जिम्मेदार होगा। सभी सिगनल विफलतायें सिगनल विफलता पंजिका (एस ई-32) में अंकित की जायेगी।
- (iii) अग्रिम प्रस्थान सिगनल की विफलता की दशा में कार्यरत स्टेशन मास्टर अग्रिम प्रस्थान सिगनल एवं प्रस्थान (स्टार्टर) सिगनल 'आन' स्थिति में पार करने हेतु टी-369(3बी) जारी करेगा। संयुक्त अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल/अप गेट डिस्टेन्ट(समपार सं० 181) सिगनल सं० एस-2 तथा डाउन इण्टरमीडिएट ब्लॉक स्टाप सिगनल (आई.बी.एस)/गेट डिस्टेन्ट (समपार सं० 175 )सिगनल सं० एस-13 की विफलता की स्थिति में सम्बन्धित गेट सिगनल के दिखाई देने तक सतर्कता पूर्वक जाने हेतु सतर्कता आदेश भी जारी किया जायेगा।  
(देखें सं० नियम 14.13 (3)(i))
- (iv) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-11 विफल हो, परन्तु सम्बन्धित एक्सल काउन्टर सेक्शन क्लीयर संकेत प्रदर्शित करे तो स्टेशन मास्टर अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में पार करने हेतु टी-369(3बी) जारी करेगा।  
(विस्तृत विवरण हेतु स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'एफ' देखें।)
- (v) प्रस्थान(स्टार्टर) सिगनल विफलता की दशा में प्रस्थान(स्टार्टर) सिगनल को 'आन' स्थिति में पार करने हेतु टी-369(3बी) जारी करेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर सहायक नियम 3.69(2)(3) के अनुसार मार्ग की सही सेटिंग सुनिश्चित करने के बाद ही टी-369(3बी) जारी करेगा।
- (vii) ट्रैक सर्किट के क्लीयरेंस के सम्बन्ध में सिगनल 'आफ' होने पर पैनल पर जलने वाले सफेद बल्ब के फ्यूज होने अथवा ट्रैक सर्किट को अवरुद्ध (आक्यूपाइड)/विफल दर्शाने वाले लाल बल्ब के फ्यूज होने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा इस लाइन के व्यक्तिगत सत्यापन के बाद ही बाधा रहित होना निश्चित किया जायेगा।
- (viii) कांटों, सिगनलों, ब्लॉक उपकरणों, नियंत्रक टेलीफोन इत्यादि की विफलता उससे संबंधित रख-रखाव/मरम्मत हेतु संबंधित कर्मचारियों की एक सूची (उनके मुख्यालय सहित) परिशिष्ट "बी" में दी गयी है।
- (ix) यदि इण्टरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट के दोनो ओर के स्टेशनों पर लगे विद्युत ब्लॉक यन्त्र या अन्तिम रोक सिगनल के बाद लगाये गये ट्रैक सर्किट या ब्लॉक सेक्शन के दोनो ओर लगे एक्सल काउन्टर खराब हो जाते हैं तो इण्टरमीडिएट ब्लॉक स्टाप सिगनल को भी खराब माना जायेगा।

क्रमशः पृष्ठ 12 पर

उस इण्टरमीडिएट ब्लाक पोस्ट को बन्द समझा जायेगा, और उस इण्टरमीडिएट ब्लाक पोस्ट के दोनो ओर स्टेशनों के बीच का सेक्शन एक ब्लाक सेक्शन माना जायेगा।

(देखें सामान्य नियम 14.14)

- (x) यदि सम्बन्धित एक्सल काउन्टर व ट्रैक सर्किट विफलता के कारण डाउन एडवांस स्टार्टर सिगनल विफल हो जाता है तब डाउन आई.बी.एस. सिगनल को भी खराब माना जायेगा और दोनो ओर स्टेशनों के बीच का सेक्शन एक ब्लाक सेक्शन माना जायेगा। किसी भी गाड़ी को लिखित प्राधिकार टी/369-3बी जारी करके एडवांस स्टार्टर सिगनल को पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि अगली गाड़ी अगले ब्लाक स्टेशन पर पूरी पहुँच न गई हो तथा गाड़ी लेने वाले स्टेशन मास्टर द्वारा प्राइवेट नम्बर के साथ गाड़ी का पूर्ण आगमन सुनिश्चित न कर दिया गया हो।

गाड़ी प्रस्थान करने से पहले स्टेशन मास्टर पैनल, आई.बी.एस. सिगनल एवं अगले ब्लाक स्टेशन के बीच के ब्लाक सेक्शन के लिए अगले ब्लाक स्टेशन से लाइन क्लीयर प्राप्त करेगा तथा तब वह एडवांस स्टार्टर सिगनल एवं आई.बी.एस. सिगनल को ऑन स्थिति में पास करने के लिए लोको पायलेट को लिखित प्राधिकार टी/369-3बी जारी करेगा। इस प्राधिकार पर यह भी दर्ज करेगा कि अगले ब्लाक स्टेशन (स्टेशन का नाम) से लाइन क्लीयर प्राइवेट नम्बर के साथ प्राप्त हो गया है। लाइन क्लीयर के लिए अगले ब्लाक स्टेशन से प्राप्त प्राइवेट नम्बर को भी इस प्राधिकार पर दर्ज करेगा। इस विधि का तब तक अनुपालन किया जायेगा, जब तक कि सिगनल अनुरक्षक द्वारा एडवांस स्टार्टर की विफलता को ठीक न कर दिया जाये।

(विस्तृत विवरण हेतु स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'एफ' देखें।)

#### 4.2 रिले कक्ष की चाभियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हें लेने देने की कार्य पद्धति:

इस स्टेशन के रिले रूम पर दो ताले (एस.एम. लॉक एवं सिगनल लॉक) लगे होते हैं जिसकी अभिरक्षा क्रमशः कार्यरत स्टेशन मास्टर एवं सिगनल कर्मचारी [जो टेक्निशियन (सिगनल) से कम पद पर न हो] द्वारा की जाती है। रिले रूम की चाभी स्टेशन के चाभी बॉक्स में लॉक करके रखी जाती है। जब कभी फेलियर/खराबी/रख-रखाव के लिये रिले रूम खोलने की आवश्यकता होती है तो रिले रूम की चाभी की विधिवत् एन्ट्री रजिस्टर में की जानी चाहिये तभी चाभी सिगनल कर्मचारी [जो टेक्निशियन (सिगनल) से कम पद पर न हो] को दिया जाना चाहिये। चाभी वापस लेते समय भी चाभी की एन्ट्री रजिस्टर में किया जाना चाहिये तथा स्टेशन मास्टर एवं टेक्निशियन (सिगनल) को उक्त कॉलम में हस्ताक्षर करना होता है। निरीक्षणों के दौरान इसकी जाँच की जायेगी।

कमशः पृष्ठ 13 पर

**4.3 पावर सप्लाय:-**

इस स्टेशन में पावर सप्लाय हेतु अप ए०टी०, डाउन ए०टी० व कामर्शियल सप्लाय का प्रावधान है। अप ए०टी०, डाउन ए०टी० व कामर्शियल(लोकल) सप्लाय फेल हो जाने की स्थिति में सिगनल के लिए सप्लाय आई.पी.एस. (इंटीग्रेटेड पावर सप्लाय) से स्वतः ही चालू हो जाएगी।

(विस्तृत विवरण परि० "बी" के अनुलग्नक- II में देखें)

**5. दूर संचार :**

इस स्टेशन पर उपलब्ध दूर संचार के साधन की सूची के लिए स्टेशन संचालन नियमावली में संलग्न परिशिष्ट बी' देखें।

**5.1 सेक्शन कंट्रोल/डिप्टी कंट्रोल/कर्षण पावर कंट्रोल :-**

सेक्शन ट्रेन कंट्रोलर तथा कर्षण पावर कंट्रोलर से कंट्रोल टेलीफोन जुड़ा है।

**5.2 आटो/डी०ओ०टी० टेलीफोन :-**

इस स्टेशन पर आटो एवं डी०ओ०टी० टेलीफोन की व्यवस्था है।

**5.3 केबिन/गेटो पर मैग्नेटो टेलीफोन :-**

समपार सं० 176, 177, 179, 180, 181, एवं 182 के टेलीफोन स्टेशन पर लगे टेलीफोन द्वारा जुड़े हैं।

**5.4 आई०बी०एस० का आई०बी०एस० टेलीफोन :-**

आई.बी.एस.सिगनल पोस्ट सं० एस-13 पर लगा टेलीफोन, स्टेशन से जुड़ा है।

**5.5 एक्सिल काउन्टर रीसेट बाक्स का टेलीफोन :-**

स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है।

**5.6 यार्ड में संचार हेतु टेलीफोन :-**

स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है।

**5.7 वी एच एफ सेट :-**

स्टेशन पर उपलब्ध है।

**5.8 संचल गाड़ी रेडियों संचार (एमटीआरसी):-**

इस स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है।

**नोट :-** उक्त संचार व्यवस्था में खराबी आ जाने पर स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट -बी के अनुसार सूचित करें।

**6. गाड़ी संचालन :**

गाड़ियों का आवागमन साधारण एवं सहायक नियम 8.01, 8.03 व अध्याय 17 के अनुसार होगा। आगमन व प्रस्थान सिगनल साधारण एवं सहायक नियम 3.38, 3.40, 3.42, 3.45 व 3.47 के अनुसार आफ किये जायेंगे। इस स्टेशन के कांटो व सिगनलों के संचालन हेतु स्टेशन मास्टर कार्यालय में डोमिनो टाइप स्टेशन पैनल की व्यवस्था है, जिसका पैनल डायग्राम सं०: वमंसिदूड़/ल.जं./2022(पी.डी.)/67 दि. 07.10.22 संलग्न है। स्टेशन पैनल पर उपलब्ध उपकरणों का विवरण स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' में दिया गया है।

**6.1 गाड़ी संचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :**

गाड़ी संचालन कर्मचारी जैसे स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर, कांटावाला, फाटकवाला के गाड़ी संचालन के कर्तव्यों का विवरण परिशिष्ट 'डी' में दिया गया है। सभी कर्मचारीगण मंडल द्वारा निर्धारित रोस्टर में अपने-अपने शिफ्ट के अनुसार कार्य करेंगे।

**6.1.1 प्रत्येक पाली में कार्यरत गाड़ी संचालन कर्मचारी :**

- (अ) स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर
- (ब) कांटावाला
- (स) फाटकवाला

क्रमशः पृष्ठ 14 पर

### 6.1.2 लाइनों की क्लीयरेंस सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायित्व तथा उत्तर दायित्व के क्षेत्र :

कार्यरत स्टेशन मास्टर लाइन की क्लीयरेंस जिससे कि गाड़ी का आगमन/प्रस्थान इस स्टेशन से होना है को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। यह कार्य पैनल पर उपलब्ध ट्रैक सूचकों द्वारा किया जायेगा। ट्रैक सर्किट की विफलता अथवा ट्रैक सर्किट सूचक बल्ब के फ्यूज होने की स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा व्यक्तिगत सत्यापन द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्राइवेट नं० बुक गाड़ी पासिंग कर्मचारी के निजी अभिरक्षा में होनी चाहिए जो कि इसके उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है।

(विस्तृत विवरण के लिए सामान्य नियम 3.38, 3.40(3) एवं 8.03 तथा ट्रैक सर्किट इंडिकेशन के लिये स्टेशन संचालन नियम का परिशिष्ट 'बी' देखें )

### 6.1.3 आश्वासन पंजिका में कर्मचारी का आश्वासन :

प्रत्येक गाड़ी पासिंग कर्मचारी जिसकी स्टेशन पर नयी तैनाती हुई है या स्टेशन पर 15 दिन या 15 दिनों से अधिक की नियमित अनुपस्थिति के उपरान्त ड्यूटी पर उपस्थित होने वाले कर्मचारियों को प्रचलित स्टेशन संचालन नियमों को अवश्य पढ़ कर निर्धारित आश्वासन पंजिका में अपना आश्वासन दर्ज करना चाहिए। जब कभी कोई शुद्धि पर्ची स्टेशन संचालन नियम में जारी की जाती है तो स्टेशन मास्टर द्वारा सभी कर्मचारियों का पुनः आश्वासन अवश्य लिया जाए।  
( सामान्य नियम 5.01(16) देखें )

### 6.2 लाइन क्लीयर देने के लिए शर्त :

स्टेशन मास्टर इस खंड के कार्यरत गाड़ी नियंत्रक से विचार विमर्श के बाद ही लाइन क्लीयर देगा। स्टे.मा. लाइन क्लीयर तब तक नहीं देगा जब तक कि :

- (क) पूर्ववर्ती गाड़ी पूरी तरह न पहुँच गयी हो ।
- (ख) उक्त गाड़ी के पीछे के सभी आवश्यक सिगनल फिर से "आन" न कर दिये गये हो

- (ग) लाइन निम्न पर्याप्त दूरी तक साफ न हो :-

डाउन गाड़ियों हेतु:-

डाउन होम सिगनल के आगे बी.एस.एल.बी तक।

अप गाड़ियों हेतु:-

अप होम सिगनल के आगे कांटा सं० 208 'ए' तक।

- (घ) निम्न समपार फाटक पर कार्यरत फाटकवालों को समपार संचालन अनुदेश के अनुरूप सूचित/प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान न कर लिया हो:-

डाउन गाड़ियों हेतु :

समपार सं० 181 एवं 182

अप गाड़ियों हेतु :

समपार सं० 176 एवं 177

टिप्पणी : उपरोक्त के साथ ही सामान्य नियम 8.03(1) एवं सहायक नियम 8.03 (i),(ii),(iii) एवं (iv) भी देखें ।

### 6.2.1 गाड़ी के स्टेशन पर आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्त :

#### 6.2.1.1 ब्लाक लाइन के विरुद्ध प्वाइंटों को अन्य लाइन के लिये सेट करना :

सहायक नियम 5.19 (2) देखें ।

कमशः पृष्ठ 15 पर

**6.2.1.2 अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन :**

सामान्य एवं सहायक नियम 5.09 देखें ।

**6.2.1.3 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन :**

सामान्य एवं सहायक नियम 5.10 देखें ।

**6.2.1.4 बिना सिगनल वाली लाइन से गाड़ी खाना करना :**

सामान्य एवं सहायक नियम 5.11 देखें ।

**6.2.1.5 कामन स्टार्टर सिगनल वाली लाइन से गाड़ी खाना करना :**

स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है ।

**6.2.1.6 कोई अन्य विशेष शर्त :-**

(क) जब भी अप ट्रेन को लाइन सं० 5 से कासओवर सं० 201ए-201बी को रिवर्स स्थिति में रखकर **चुरेब** की ओर भेजना हो, तो **चुरेब** स्टेशन को **डाउन** ट्रेन के लिए लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जाये जब तक कि अप ट्रेन कासओवर सं० 201ए-201बी से पास न हो जाये।

(ख) **चुरेब** स्टेशन को **डाउन** ट्रेन के लिए निर्धारित लाइन पर लाइन क्लीयर तब ही दिया जाये जब कासओवर सं० 201ए-201बी की रिवर्स स्थिति में किसी अप ट्रेन का मूवमेन्ट **चुरेब** की ओर न हो, जिससे **डाउन** होम सिगनल को “आन” स्थिति में रखकर **डाउन** ट्रेन को आउट साइड करने की स्थिति न आये।

(ग) एक्सल काउन्टर की विफलता होने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार को बन्द कराते समय रुकने वाली अप/डाउन गाड़ियों की सूचना सम्बन्धित ट्राफिक फाटकवाले को “पूर्ण आगमन” सुनिश्चित करने हेतु देगा।

**6.3 आगमन सिगनलों को आफ करने की शर्त :**

किसी भी गाड़ी हेतु आगमन सिगनल तबतक ‘आफ’ नहीं किये जायेगे जबतक कि:-

- (क) सभी फेसिंग कॉटे जिन पर गाड़ी को गुजरना है सही तरह से सेट व लाक न हो जैसा कि स्टेशन पैनल पर दिखें।
- (ख) सभी ट्रेलिंग कॉटे जिन पर गाड़ी को गुजरना है सही तरह से सेट व लाक न हो जैसा कि स्टेशन पैनल पर दिखें।
- (ग) लाइन जिस पर गाड़ी को गुजरना है यार्ड के ट्रेलिंग छोर की तरफ निम्न पर्याप्त दूरी तक साफ न हो:-

**(अ)अप गाड़ियों के लिए :**

1. लाइन सं० 1 पर आगमन हेतु स्नैग डेड एण्ड बनाकर या मेन लाइन बनाकर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 तक।
2. लाइन सं० 2 पर आगमन हेतु अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 तक।
3. लाइन सं० 5 पर आगमन के लिये स्नैग डेड एण्ड बनाकर।

क्रमशः पृष्ठ 16 पर

**(ब) डाउन गाड़ियों के लिए:**

1. लाइन सं० 5 पर आगमन के लिये सैण्ड हम्प बनाकर।
2. लाइन सं० 4 पर आगमन के लिए स्नैग डेड एण्ड बनाकर अथवा मेन लाइन बनाकर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-11 तक।
3. लाइन सं० 3 पर आगमन के लिये डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-11 तक।

**(घ) निम्न समपार फाटको को सड़क यातायात हेतु बन्द व लाक न कर दिया गया हो:-****अप गाड़ियों के लिए :**

समपार सं० 179 व 180

**डाउन गाड़ियों के लिए:**

समपार सं० 180 तथा लाइन सं० 5 पर सैण्ड हम्प लगाकर लेने के अतिरिक्त समपार सं० 179

**नोट:** गाड़ियों को आने/जाने हेतु कांटे एवं सिगनल पुश बटनों के परिचालन के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' एवं साधारण एवं सहायक नियम 3.38 एवं 3.40 को देखें।

**6.3.1 चालू लाइन पर गाड़ियों का आगमन :**

गाड़ियों के आगमन हेतु स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' अवश्य पढ़ा जाये। जिस गाड़ी का लाइन क्लियर दिया जा चुका है उस गाड़ी के आगमन के लिए स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :

- क. स्टेशन पैनल पर देख लें कि जिन ट्रैक सर्किटों पर आने वाली गाड़ी को गुजरना है उन पर तथा ओवर लैप की ट्रैक सर्किटों पर 'लाल बत्तियां' तो नहीं जल रही हैं।
- ख. पैनल कंट्रोल चाभी पैनल लाक में लगाकर घुमायें ताकि पैनल संचालन की स्थिति में आ जाये।
- ग. आने वाली गाड़ी के लिए वांछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' के अनुसार सिगनल बटन तथा रूट बटन एक साथ दबायें।
- घ. सिगनल के रूट में पड़ने वाले कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।
- ङ. सिगनल के रूट में पड़ने वाले तथा ओवरलैप के ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तियां जल जायेंगी।
- च. स्टेशन पैनल पर देख लें कि प्वाइंट्स के निकट लघु सफेद बत्ती जल गई है जो संबंधित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित आगमन सिगनलों का आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आया है जो गाड़ी के लिये आगमन सिगनलों का आफ होने का सूचक है।
- छ. स्टेशन पैनल पर देख लें कि जब गाड़ी होम सिगनल पार करती है तो आगमन सिगनल "आन" स्थिति में हो गये हैं।
- ज. स्टेशन पैनल को देख लें कि आने वाली गाड़ी जैसे-जैसे ट्रैक सर्किटों पर आती-जाती है वैसे-वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियां बुझकर लाल बत्तियां जल जाती हैं और जैसे-जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे-वैसे लाल बत्तियां बुझ जाती हैं व सफेद बत्तियां फिर जल जाती हैं।

**क्रमशः पृष्ठ 17 पर**

- झ. गाड़ी आगमन के पश्चात कांटों को सामान्य व सहायक नि० 3.38 के अनुसार संरक्षित करेंगे।
- ज. कांटो का अलग-अलग संचालन केवल गाड़ियों को **कालिंग आन** सिगनल पर लेने के लिए किया जायेगा। बाकी सभी सिगनलों का, उनके सिगनल बटन तथा रूट बटन एक साथ दबाने से रूट सेटिंग स्वतः हो जायेगी।

**6.3.2 सिगनल को पुनः "आन" करने के लिए स्टेशन मास्टर का दायित्व :**  
सामान्य एवं सहायक नियम 3.36 के अनुसार स्टेशन मास्टर सिगनल का पुनः आन करना सुनिश्चित करे।

**6.4 एक साथ दो गाड़ियों का आगमन/प्रस्थान, गाड़ियों की क्रासिंग तथा गाड़ियों को प्राथमिकता देना :-**

**6.4.1** इस स्टेशन पर गाड़ियों का आगमन एवं प्रस्थान प्राथमिकता के आधार पर स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' के अनुसार किया जायेगा।

**6.4.2** गाड़ियों के क्रासिंग के समय सबसे बाहरी कांटो को जिन पर से गाड़ी गुजरेगी इस तरह सेट व लाक होना चाहिये कि किसी भी परिस्थिति में गाड़ियाँ एक ही लाइन पर आकर न मिल सकें।

**नोट:** स्टेशन संचालन नियमावली में संलग्न परिशिष्ट "बी" देखें।

**6.5 गाड़ियों का पूर्ण आगमन :**

क. कार्यरत स्टेशन मास्टर स्टेशन पर बिना रुके पास होने वाली गाड़ियों के अन्तिम वाहन के पीछे टेल बोर्ड/टेल लैम्प/टेल लैम्प लाइट को स्वयं देखकर गाड़ी का सम्पूर्ण आगमन सुनिश्चित करेगा।

ख. स्टेशन पर रुकने वाली गाड़ियों का पूर्ण आगमन सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत स्टेशन मास्टर **एक्सल काउन्टर** की लघु हरी प्रकाश बत्ती के द्वारा ब्लाक सेक्शन क्लीयर इण्डिकेशन देखकर सम्बन्धित ब्लाक सेक्शन का क्लीयर होना सुनिश्चित करेंगे।

**( देखें साधारण नियम 4.17 (2)(b) )**

इण्डिकेशन की विफलता की स्थिति में स्टेशन पर रुकने वाली अप गाड़ियों के आगमन की दशा में सम्पूर्ण आगमन सुनिश्चित करने के लिए समपार सं० 179 पर कार्यरत फाटकवाला तथा डाउन गाड़ियों के आगमन की दशा में सम्पूर्ण आगमन सुनिश्चित करने के लिए समपार सं० 180 पर कार्यरत फाटकवाला गाड़ियों के टेल बोर्ड/टेल लैम्प के साथ पास होने और फाउलिंग मार्क साफ होना सुनिश्चित होने के बाद गाड़ी के पूर्ण आगमन की पुष्टि स्वरूप स्टेशन मास्टर को अपना प्राइवेट नं० देगा। सम्पूर्ण आगमन की पुष्टि स्वरूप प्राइवेट नम्बर मिल जाने के उपरान्त ही स्टेशन मास्टर लाइन बंद करेगा तथा समपार सं० 179/180 पर कार्यरत फाटकवाले से प्राइवेट नम्बर न मिलने की दशा में स्टेशन मास्टर सम्पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र पंजिका टी-1410 पर किसी कर्मचारी द्वारा गार्ड से सम्पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र मंगवायेगा।

**(देखें सा० एवं स०नियम 4.17(vii))**

**कमशः पृष्ठ 18 पर**

- ग. दोहरी लाइन पर जब कोई गाड़ी बिना टेल लैम्प/टेल बोर्ड के पास होती है तब स्टेशन मास्टर उस ब्लॉक खंड के बगल की लाइन से गुजरने वाली गाड़ी को रोककर चालक एवं गार्ड को वस्तुस्थिति से अवगत करायेगा एवं सतर्कता पूर्वक चलने एवं किसी अवरोध की दिशा में तत्काल रोक सकने की गति का पालन करने का सतर्कता आदेश तब तक जारी करेगा जब तक कि यह प्रमाणित न हो जाय कि गाड़ी का पिछला विच्छेदित भाग दूसरे लाइन को बाधित नहीं कर रहा है ।

(देखें सा० एवं स०नियम 4.17(vi))

## 6.6 गाड़ियों का प्रस्थान :

### 6.6.1 चालू लाइनों से गाड़ियों का प्रस्थान :

- (क) लाइन क्लीयर स्टेशन मास्टर चुरेब/मगहर स्टेशन से प्राप्त कर लिया गया हो ।
- (ख) स्टेशन पैनल पर अप/डाउन ट्रेन के लिये सम्बन्धित ट्रैक सर्किट की ट्रैक आकुपेंन्सी बत्ती न प्रकाशित हो ।
- (ग) अप/डाउन ट्रेन के लिये स्टेशन पैनल पर सम्बन्धित रुट सेट करने के लिए स्टेशन संचालन नियमावली के परिशिष्ट "बी" के अनुसार सिगनल एवं रुट बटन एक साथ दबाया जायेगा । रुट में पड़ने वाले सभी सम्बन्धित कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे एवं सिगनल "आफ" हो जायेगा । सिगनल आफ होने पर पूरा रुट सफेद प्रकाशित हो जायेगा ।
- (घ) पैनल पर सम्बन्धित कांटे के सेट एवं लाक होने पर कांटे के निकट में सफेद इंडिकेशन मिलना सुनिश्चित करेगा । प्रस्थान होने वाली गाड़ी के प्रस्थान सिगनल का आस्पेक्ट पैनल पर सुनिश्चित करेगा जो कि प्रस्थान सिगनल का आफ आस्पेक्ट का सूचक हो ।
- (ङ.) सम्बन्धित ट्रैक सर्किट का ट्रैक आकुपेंन्सी प्रकाश "लाल" गाड़ी के सम्बन्धित ट्रैक सर्किट पर आने पर प्रकाशित होगा और गाड़ी के गुजरने एवं जाने के पश्चात बुझ जायेगा ।
- (च) गाड़ी के जाने के पश्चात कांटों को उनकी सामान्य स्थिति में कर लें ।
- (छ) जब डाउन गाड़ी को मगहर स्टेशन की ओर चलाना हो तो, स्टेशन मास्टर पैनल अगले ब्लॉक स्टेशन से लाइन क्लीयर प्राप्त करने के बाद पैनल पर स्वयं देख कर सुनिश्चित करेगा कि सम्बन्धित रीसेट बॉक्स पर ट्रैक इन्डिकेशन तथा एडवान्स स्टार्टर सिगनल एवं IBS सिगनल के आगे 400 मी. के बीच ट्रैक साफ है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि गाड़ी के आगे लाइन साफ और अवरोध रहित है तथा प्रस्थान सिगनलों को ऑफ करने की शर्तें पूरी हो, वह सर्वप्रथम IBS सिगनल एवं एडवांस स्टार्टर सिगनल तथा इसके बाद सम्बन्धित स्टार्टर सिगनल को ऑफ करेगा। स्टेशन मास्टर पैनल सुनिश्चित करेगा कि सही सिगनल ऑफ किये गये हो।

क्रमशः पृष्ठ 19 पर

यदि IBS सिगनल के आगे का ब्लॉक सैक्शन गाड़ी द्वारा घिरा हो लेकिन एडवान्स स्टार्टर सिगनल से लेकर IBS सिगनल के आगे 400 मी. तक मध्यवर्ती ब्लॉक सैक्शन का इन्डिकेशन पैनल पर साफ प्रदर्शित हो तब स्टेशन मास्टर पैनल IBS सिगनल तक दूसरी गाड़ी चला सकता है। जैसे ही यह गाड़ी एडवान्स स्टार्टर सिगनल के आगे लगे ट्रैक सर्किट पर से गुजरती है, सिगनल स्वतः वापस ऑन हो जायेगा तथा मध्यवर्ती ब्लॉक सैक्शन (एडवान्स स्टार्टर सिगनल तथा IBS सिगनल के बीच) अवरुद्ध इन्डिकेशन पैनल पर प्रदर्शित हो जायेगा जो ये दर्शाता है कि गाड़ी मध्यवर्ती ब्लॉक सैक्शन में प्रवेश कर चुकी है।

जैसे ही आगे जाने वाली गाड़ी से IBS सिगनल के आगे का ब्लॉक सैक्शन साफ होने का इन्डिकेशन पैनल पर प्रदर्शित हो जाता है तथा "इन रिपोर्ट" प्राप्त हो जाती है, स्टेशन मास्टर पैनल IBS सिगनल तक चलाई गयी गाड़ी के लिये लाक एवं ब्लाक यंत्र पर लाइन क्लीयर प्राप्त करेगा और IBS सिगनल को ऑफ करेगा। जैसे ही गाड़ी IBS सिगनल को पास करती है, स्टेशन मास्टर **खलीलाबाद व मगहर** के कार्यालय में "गाड़ी सैक्शन में" का एक बजर बजने लगेगा। बजर बजना जारी रहेगा जब तक कि स्टेशन मास्टर **मगहर** इसे एकनालेज न कर ले एवं अपने लाक एवं ब्लाक यन्त्र को "ट्रेन आन लाइन" की स्थिति में न कर ले।

**6.6.2 गैर चालू लाइनों/बिना सिगनल वाली लाइनों से गाड़ियों का प्रस्थान:**  
सामान्य एवं सहायक नियम 5.11 के अनुसार कार्य किया जायेगा।

**6.6.3 काशन आर्डर (सतर्कता आदेश) का जारी किया जाना :**  
जब कभी लाइन की मरम्मत हो रही हो या किसी अन्य कारणवश विशेष सावधानी की आवश्यकता हो तो डाइवर और गार्ड (यदि हो) को एक सतर्कता आदेश (टी-409) दिया जायेगा जिसमें इस बात का वर्णन होगा कि किस किलोमीटर में सावधानी आवश्यक है, सावधानी रखने के क्या कारण हैं और गाड़ी किस गति से चलाई जायेगी। यह सतर्कता आदेश उस स्थान से, जहाँ सावधानी आवश्यक है, गाड़ी के रुकने के ठीक पहले स्टेशन पर या अन्य स्टेशनों पर और ऐसी पद्धति से दिया जायेगा जैसे विशेष अनुदेशों के अधीन निर्धारित किया गया है।  
( सा० एवं सहा० नियम 4.09 देखें )

**6.7 गाड़ियों का स्टेशन पर बिना रुके जाना :**

**6.7.1 सामान्यतया गाड़ियां मेन लाइन से साधारण नियम 4.10 एवं साधारण एवं सहायक नियम 4.11 के अन्तर्गत स्टेशन पर बिना रुके जायेगी।** यदि किसी कारणवश मेन लाइन से बिना रुके जाना सम्भव न हो तो गाड़ियों को लूप लाइन सं० 1/4 से निर्धारित गति से बिना रुके जाने की अनुमति है। किसी भी स्थिति में गाड़ी, गुडस लूप लाइन सं० 5 से बिना रुके नहीं जायेगी। लूप लाइन का "आफ" आस्पेक्ट तब तक नहीं आयेगा जब तक कि गाड़ी बर्थिंग ट्रैक पर नहीं आ जाती है। सम्बंधित कांटा व सिगनल पुश बटन को स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट बी के अनुसार संचालित किया जायेगा।

कमशः पृष्ठ 20 पर

- 6.7.2 बिना रुके जाने वाली गाड़ियों को दोनों तरफ से देखना चाहिये। स्टे. मा. स्टेशन भवन के सामने खड़े होकर आल राइट सिगनल स्वयं देगा और आफ साइड से एक कार्यरत स्टेशन कर्मचारी देगा। आल राइट सिगनल का आदान-प्रदान स्टेशन स्टाफ ट्रेन कू व गार्ड के बीच दिन में हरी झण्डी तथा रात में हरी बत्ती द्वारा किया जायेगा।

(सहा.नि. 5.01(5) देखें)

- 6.7.3 दो ट्रेनों के एक साथ बिना रुके जाने की अवस्था में, अथवा अप और डाउन लाइन के मध्य तथा लूप लाइन पर स्थित वाहनो द्वारा स्टेशन की दृश्यता अवरुद्ध होने के कारण जब स्टेशन मास्टर के लिए स्थिर वाहनो को पार कर दूसरी तरफ सीधे जाने वाली गाड़ी से आल राइट सिगनल का आदान-प्रदान करना सम्भव न हो तो स्टेशन मास्टर सीधे जाने वाली गाड़ी के दूसरी तरफ डाइवर व गार्ड से आल राइट सिगनल का आदान-प्रदान करने के लिए एक सक्षम रेल कर्मचारी को वर्दी के साथ नियुक्त करेगा। ऐसी अवस्था में डाइवर तथा गार्ड भी इस प्रकार के सिगनल के लिए गाड़ी के दूसरी तरफ सतत दृष्टि रखेंगे। (देखे साधा. व सहा.नि. 5.01(5)(vii) )

#### 6.8 विफलता के दौरान कार्य पद्धति :

##### 6.8.1 ट्रैक सर्किट की विफलता के मामले में कार्य पद्धति :

ट्रैक सर्किट की विफलता अथवा ट्रैक सर्किट सूचक बल्ब के फ्यूज होने की स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा व्यक्तिगत सत्यापन द्वारा ट्रैक क्लियरेंस सुनिश्चित किया जायेगा। ट्रैक सर्किट की विफलता में अगर कॉटे का संचालन करना हो तो कॉटे का अवरोधरहित होना सुनिश्चित करने के पश्चात आपातकालीन स्टेशन मास्टर चाभी पैनल पर लगाकर घुमाने के बाद ही स्टेशन मास्टर पैनल पर दिये गये आपातकालीन कॉटा संचालन बटन (EWN) के साथ NWWN/RWWN बटन दबायेगे। तत्पश्चात EWN बटन को छोड़ते हुए NWWN/RWWN दबाये हुए ही सम्बन्धित कॉटा बटन WN दबाकर कॉटो को वॉछित दशा में सेट कर क्लैम्प व पैडलाक करने के उपरांत गाड़ी को टी/369(3बी) पर पास करेगा। उपरोक्त प्रक्रिया से कॉटो के सेट न होने पाने की दशा में क्लैन्क हैण्डिल की सहायता से कॉटों को सेट किया जायेगा। स्टेशन मास्टर द्वारा इसकी प्रविष्टि स्टेशन मास्टर डायरी एवं सिगनल विफलता रजिस्टर व वीडर गणक रजिस्टर में की जायेगी एवं सिगनल अनुरक्षक को इस बटन को सील करने हेतु लिखित सूचना दी जायेगी। स्टेशन मास्टर को उपरोक्त कार्यवाही करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी चाहिये।

(सामान्य नियम 3.38(1), 3.40(2), 8.03, 14.13 (1)(2) देखें )

##### 6.8.2 कांटो की विफलता के मामले में कार्य पद्धति :

मोटर कांटों की विफलता की स्थिति में, कांटों की सेटिंग, क्लैक हैण्डिल के उपयोग से की जायेगी। केएलसीआर चाभी को केएलसीआर से निकालने की पद्धति स्टेशन संचालन नियमावली के पैरा 4.1(xiii) एवं कांटो के संचालन की विस्तृत पद्धति परिशिष्ट 'बी' के अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

##### 6.8.3 सिगनल की विफलता के मामले में कार्य पद्धति :

सिगनल की विफलता के मामले में विस्तृत कार्य पद्धति के लिये सामान्य नियम 3.68(1)(2), सहायक नियम 3.68 सामान्य नियम 3.69, सामान्य एवं सहायक नियम 3.70, 3.71, 3.74 व 3.75 देखें ।

कमश: पृष्ठ 21 पर

- 6.8.4 ब्लाक यंत्रों की विफलता के मामले में कार्य पद्धति :**  
ब्लाक यंत्रों की विफलता की स्थिति में गाड़ियों का परिचालन सामान्य एवं सहायक नियम 14.13 के अनुसार किया जायेगा ।
- 6.8.5 एक्सल काउन्टर/एक्सल काउन्टर ब्लाक की विफलता के मामले में कार्य पद्धति :**  
स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' व अनुलग्नक IV देखें ।
- 6.8.6 क्षतिग्रस्त कांटों पर कार्य करने की पद्धति :**  
सामान्य नियम 3.77(1)(2) एवं सहायक नियम 3.77(i) देखें ।
- 6.8.7 अवरुद्ध लाइनों पर गाड़ियों के आगमन की पद्धति :**  
सामान्य नियम 5.09(1)(2)(3) एवं सहायक नियम 5.09(i) देखें ।
- 6.8.8 बिना सिगनल वाली लाइनों पर गाड़ियों के आगमन की पद्धति :**  
सामान्य नियम 5.10(1)(2) एवं सहायक नियम 5.10(i)(ii)(iii) देखें ।
- 6.8.9 शन्ट सिगनल की विफलता पर कार्य करने की पद्धति:-**  
जब शन्ट सिगनल के लिए रूट सेट हो और सिगनल आफ न हो रहा हो और यदि पैनल पर रूट लाइट प्रदर्शित हो चुकी हो तो स्टे.मा. खराब सिगनल पर शन्टिंग को नियन्त्रण करने के उद्देश से हैंड सिगनल देने के लिए रेल सेवक को नियुक्त कर देगा तथा निर्धारित फार्म में चालक को लिखित प्राधिकार देकर हाथ सिगनलों से शन्टिंग संचालन की अनुमति दे सकता है। यदि पैनल पर रूट लाइट नहीं दिखाई दे रही है तो मार्ग में पड़ने वाले सभी कांटों को खराब समझा जाएगा। शन्टिंग प्रभारी व्यक्तिगत रूप से कांटों की सही सेटिंग की जांच करेगा और सभी कांटों को क्लैम्प एवं पैडलाक किए जाने के बाद ही निर्धारित फार्म में चालक को लिखित प्राधिकार देकर हाथ सिगनल द्वारा शन्टिंग कराएगा। ऐसे मामले में स्टे.मा. सुनिश्चित करेगा कि कोई संदेहात्मक संचालन नहीं किया जा रहा है। जैसे ही सिगनल ठीक हो जाये या चालक कार्यमुक्त हो जाये—इन दोनों में जो पहले हो—तो चालक से मेमो वापस लेकर कार्यालय प्रति पर चिपका दिया जायेगा। (देखे सहा.नि 3.68(4)(i)(ii))

- 6.9 ट्रालियों/मोटर ट्रालियों/सामग्री लारियों की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में:**  
सामान्य एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 तथा स्टेशन के संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "एफ" में देखें ।

- 7. लाइन अवरुद्ध होना :**  
सामान्यतः परिचालित लाइन को अवरुद्ध करने की अनुमति नहीं है। परन्तु जब किसी परिचालित लाइन को अवरुद्ध करना ही पड़े तो कार्यरत स्टेशन मास्टर साधारण एवं सहायक नियम 5.19 का पालन करें तथा कार्यरत गाड़ी नियंत्रक से प्राइवेट नं० का आदान प्रदान अवश्य करें ।

**8. शंटिंग :**

- 8.1 सामान्य सावधानियाँ :** सहायक नियम 5.14(1)(2)(3) देखें ।

**8.2 आती हुई गाड़ी के सम्मुख शंटिंग :**

- (i) जब लाइन क्लीयर दिया जा चुका है तो स्टेशन सेक्शन के बाहर कोई अवरोध नहीं होने दिया जायेगा किन्तु स्टेशन सेक्शन के भीतर शंटिंग कार्य लगातार किया जा सकता है परन्तु यह तब जब आवश्यक सिगनल आन रखे जाये ।

क्रमशः पृष्ठ 22 पर

- (ii) जब किसी ऐसी लाइन पर जो पृथक नहीं की गयी है, आने वाली गाड़ी के लिए सिगनल "आफ" किये जा चुके हैं तो शंटिंग कार्य उन कॉटों की तरफ नहीं किया जायेगा जिन पर से आने वाली गाड़ी को गुजरना है ।

(सामान्य नियम 8.05 (2)(3) देखें)

**8.3 (i) शंटिंग पर प्रतिबन्ध :**

- (क) यदि लाइन क्लीयर दिया जा चुका है तो पिछले ब्लॉक सेक्शन में किसी अवरोध की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

(सामान्य नियम 8.06(1) देखें)

- (ख) धुन्ध या कोहरा या किसी भी कारण यदि दृश्यता बाधित हो तो किसी भी गाड़ी का लाइन क्लीयर देने के पश्चात उसके सामने उन लाइनों पर शंटिंग करने की अनुमति नहीं है जो पृथक नहीं है ।

- (ii) कोई अन्य प्रमुख विशेषतायें : – कुछ नहीं –

**8.4 इकहरी लाइन पर शंटिंग :** स्टेशन पर इकहरी लाइन नहीं है ।

**8.5 दोहरी लाइन पर शंटिंग :**

**8.5.1 ब्लॉक बैक :**

पिछले ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग संचालन की स्थिति में, जब किसी गाड़ी के लिए लाइन क्लीयर नहीं दिया गया हो, पिछले ब्लॉक स्टेशन से प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के तहत सेक्शन ब्लॉक बैक करके शंटिंग संचालन किया जायेगा बशर्ते आवश्यक सिगनल को "आन" स्थिति में रखा गया हो। फार्म टी/806 पर शंटिंग आदेश लोको पाइलट को जारी किया जायेगा। ब्लॉक बैक रहने के दौरान ब्लॉक यन्त्र के कम्प्यूटर को "लाइन क्लोज" की स्थिति से सीधे "ट्रेन आन लाइन" पर घुमा दिया जायेगा।

शंटिंग संचालन पूरा हो जाने पर दोनों स्टेशन मास्टर के मध्य प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा सेक्शन क्लीयर किया जायेगा।

( सामान्य नियम 8.06(2), 8.14 एवं 8.15 देखें )

**8.5.2 ब्लॉक फारवर्ड :**

अगले ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग संचालन की स्थिति में, जब किसी गाड़ी के लिए लाइन क्लीयर प्राप्त नहीं किया गया हो, अगले ब्लॉक स्टेशन से प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के तहत सेक्शन ब्लॉक फारवर्ड करके शंटिंग संचालन किया जायेगा बशर्ते फार्म टी/806 पर शंटिंग आदेश लोको पाइलट को जारी किया गया हो जिस पर अन्तिम स्टाप सिगनल "आन" रहने पर उससे गुजरने का प्राधिकार हो। ब्लॉक फारवर्ड रहने के दौरान ब्लॉक यन्त्र के कम्प्यूटर को "लाइन क्लोज" की स्थिति से सीधे "ट्रेन आन लाइन" पर घुमा दिया जायेगा।

शंटिंग संचालन पूरा हो जाने पर दोनों स्टेशन मास्टर के मध्य प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा सेक्शन क्लीयर किया जायेगा।

( सामान्य नियम 8.06(3), 8.14 एवं 8.15 देखें )

**टिप्पणी:** शंटिंग के दौरान रास्ते में पड़ने वाले समपार फाटक सड़क यातायात के विरुद्ध बंद एवं लाक कर दिये जायेंगे ।

**8.5.3 दूर जा रही गाड़ी के पीछे शंटिंग :**

सामान्य नियम 8.14 देखें ।

कमशः पृष्ठ 23 पर

**8.5.4 आई.बी.एस. तक शंटिंग :**

IBS सिगनल तक शंटिंग की अनुमति तभी दी जायेगी जब IBS सिगनल के आगे 400 मी. तक ट्रैक साफ हो और मौसम भी साफ हो। जब IBS सिगनल निलम्बित कर दिया हो तब IBS सिगनल तक शंटिंग उपरोक्त पैरा 8.52 के अनुसार की जायेगी।

**8.5.5 आई.बी.एस. के बाद शंटिंग :**

IBS सिगनल के बाद शंटिंग की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि वह ब्लॉक सेक्शन साफ नहीं है और ब्लॉक फारवर्ड नहीं कर दिया गया है।

**8.5.6 दोहरी लाइन पर ब्लॉक उपकरण खराब होने के दौरान शंटिंग :**

ब्लॉक उपकरण विफलता सम्बन्धी नियमों का पालन करते हुये शंटिंग की जायेगी। ब्लॉक उपकरण विफलता के दौरान गाड़ी के पीछे शंटिंग संचालन पूर्णतः वर्जित है।

**8.6 स्टेशन यार्ड/माल यार्ड से निकलने वाली साइडिंग में शंटिंग :**

यहां पर साइडिंग नहीं है।

**9. असामान्य परिस्थितियाँ :****(क) असामान्य परिस्थितियों में अनुपालन हेतु नियम :**

- (i) स्टेशन पर दिये हुए स्थावर सिगनलों में से किसी के विफल होने की दशा में साधारण एवं सहायक नियम 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.74 व 3.75 में निहित निर्देशों के अनुसार गाड़ियों का संचालन किया जायेगा। ब्लॉक उपकरणों के विफल हो जाने पर लाइन क्लियर संदेश स्टेशन पर उपलब्ध संचार माध्यम पर अधिमानता के क्रम में भेजा जाना चाहिये।

( सा० एवं सहायक नियम का अध्याय-14 एवं परिशिष्ट "घ" देखें )

**टिप्पणी:(अ)** ब्लॉक यंत्र के टेलीफोन से लाइन क्लीयर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से जुड़ जाने की संभावना रहती है।

**(ब)** दुर्घटना की स्थिति में या किसी अन्य कारण से लाइन अवरुद्ध होने पर स्टेशन मास्टर का यह कर्तव्य है कि उस खण्ड को ब्लॉक कर दे और कारण जानने की कोशिश करे और आवश्यकता पड़े तो इंजन से, ट्राली से या सड़क यातायात से या पैदल उस व्यवधान स्थल पर पहुंचे और दुर्घटना मैनुअल एवं साधारण एवं सहायक नियम अध्याय 6 के अनुसार कार्य करें।

**(स)** बिना सिगनल के किसी गाड़ी का आगमन विद्युत चालित कांटों पर हो तो स्टेशन मास्टर का दायित्व होता है कि वह कांटों को सामान्य और विपरीत दिशा चलाकर सही सेटिंग सुनिश्चित करें। जब स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित कर लें कि स्टेशन पैनल पर सामान्य एवं विपरीत का संकेत सही है तभी कांटों पर परिचालन की अनुमति दी जा सकती है। स्टेशन मास्टर द्वारा डायरी में इस जांच को रिकार्ड कर लिया जाना चाहिए।

क्रमशः पृष्ठ 24 पर

(ii) लाइन पर अवरोध या दुर्घटना आदि के मामले में अवरोधित ब्लाक खंड में प्रस्थान आदेश :

दुर्घटना अथवा लाइन के अवरुद्ध होने की स्थिति में, यदि आवश्यक हो, अवरोध के स्थान तक कार्य हेतु गाड़ियों के चलाने का अधिकार टी/ए 602 जिसमें बिना लाइन क्लीयर के जाने का ब्लाक टिकट, प्रस्थान सिगनल आन स्थिति में पास करने का प्राधिकार एवं सतर्कता आदेश समावेशित होगा, पर भेजी जायेगी।

(सा० नियम 6.02 एवं 6.09 देखें।)

(iii) ब्लाक खंड में रुकी हुई गाड़ियाँ :

यदि कोई सवारी गाड़ी किसी स्टेशन पर नियत आगमन समय के 10 मिनट के अन्दर और मालगाड़ी नियत आगमन समय के 20 मिनट के अन्दर न पहुँच सके तो ब्लाक सेक्शन के दोनों ओर के स्टेशन मास्टर को कारण पता करने के लिए किसी रेल सेवक को भेजना चाहिए। दोहरी लाइन पर या बगल में लाइनों के होने पर इस कार्य के लिए यदि उपलब्ध हो तो इंजन उपयोग में लाया जा सकता है।

(सामान्य नियम 6.04 देखें)

(iv) मध्यवर्ती ब्लाक रोक सिगनल के आन होने पर चूक/पासिंग :

गाड़ी चलाने के बाद, IBS सिगनल को ऑफ करने से पहले, कंट्रोल पैनल पर इस उद्देश्य के लिये विशेष रूप से लगाये गये बज़र में घंटी बजने लगती है तथा प्रज्ज्वलित होने वाला लाल इन्डिकेशन प्रदर्शित हो जाता है, इसका अभिप्राय या तो गाड़ी IBS को ऑन स्थिति में पास कर गयी है या IBS सिगनल के आगे का ट्रैक सर्किट विफल हो गया है। ऐसे मामले में, कार्यरत स्टेशन मास्टर यह मानेगा कि गाड़ी IBS सिगनल को ऑन स्थिति में पास कर गयी है तथा वह IBS सिगनल को ऑफ नहीं करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर तुरन्त, अगले स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके गाड़ी न० एवं विवरण के साथ इस सम्बन्ध में सूचित करेगा। IBS सिगनल बटन पर स्मारक कॉलर अवश्य लगाया जाना चाहिये। इसकी सूचना खण्ड नियन्त्रक को भी दी जायेगी तथा रजिस्टर में भी इसकी प्रविष्टि अवश्य की जायेगी। कार्यरत स्टेशन मास्टर, कंट्रोल पैनल पर दिये गये सम्बन्धित पुश बटन ( IBS सिगनल के लिये ACK पुश बटन) को दबाकर बज़र को बन्द कर सकता है। यदि लाल इन्डिकेशन लगातार प्रदर्शित हो रहा है तब दोनों तरफ के स्टेशन मास्टर आपसी सहयोग से IBS सिगनल एक्सिल काउन्टर को रीसेट करेगा। उस दिशा के पैनल को नॉर्मल नहीं किया जायेगा तथा अगले स्टेशन से पुनः लाइन क्लीयर भी नहीं लिया जायेगा जब तक कि IBS सिगनल को ऑन स्थिति में पास करने वाली गाड़ी अगले ब्लॉक स्टेशन पर पूरी न आ चुकी हो तथा अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा प्राइवेट नम्बर के साथ गाड़ी का पूर्ण आगमन सुनिश्चित न कर दिया गया हो।

जब भी गाड़ी लेने वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को गाड़ी भेजने वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नम्बरों के आदान प्रदान के अन्तर्गत यह सूचना मिलती है कि गाड़ी IBS सिगनल को ऑन की स्थिति में पास कर गयी है तब वह तुरन्त यह सुनिश्चित करेगा कि यदि कोई गाड़ी आगे आ रही है, उसे आगमन सिगनल पर नहीं रोका जाये तथा आगमन सिगनल को तुरन्त ऑफ कर दिया जाये।

क्रमशः पृष्ठ 25 पर

इस गाड़ी के आने के बाद, उसके लिये ऑफ किये गये आगमन सिगनलो को तुरन्त ऑन की हालत में वापस करने के बाद बचाव के लिये कांटो को साफ लाइन के लिये बदल दिया जाये।

पैनल को नॉर्मल स्थिति में नहीं किया जायेगा तथा पिछले स्टेशन को पुनः लाइन क्लीयर नहीं दिया जायेगा जब तक कि IBS सिगनल को ऑन की स्थिति में पास करने वाली गाड़ी पूरी न आ चुकी हो तथा गाड़ी भेजने वाले कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट न० के साथ सूचित न कर दिया गया हो।

(v) एक्सल काउन्टर ब्लाक/बी पी ए सी की खराबी :  
स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' व अनुलग्नक IV देखें।

(vi) एम.टी.आर.सी. में खराबी :  
स्टेशन पर प्रावधान नहीं है।

(ख) कैंक हैण्डिल द्वारा कांटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्यविधि :

- (i) आपात स्थिति में मोटर संचालित कांटों को कैंक हैण्डिल से संचालन का विस्तृत विवरण परिशिष्ट "बी" के अनुलग्नक-1 में दिया गया है।
- (ii) ट्रैक सर्किट की विफलता की स्थिति में कांटों का आपात संचालन या रूट रिलीज कराने हेतु सामान्य नियम 3.39 एवं 3.77 देखें।

(ग) कालिंग आन सिगनल परिचालन से पूर्व रेलपथ के क्लीयरेंस का प्रमाणन :  
ट्रैक सर्किट के विफल होने पर कालिंग आन सिगनल को आफ करने के पूर्व कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा मार्ग की सही सेटिंग एवं बाधारहित होने की व्यक्तिगत रूप से जांच की जायेगी जिस पर से गाड़ी गुजरना है।

(घ) कांटो, ट्रैक सर्किट/एक्सल काउन्टर और अन्तर्पाशन की खराबी की रिपोर्ट :

- (i) जब भी स्टेशन पर कांटो, ट्रैक सर्किट/एक्सल काउन्टर या कोई अन्य अन्तर्पाशन गियर में खराबी पायी जाती है तो उसकी रिपोर्ट कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा सम्बन्धित कार्यरत सिगनल अनुरक्षण कर्मचारी जो इस खराबी को ठीक करने के लिए उत्तरदायी है, को की जाये तथा उस खराबी के ठीक होने के बाद सिगनल अनुरक्षक से केवल लिखित मेमो प्राप्त होने पर ही स्टेशन मास्टर द्वारा कार्य प्रणाली को पुनः सामान्य स्थिति में लाया जाये।
- (ii) खण्ड के नियंत्रक को संदेश देने के साथ इस खराबी को सिगनल विफलता रजिस्टर में भी दर्ज किया जाये।

(ङ.) आई.बी.एस. सिगनलिंग को निम्न परिस्थितियों में बन्द/स्थगित समझा जायेगा:

- (i) दोहरी लाइन पर अस्थाई इकहरी लाइन कार्यप्रणाली के दौरान।
- (ii) इण्टरमीडिएट ब्लाक स्टाप सिगनल की विफलता होने पर।
- (iii) आई.बी.एस. के डिस्टेन्ट सिगनल का 'आफ' स्थिति में विफल होने पर।
- (iv) ब्लाक यन्त्र की विफलता होने पर।
- (v) ट्रैक सर्किट/एक्सल काउन्टर की विफलता होने पर।
- (vi) सभी संचार साधनों के विफलता होने के दौरान।

**नोट:-** उपरोक्त परिस्थितियों में सम्बन्धित सेक्शन को एक ब्लाक खण्ड मानते हुए गाड़ी का संचालन किया जायेगा।

**9.1 संचार साधनों की पूर्ण विफलता :-**

दो स्टेशनों के बीच संचार साधनों की पूर्ण विफलता होने के दौरान अर्थात् जब निम्न साधनों में से जो कि प्राथमिकता के क्रम में दिये गये हैं उदाहरणार्थ :-

- (i) ब्लाक उपकरण, ट्रैक सर्किट या एक्सल काउन्टर

**कमशः पृष्ठ 26 पर**

- (ii) ब्लाक उपकरण से सम्बन्धित टेलीफोन
- (iii) स्टेशन से स्टेशन तक स्थिर टेलीफोन
- (iv) स्थिर टेलीफोन जैसे रेलवे आटो टेलीफोन व बी.एस.एन.एल. टेलीफोन।
- (v) कंट्रोल टेलीफोन।
- (vi) वी एच एफ सेट विशेष अनुदेशों के अधीन
  - (क) प्राथमिकता का क्रम जैसा कि ऊपर दिया गया है का उल्लंघन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।
  - (ख) वी०एच०एफ०सेट द्वारा लाइन क्लियर का आदान-प्रदान करते समय वी०एच०एफ०सेट के प्रयोग हेतु विशेष अनुदेशों का पालन किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त किसी के भी द्वारा 'आगमन अनुमति' प्राप्त न हो सके, तो गाड़ियों को पास करने के लिये अधोलिखित क्रियाविधि अपनायी जायेगी :-

**9.1.1 इकहरी लाइन खण्ड में संचार साधनों की विफलता की स्थिति में :**  
स्टेशन पर इकहरी लाइन नहीं है ।

**9.1.2 दोहरी लाइन खण्ड में संचार साधनों की विफलता की स्थिति में :**

- (अ) ऐसी दशाओं में प्रभावित ब्लाक स्टेशन में किसी भी गाड़ी को अगले ब्लाक सेक्शन में प्रवेश करने की आज्ञा देने से पहले उसे स्टेशन पर रोक दिया जायेगा तथा गार्ड और ड्राइवर को स्टेशन मास्टर द्वारा परिस्थितियों से अवगत कराया जायेगा ।
- (ब) स्टेशन मास्टर प्रत्येक गाड़ी के ड्राइवर को निर्धारित फार्म टी/सी 602 पर डबल लाइन खंड पर संचार साधनों की विफलता की दशा में कार्य करने हेतु एक प्राधिकार देगा जिसमें निम्नलिखित समावेशित होगा :
  - (i) बिना लाइन क्लियर प्रस्थान प्राधिकार ।
  - (ii) सीधी लाइन पर 25 कि०मी० प्रति घंटे के प्रतिबन्ध तथा जहाँ गोलाई, रुकावट, वर्षा, कुहरे या किसी अन्य कारण से लाइन के आगे का भाग स्पष्ट नहीं दिखलाई पड़े तो उस भाग, पर पहुँचते हुए या उस पर गुजरते हुए 10 कि०मी० प्रति घंटे के प्रतिबन्ध का सतर्कता आदेश ।
  - (iii) अन्तिम रोक (स्टॉप) सिग्नल, को आन स्थिति में पार करने के लिए प्राधिकार ।

( सामान्य एवं साधारण नियम परिशिष्ट "ख" का भाग-। देखें )

**9.2 दोहरी लाइन पर अस्थायी रूप से इकहरी लाइन कार्य पद्धति :**

**9.2.1 संचार साधनों के पूर्णतया अवरुद्ध हो जाने के दौरान इकहरी लाइन प्रणाली से कार्य करना :**

सामान्य एवं सहायक नियम का परिशिष्ट "ख" भाग-III में निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य किया जायेगा ।

**9.2.2 दोहरी लाइन खण्ड में एक लाइन अवरुद्ध हो जाने पर इकहरी लाइन कार्य चालन के नियम :**

जब कभी किसी गाड़ी या रेलपथ के दुर्घटनाग्रस्त होने या किसी दूसरी रुकावट के कारण दोहरी लाइन के किसी एक लाइन का उपयोग नहीं हो पाता है तो यातायात का परिवहन अस्थायी तौर पर सामान्य एवं सहायक नियम परिशिष्ट "ख" भाग-IV के अनुसार किया जायेगा ।

कमश: पृष्ठ 27 पर

**9.3 बिना लाइन क्लीयर प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटनाग्रस्त/क्रिपिल्ड गाड़ी के सहायतार्थ गाड़ी का प्रस्थान :**

सामान्य एवं सहायक नियम 6.02 के अनुसार कार्य किया जायेगा ।

**10. दृश्यता परीक्षण लक्ष्य :**

**क. चुरेब छोर :**

प्लेटफार्म पर निर्दिष्ट स्थान से दिन और रात्रि में अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-4 की बत्ती ।

**ख. मगहर छोर :**

प्लेटफार्म पर निर्दिष्ट स्थान से दिन और रात्रि में डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-5 की बत्ती ।

(विशेषकर सामान्य एवं सहायक नियम 3.61 देखें)

**11. स्टेशन पर आवश्यक उपकरण :**

स्टेशन संचालन नियम परिशिष्ट 'ई.' देखें।

**12. कोहरा होने पर बुलाये जाने वाले नामित फाग सिगनल मैन :**

(i) कोहरे, आंधी या धुंध के मौसम में जब दृश्यता परीक्षण लक्ष्य दिखाई न पड़े तो कार्यरत स्टेशन मास्टर स्वयं तसल्ली कर लेगा कि सिगनल जल रहे है । इसके बाद एक एक प्रशिक्षित व्यक्ति को दोनों दिशाओं में पटाखे लगाने के लिए कोहासा सिगनल खम्भों के पास भेजेगा। यह खम्भे इस स्टेशन के प्रथम रोक सिगनल से 270 मीटर पीछे अर्थात बाहर की ओर गड़े है। स्टेशन पर फाग सिगनल मैनों का नाम, फाग सिगनल रजिस्टर में लिखा जायेगा तथा नामांकित फाग सिगनल मैनों को ही धुन्ध या कोहरे के मौसम में इस्तेमाल किया जायेगा । कार्यरत स्टेशन मास्टर जैसे ही कार्यवाही करने की आवश्यकता हो, वह तुरन्त स्टेशन के दो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो ड्यूटी पर न हो बुलायेगा अन्यथा प्रखंड के रेल पथ निरीक्षक से दो प्रशिक्षित गैगमैनों को फाग सिगनल मैन की जगह प्रतिनियुक्त करने का आग्रह करेगा । फाग सिगनल मैन रेलवे के स्थायी कर्मचारी होने चाहिए न कि एवजी कर्मचारी ।

(ii) स्टेशन में निर्धारित प्रपत्र पर स्टेशन पटाखा रजिस्टर रखना आवश्यक है । जिसमें कार्यरत फाग सिगनल मैन का नाम, कार्य की अवधि, पटाखों का स्टाक प्रत्येक फाग सिगनल वाले के साथ कितने पटाखें भेजे गये, प्रत्येक गाड़ी की संख्या जिसके नीचे पटाखे प्रयोग किये गये,बचे हुए पटाखों की संख्या और प्रयोग किये गये पटाखों के खोल (साथ ही जो पटाखें न फटे हो) कार्यरत स्टेशन मास्टर को फाग सिगनलमैन द्वारा वापस किये गये का ब्योरा देना होगा ।

(iii) कार्यरत स्टेशन मास्टर को स्टेशन पटाखा रजिस्टर में सभी लोगों के जो पटाखा फाग सिगनल मैन और या उनकी जगह इस स्टेशन पर फाग सिगनल मैन प्रतिनियुक्ति किये गये हो के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेना आवश्यक है। जिससे ज्ञात होगा कि वे गाड़ी के लिए फाग सिगनल लगाने के नियमों को समझते हैं ।

(दृश्यता परीक्षण स्थल, पटाखा लगाने का स्थान, स्टेशन पटाखा रजिस्टर एवं फाग सिगनल मैन हेतु विस्तृत निर्देशों हेतु सामान्य एवं सहायक नियम 3.61 एवं परिशिष्ट "क" देखें )

**परिशिष्ट की सूची :**

1. परिशिष्ट 'ए' समपार फाटकों की कार्यप्रणाली ।
  2. परिशिष्ट 'बी' सिगनलिंग एवं अन्तर्पाशन कार्यप्रणाली तथा स्टेशन पर संचार व्यवस्था ।
- अनुलग्नक-I मोटर प्वाइंट मशीन का कैंक हैण्डिल द्वारा संचालन ।

कमशः पृष्ठ 28 पर

- अनुलग्नक-II कलर लाइट सिगनलों को प्रकाशित करने की व्यवस्था ।  
 अनुलग्नक-III दोहरी लाइन लाक एवं ब्लाक उपकरण का विवरण ।  
 अनुलग्नक-IV ड्यूल एस.एस.डी.ए.सी. की कार्यविधि ।
3. परिशिष्ट 'सी' टक्कर रोधी उपकरण ।
  4. परिशिष्ट 'डी' कर्मचारियों के कर्तव्य ।
  5. परिशिष्ट 'ई.' स्टेशन पर आवश्यक उपकरण ।
  6. परिशिष्ट 'एफ' डी के स्टेशन, हाल्ट, आई.बी.एच., आई.बी.एस. और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम ।
  7. परिशिष्ट 'जी' विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के लिये नियम ।

नोट : क. इन नियमों को किसी भी स्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके अथवा सुधार करके न पढ़ा जाये ।

ख. उपर्युक्त अनुच्छेद में कुछ साधारण एवं सहायक नियमों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है । नियम सम्पूर्ण नहीं है सभी अन्य साधारण और सहायक नियमों पर अन्य विशेष आदेशों या प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों का पालन दृढ़ता से किया जाये ।

-----

## परिशिष्ट 'ए'

## भाग - 4

खलीलाबाद तथा मगहर स्टेशनो के मध्य स्थित "सी" श्रेणी के इन्जीन  
समपार फाटक सं० 176 के संचालन हेतु अनुदेश

टिप्पणी:- इन अनुदेशों को पढ़ते समय इस समपार का आरेख सं० वमंसिदूई/ल.जं/2023  
(आर०डी०)/21 दि० 10.04.23 देखें।

## 1. विवरण

## 1.1 सामान्य :-

|    |                                          |                                          |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | समपार फाटक सं०                           | 176 "सी"                                 |
| 2  | इंजीनियरिंग/यातायात फाटक                 | इंजीनियरिंग                              |
| 3  | किसके अधीन स्टेशन अधीन/रेलपथ निरीक्षक    | सी०से०इन्जी०/पी०वे०/पश्चिम/गोरखपुर       |
| 4  | किलोमीटर पर स्थित                        | 535/2-3                                  |
| 5  | स्टेशन पर                                | खलीलाबाद                                 |
| 6  | स्टेशनों के मध्य                         | खलीलाबाद - मगहर                          |
| 7  | बी०जी०/एम०जी०/एन०जी०                     | बी०जी०                                   |
| 8  | इकहरी लाइन/दोहरी/मिश्रित लाइन            | दोहरी लाइन                               |
| 9  | सामान्य स्थिति                           | सड़क यातायात के लिये खुला                |
| 10 | इण्टरलाकड/नान-इण्टरलाकड                  | इण्टरलाकड                                |
| 11 | इण्टरलाकिंग का प्रकार                    | गेट सिगनल से इण्टरलाकड                   |
| 12 | गेट सिगनलों का प्रावधान का कि०मी०        |                                          |
|    | अप दिशा-                                 | 535/0-1                                  |
|    | डाउन दिशा-                               | 535/4-5                                  |
| 13 | संकेतन व्यवस्था                          | कलर लाइट सिगनल                           |
| 14 | संचार साधन टेलीफोन/घण्टी इत्यादि         | टेलीफोन                                  |
| 15 | समपार फाटक की चौड़ाई                     | 7.50 मीटर                                |
| 16 | सड़क का प्रकार(एन०एच०/एस०एच०/अन्य)       | अन्य                                     |
| 17 | सड़क का नाम                              | ग्रामीण सड़क                             |
| 18 | पक्का/कच्चा                              | पक्का                                    |
| 19 | पहुँच मार्ग                              | उपलब्ध                                   |
| 20 | सड़क की चौड़ाई                           | 7.50 मीटर पक्की                          |
| 21 | सड़क की कासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिये) | -                                        |
|    | पूर्व/उत्तर की तरफ                       | 90°                                      |
|    | पश्चिम/दक्षिण की तरफ                     | 90°                                      |
| 22 | सड़क की ढाल यदि कोई हो                   | -                                        |
|    | पूर्व/उत्तर की तरफ                       | 1 : 18                                   |
|    | पश्चिम/दक्षिण की तरफ                     | 1 : 20                                   |
| 23 | सड़क की सीधाई (सीधा/गोलाई)               | सीधी                                     |
|    | पूर्व/उत्तर की तरफ                       | सीधा                                     |
|    | पश्चिम/दक्षिण की तरफ                     | सीधा                                     |
| 24 | हाईट गेज का प्रावधान                     | है                                       |
| 25 | बैरियर का प्रकार                         | इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर |
| 26 | चेक रेलो की लम्बाई                       | 9.50 मीटर                                |

|    |                                                     |                  |
|----|-----------------------------------------------------|------------------|
| 27 | समपार के मध्य सड़क की सतह                           | समतल             |
| 28 | रम्बल स्ट्रिप/गति अवरोध की लम्बाई                   | 5.25 मीटर        |
| 29 | रोड साइन                                            | उपलब्ध           |
| 30 | गति अवरोधक बोर्ड                                    | उपलब्ध           |
| 31 | टी0वी0यू0                                           | 19980 अगस्त 2021 |
| 32 | अगली गणना की तिथि                                   | अगस्त 2024       |
| 33 | पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान                | उपलब्ध           |
| 34 | गेटमैनों की संख्या                                  | दो               |
| 35 | निकटतम रेलवे चिकित्सा सहायता केन्द्र                | बस्ती            |
| 36 | निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो। | खलीलाबाद         |
| 37 | उपलब्ध उपकरणों की सूची हों / नही                    | उपलब्ध है        |

## 1.2 उपकरण :-

| क्रम | विवरण                                                            | मात्रा                            |
|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1    | ट्राई कलर टार्च/फलैशिंग टेल लैम्प                                | 03                                |
| 2    | हरी हाथ झण्डी                                                    | 01 (डण्डे में लगा हुआ)            |
| 3    | लाल हाथ झण्डी                                                    | 03 (डण्डे में लगा हुआ)            |
| 4    | बैनर फ्लैग लाल                                                   | 03                                |
| 5    | लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट                                  | 02                                |
| 6    | तालों के साथ अतिरिक्त चैन( जंजीर)                                | 02 अदद 'स्टाप चिन्ह' के साथ       |
| 7    | पटाखा सिगनल                                                      | 10                                |
| 8    | टामी बार                                                         | 01                                |
| 9    | मोर्टार पैन ( तसला )                                             | 01                                |
| 10   | फावड़ा/बेल्चा                                                    | 01                                |
| 11   | दुरमुट                                                           | 01 (पक्की सतह के लिए आवश्यक नहीं) |
| 12   | पिक एक्स                                                         | 01 (पक्की सतह के लिए आवश्यक नहीं) |
| 13   | टिन केस झण्डी के लिये                                            | 01                                |
| 14   | कैन मिटटी के तेल हेतु                                            | 01                                |
| 15   | बाल्टी/पानी पीने का बर्तन                                        | 01                                |
| 16   | टिन केस मस्टर शीट के लिये                                        | 01                                |
| 17   | चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते हैं ( दृष्टि वाला )        | 01                                |
| 18   | गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम | 01                                |
| 19   | टोकरी                                                            | 01                                |
| 20   | सीटी                                                             | 01                                |
| 21   | दीवार घड़ी                                                       | 01                                |
| 22   | छोटी चैन ताला चाभीयुक्त                                          | 02                                |

## 1.3 गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख :-

1. गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में।
2. गेटमैन नियम पुस्तिका हिन्दी भाषा में।
3. पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची।
4. ड्यूटी रोस्टर।
5. गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण-पत्र।
6. गेटमैन का बायोडाटा, नेत्र जाँच, प्रारम्भिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि।
7. दुर्घटना रजिस्टर।
8. समपार फाटक पर अन्तिम गणना का अभिलेख।
9. निरीक्षण एवं आश्वासन पुस्तिका।
10. जन परिवाद पुस्तिका।
11. संकेत एवं दूर संचार पंजिका।

## 1.4. समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश :-

(क) संचालन पद्धति :-

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करने के लिये एक जोड़ा लिफ्टिंग बैरियर, की व्यवस्था है। समपार फाटक पर प्रवेश रोकने वाला बैरियर तथा निकासी रोकने वाला बैरियर { बैरियर सं० बी-1 एवं बी-2 } हैं।

पुश बटन या हैण्ड जनरेटर से **इलेक्ट्रिक** लिफ्टिंग बैरियरों को संचालित करने के लिये गेट लाज में एक आपरेटिंग पैनल की व्यवस्था है। पैनल पर गेट से सम्बन्धित बूम को बन्द करने के लिए क्लोज बटन एवं खोलने के लिए ओपेन बटन का प्रावधान है। पैनल से सम्बन्धित दोनों बूम के बन्द एवं लाक सुनिश्चित करने के लिये आपरेटिंग पैनल पर दो { बैरियर सं० बी-1 तथा बी-2 } लाल रंग का **बूम लाक प्रूविंग इन्डीकेशन** है। **इलेक्ट्रिक** लिफ्टिंग बैरियरों को पुश बटन, हैण्ड जनरेटर या मैकेनिकल रूप से संचालित किया जा सकता है।

पुशबटन एवं हैण्ड जनरेटर से संचालन विफल होने की दशा में मैकेनिकल संचालन के समय बारी-बारी से प्रत्येक बैरियर को चलाने के लिये एक कैंक हैण्डिल की व्यवस्था है।

(ए) पुश बटन द्वारा समपार का संचालन:(क) समपार फाटक को बंद करना :

- (i) पैनल के आन/आफ स्विच को "आन" स्थिति में रखें।
- (ii) पैनल के बैरियर-1 एवं बैरियर-2 के स्विच को "आन" स्थिति में रखें।
- (iii) पैनल के आटो/मैनुअल स्विच को आटो स्थिति में रखें।
- (iv) आपरेटिंग पैनल द्वारा क्लोज बटन दबाकर दोनों बूम को { बैरियर सं० बी-1 एवं बी-2 } बन्द करें। क्लोज बटन दबाते ही एक हुटर बजने लगेगा और बूम आपरेट होगा। बूम के बन्द होने एवं स्वतः लाक होने के पश्चात, बूम लाक प्रूविंग का लाल इन्डीकेशन आपरेटिंग पैनल पर मिलने पर बटन छोड़ें।
- (v) आपरेटिंग पैनल पर दोनों बूम लाक प्रूविंग का लाल इन्डीकेशन मिलने पर अप गेट सिगनल सं० '4' को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं० 4 को 'आर' पोजीशन में घुमाते हैं तथा डाउन गेट सिगनल सं० '3' को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं० 3 को 'आर' पोजीशन में घुमाते हैं।

(ख) खोलने हेतु :

- (i) समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त कार्यरत गेटमैन गेट सिगनल को आन करने के लिये सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमायेगा। सम्बन्धित सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमाने के बाद गेट लाज पर लगे आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का **सफेद** इन्डीकेशन मिल जायेगा।
- (ii) आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का **सफेद** इन्डीकेशन प्राप्त होने के बाद दोनों बूम को खोलने के लिए आपरेटिंग पैनल पर उपलब्ध ओपेन बटन को तब तक दबाए जब तक कि पैनल पर बूम का ओपेन इन्डीकेशन न मिल जाए।

(बी) पुश बटन विफलता की स्थिति में हैण्ड जनरेटर से समपार का परिचालन:(क) बन्द करने हेतु :-

- (i) पैनल के आन/आफ स्विच को "आन" स्थिति में रखें।
- (ii) पैनल के आटो/मैनुअल को मैनुअल स्थिति में रखें।
- (iii) सर्वप्रथम आपरेटिंग पैनल पर लगे हैण्ड जनरेटर के कैंक को क्लाक वाइज दिशा में तब तक घुमायें जब तक कि दोनों बूम [बी1 व बी2] आपरेट होकर बन्द

एवं स्वतः लाक न हो जायें तथा आपरेटिंग पैनल पर दोनो बूम लाक प्रूविंग का लाल इण्डीकेशन आपरेटिंग पैनल पर न मिल जाये।

- (iv) आपरेटिंग पैनल पर दोनों बूम लाक प्रूविंग का लाल इण्डीकेशन मिलने पर अप गेट सिगनल सं० '4' को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं० '4' को 'आर' पोजीशन में घुमाते हैं तथा डाउन गेट सिगनल सं० '3' को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं० '3' को 'आर' पोजीशन में घुमाते हैं।

(ख) खोलने हेतु

समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त कार्यरत गेटमैन गेट सिगनल को आन करने के लिये सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमायेगा। सम्बन्धित सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमाने के बाद गेट लाज पर लगे आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का सफेद इण्डीकेशन मिल जायेगा।

- (i) पैनल के आन/आफ स्विच को "आन" स्थिति में रखे।  
(ii) पैनल के आटो/मैनुअल स्विच को मैनुअल स्थिति में रखें।  
(iii) सर्वप्रथम आपरेटिंग पैनल पर लगे हैण्ड जनरेटर के क्रैन्क को एण्टी क्लाक वाइज दिशा में तब तक घुमायें जबतक कि बूम पूरा न खुल जायें। गेट पूरा खुल जाने पर आपरेटिंग पैनल पर गेट ओपन इण्डीकेशन मिल जायेगा।

(सी) पुश बटन एवं हैण्ड जनरेटर की विफलता के समय :-

(क) समपार का बन्द करने हेतु परिचालन:

- (i) इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर की विफल होने की दशा में 'सी.एच.जी.1' क्रैन्क हैण्डिल का प्रयोग किया जायेगा जो सामान्यतया 'केएलसीआर' में लाकड रहता है। 'सीएचजी.1' नियंत्रण स्विच को रिलीज स्थिति में करने पर केएलसीआर पर रिलीज (लाल प्रकाश) जलने लगता है। तब कार्यरत गेटमैन लाल इण्डीकेशन के पास लगे पुश बटन को दबाकर 'सीएचजी.1' क्रैन्क हैण्डिल को निकालेगा।
- (ii) गेटमैन लोकेशन के पास आयेगा और क्रैन्क हैण्डिल लगाने के लिए ढक्कन को खोलेगा जिससे क्रैन्क हैण्डिल लगाने के लिए "नाच" दिखाई पड़ेगी। जिससे क्रैन्क हैण्डिल को लगाकर क्लाक वाइज दिशा में आवश्यकतानुसार चलायेगा। यही प्रक्रिया दोनों बैरियरों के लिए की जायेगी। बैरियर को क्रैन्क हैण्डिल से बन्द करने के पश्चात् बूम लाक कवर के साइड में बने लाक को पैनल चाभी द्वारा खोलेगा जिससे बूम लाक कवर के साइड में "नाच" दिखाई पड़ता है। "नाच" में बूम लाक क्रैन्क हैण्डिल लगाकर बैरियर को लाक करेगा। यही प्रक्रिया दोनों बैरियरों को बन्द करने के पश्चात् दोनों बूम लाक पर की जायेगी। संचालन पूर्ण हो जाने के बाद चाभी 'सीएचजी.1' को वापस केएलसीआर में लगा देगा और सीएचजी.1 स्विच को लाक स्थिति में कर देगा और सूचना कार्यरत स्टेशन मास्टर को देगा।
- (iii) दोनों बैरियरों के बन्द होने के पश्चात् अप गेट सिगनल सं० '4' को "आफ" करने हेतु सिगनल स्विच सं० '4' को 'आर' पोजीशन में घुमाते हैं तथा डाउन गेट सिगनल सं० '3' को "आफ"

करने हेतु सिगनल स्विच सं0 '3' को 'आर' पोजीशन में घुमाते हैं।

(ख) समपार को खोलने हेतु परिचालन:

समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त कार्यरत गेटमैन गेट सिगनल को आन करने के लिये सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमायेगा। सम्बन्धित सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमाने के बाद गेट लाज पर लगे आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का सफेद इण्डिकेशन मिल जायेगा। सर्वप्रथम बूम लाक को रिलीज किया जायेगा तत्पश्चात क्रेन्क हैण्डिल द्वारा बैरियर को खोला जायेगा।

(डी) सीएचजी.1 केएलसीआर नियंत्रण स्विच:

गेट पर सीएचजी.1 क्रेन्क हैण्डिल के नियंत्रण के लिए एक स्विच गेटलाज पर लगाया गया है। इस स्विच की दो स्थितियां लाक एवं रिलीज है। सीएचजी.1 नियंत्रण स्विच को रिलीज स्थिति में करने पर केएलसीआर पर रिलीज का (लाल प्रकाश) जलने लगता है। तब गेटमैन लाल इंडिकेशन के पास लगे पुश बटन को दबाकर 'सीएचजी.1' क्रेन्क हैण्डिल को निकालेगा।

(ई) स्लाइडिंग बूम बैरियर की संचालन पद्धति :-

(अ) समपार बन्द करने हेतु:-

1. जब समपार फाटक को इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर की विफलता या किसी अन्य कारण से इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर द्वारा न बन्द किया जा सके तब समपार को स्लाइडिंग बूम बैरियर को खींचकर बन्द किया जायेगा।
2. स्लाइडिंग बूम बैरियर द्वारा समपार को बन्द करने से पूर्व स्टेशन मास्टर/ गेटमैन के बीच अलग से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान किया जायेगा।
3. स्लाइडिंग बूम बैरियरों के लाकिंग पार्ट की तरफ क्रमशः चाभी बी1-बी2 वेल्ड है। 2वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में संगत चाभी बी1-बी2 को लगाकर घुमाने से स्लाइडिंग बूम बैरियर लाक हो जायेंगे तथा क्रमशः चाभी के1 एवं के2 रिलीज हो जायेगी। स्लाइडिंग बूमों को पूरी तरह से सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करने के उपरान्त 2वें लाकअप बाक्स से रिलीज चाभी के1 एवं के2 को गेटलाज में लगे 3वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगाकर घुमाने पर चाभी 'के' रिलीज होगी तथा कार्यरत गेटमैन इस चाभी को गेटलाज में लगे के0एल0सी0आर0 में लगाकर घुमायेगा, जिससे गेटमैन के आपरेटिंग पैनल पर स्लाइडिंग बूम बैरियर के बन्द होने के बाद लाक होने का इन्डिकेशन प्राप्त हो जायेगा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि स्लाइडिंग बूम बैरियर लाक हो गये है इसके पश्चात् अप गेट सिगनल सं0 '4' को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं0 '4' को 'आर' पोजीशन में घुमायेगा तथा डाउन गेट सिगनल सं0 '3' को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं0 '3' को 'आर' पोजीशन में घुमायेगा।

(ब) समपार खोलने हेतु :-

गाड़ी के पूरी गुजर जाने के बाद गेटमैन समपार फाटक को सड़क यातायात हेतु खोलने के लिये सिगनल स्विच को नार्मल करेगा इसके उपरान्त गेटमैन चाभी 'के' के.एल.सी.आर. से निकालकर 3वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगायेगा। चाभी 'के' 3वे लाक अप बाक्स में लगाने पर चाभी के1 एवं के2 मुक्त होगी। 3वे लाक अप बाक्स से रिलीज चाभी के1 एवं के2 को 2वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगाकर घुमाकर संगत बूमों की चाभी बी1 एवं बी2 को रिलीज

करेगा इसके उपरान्त गेटमैन इस चाभी की सहायता से स्लाइडिंग बूम बैरियर को खोलकर समापर को सड़क यातायात के लिये खोल देगा।

(ख) गेटमैन को सूचना :-

- (i) कार्यरत स्टेशन मास्टर अप गाड़ियों को लाइन क्लियर देने से पहले तथा डाउन गाड़ियों के लिये प्रस्थान प्राधिकार देने से पहले टेलीफोन द्वारा कार्यरत गेटमैन को समापर बन्द व लाक करने हेतु निम्न सूचनाएं देगा एवं स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्न प्रारूप में आवश्यकतानुसार रजिस्टर भरेंगे :-

सामान्य स्थिति में :-

| तिथि | गाड़ी संख्या व विवरण | समापर को बन्द करने हेतु सूचना देने का समय | गेट से गाड़ी पास होने का सम्भावित समय | कार्यरत गेटमैन द्वारा गेट बंद करके सिगनल आफ करने का समय | स्लाइडिंग बूम से कार्य करते समय प्रा.नं0 का आदान प्रदान | गेटमैन का प्रा.नं0 | स्टेमा का प्रा.नं. | समापर से गाड़ी के सम्पूर्ण पास होने का समय | स्टेशन मास्टर / गेटमैन का हस्ताक्षर | टिप्पणी |
|------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 1    | 2                    | 3                                         | 4                                     | 5                                                       | 6                                                       | 7                  | 8                  | 9                                          | 10                                  |         |

गेट विफल होने की स्थिति में :-

इण्टरलाक गेट विफल होने की स्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक गेट माना जायेगा तथा गाड़ियों के आगमन / प्रस्थान की कार्य प्रणाली नान-इण्टरलाक गेट की कार्यप्रणाली के अनुसार किया जायेगा। ऐसी स्थिति में स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्न प्रारूप में आवश्यकतानुसार रजिस्टर भरेंगे:-

| तिथि | गाड़ी का नम्बर एवं विवरण | गेट से पास होने का सम्भावित समय | सूचना मिलने / देने का समय | स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर | गेटमैन द्वारा सूचना प्राप्त होने की पुष्टि हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर | गेटमैन द्वारा गेट को बन्द व लाक कर दिया गया प्राइवेट नम्बर | स्टेशन मास्टर द्वारा समापर के बन्द व लाक होने की पुष्टि हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर | गाड़ी पास होने का समय | स्टेशन मास्टर / गेटमैन का हस्ताक्षर |
|------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1    | 2                        | 3                               | 4                         | 5                                            | 6                                                                       | 7                                                          | 8                                                                                    | 9                     | 10                                  |

- (ii) गेटमैन का यह दायित्व है कि कार्यरत स्टेशन मास्टर से सूचना मिलने पर अत्यन्त सतर्क हो जायेगा और वह समय से समापर फाटक बन्द करें जिससे गाड़ियों का विलम्बन न हो तथा सड़क यातायात अधिक समय तक विलम्बित न हो।

(ग) टेलीफोन संचार की विफलता :-

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाये अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन की तरफ से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्न कार्यवाही करेगा :-

- (i) समापर का टेलीफोन जो गाड़ी भेजने वाले स्टेशन से सम्बद्ध है, के खराब हो जाने पर स्टेशन मास्टर जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (ii) स्टेशन मास्टर ड्राइवर को सूचित करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (iii) यदि गेट सिगनल 'आन' स्थिति में है, तो ड्राइवर गेट सिगनल के पहले रोककर सामान्य नियम 3.73 के अनुसार कार्यवाही करेगा।
- (iv) गाड़ी के आगमन के मामले में कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि गेट का टेलीफोन खराब है।
- (v) तब गाड़ी प्रस्थान कराने वाला स्टेशन मास्टर ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करने के उपरान्त ही गाड़ी भेजेगा।

- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर कार्यरत गेटमैन को भी गैंगमैन/पेट्रोलमैन/प्रथम गाड़ी के ड्राइवर द्वारा टेलीफोन खराब होने के सूचना देगा।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी जो अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी है अतिशीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिये सूचना देगा।
- (viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

(घ) इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर की विफलता :-

- (i) जब इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर के खराब हो जाने के कारण गेट को बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर रेलपथ को बाधित न करता हो।
- (ii) गेटमैन को निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम जिस तरफ से ट्रेन की आने की सम्भावना हो, दिन में लाल बैनर फलैंग तथा रात में लाल बत्ती लगायेगा तदुपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
- (iii) गेटमैन समपार पर सड़क यातायात को रोकने के लिये समपार को सुरक्षा चेन तथा तालो द्वारा बन्द करेगा।
- (iv) सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन में हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आने वाली ट्रेन के ड्राइवर को दिखायेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन से इस समपार की ओर जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (vi) स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह ट्रेन भेजने के पूर्व ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/ स्लाइडिंग बूम बैरियर के शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(ङ.) ‘गेट की चाभी’ का गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब ‘गेट की चाभी’ खोलने के लिये न निकाली जा सके :-

- (i) यदि गेट की चाभी विन्च, बूम लाकिंग लीवर से निकाली न जा सके तो कार्यरत गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
- (ii) इस परिस्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक गेट माना जायेगा तथा गाड़ियों का आगमन/प्रस्थान नान-इण्टरलाक गेट की कार्यप्रणाली के अनुसार किया जायेगा।
- (iii) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (iv) स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से ब्लाक खण्ड में ट्रेन भेजने के पूर्व गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को जो विन्च, बूम लाकिंग लीवर की मरम्मत करते हैं को शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (vi) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

**(च) 'गेट चाभी' का गेट के खुली दशा में विफल हो जाना :-**

- (i) गेट के खुली दशा में यदि विन्च, बूम लाकिंग लीवर से गेट चाभी निकाली जा सके तो गेटमैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा सूचित करेगा।
- (ii) इस परिस्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक मानकर गाड़ियों के आगमन तथा प्रस्थान की प्रक्रिया नान-इण्टरलाक गेट की प्रक्रिया में निहित निर्देशों के अनुसार करेगा।
- (iii) गेटमैन गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध संरक्षा चेन एवं ताले से संरक्षित करेगा उसके बाद वह गाड़ी को हाथ संकेत पर पास करेगा।
- (iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये गाड़ियों को ब्लाक खण्ड में प्रवेश कराने के पूर्व 'गेट खुली दशा में खराब है' हेतु सतर्कता आदेश जारी करने के लिये सूचित करेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को जो विन्च, बूम लाकिंग लीवर की मरम्मत करते हैं, को शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (vii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

**(छ) गेट सिगनल की विफलता :-**

- (i) कार्यरत गेटमैन गेट सिगनल को निम्नलिखित परिस्थितियों में खराब मानेगा तथा गेट सिगनल को 'आफ' नहीं करेगा :-  
(अ) यदि गेट सिगनल बिना गेट को बन्द किये हुये 'आफ' किया जा सके

या

- (ब) यदि 'चाभी' को विन्च से गेट की खुली स्थिति में निकाला जा सके

या

- (स) यदि 'चाभी' को बूम लाकिंग लीवर से गेट की खुली दशा में निकाला जा सके।
- (ii) यदि गेट सिगनल/गेट डिस्टेन्ट सिगनल 'आफ' की स्थिति में खराब हो जाये तो गेटमैन को इसे 'आन' स्थिति में लाने का प्रयास किया जायेगा।
- (iii) कार्यरत गेटमैन गेट सिगनल के विफल हो जाने के बारे में अविलम्ब कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके सूचित करेगा।
- (iv) इसके पश्चात् गेट को नान-इण्टरलाक मानकर नान-इण्टरलाक गेटों के लिये निर्धारित पद्धति के अनुसार आगमन/प्रस्थान किया जायेगा।
- (v) कार्यरत गेटमैन दिन में हरी हाथ झण्डी एवं रात्रि में हरी बत्ती गेट को बन्द व लाक करने के बाद गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर प्रस्थान करने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।

- (vii) स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को ब्लाक खण्ड में किसी गाड़ी को भेजने के पूर्व प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके सतर्कता आदेश जारी करने हेतु सूचित करेगा।
- (viii) कार्यरत स्टेशन मास्टर संकेत एवं दूरसंचार के कर्मचारियों को जो गेट सिगनल के अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी है, यथाशीघ्र ठीक करने के लिये सूचित करेगा।
- (ix) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार कर्मचारी विफल गेट सिगनलों को ठीक करने के बाद फिट मेमो दे दे।

**(ज) समपार फाटक पर अवरोध :-**

- (i) यदि कोई सड़क वाहन गेट को तोड़कर रेलपथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेलपथ को बाधित कर रहा है या अन्य कोई बाधा गेट पर है, तो गेटमैन तुरन्त गेट सिगनल को 'आन' स्थिति में कर देगा।

**कमशः पृष्ठ 9 पर**

- (ii) समपार के दोनों छोरों के ट्रैक पर आवश्यकता हेतु लगाये गये पोस्ट पर दिन में लाल बैनर फलैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा।
- (iii) इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
- (iv) यदि दो या तीन प्रयासों के पश्चात् भी कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम गेट को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
- (v) गेटमैन पटाखा व दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती लेकर तेजी से पहले उस तरफ जायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है। तत्पश्चात् गेटमैन आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही के अनुसार गेट को संरक्षित करेगा।
- (vi) इसके पश्चात् गेटमैन गेट के दूसरी तरफ को भी संरक्षित करेगा।
- (vii) गेटमैन सड़क वाहन का विवरण, चालक का नाम, वाहन मालिक का नाम नोट कर कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर तब तक गाड़ी नहीं चलायेगा जबतक कि गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर लेता है कि सड़क वाहन, लिफ्टिंग बैरियर या अन्य कोई अवरोध रेलपथ को बाधित नहीं कर रहा है।
- (viii) स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से कोई भी गाड़ी ब्लाक खण्ड में तब तक न भेजे जबतक कि रेलपथ पर से सभी अवरोध हटा न दिये जाये।
- (ix) रेलपथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद इसकी सूचना गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा सूचित करेगा।
- (x) तब कार्यरत स्टेशन मास्टर यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो सभी ट्रेन के चालकों को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि गेट सिगनल को 'आन' स्थिति में गेटमैन द्वारा हरा संकेत देने पर सावधानीपूर्वक पास करें।
- (xi) गेटमैन समपार को संरक्षा चेनो तथा तालो द्वारा सड़क यातायात के लिये संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।
- (xii) स्टेशन मास्टर अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी कर्मचारी को लिफ्टिंग बैरियर को अविलम्ब ठीक कराने हेतु सूचित करेगा।
- (xiii) समपार फाटक पर सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय से प्रारम्भ की जायेगी जब लिफ्टिंग बैरियर को मरम्मत के उपरान्त संयोजन/फिट मेमो प्राप्त हो जाये।

(झ) समपार फाटक के समीप रेलपथ पर अवरोध :-

यदि किसी रेल का टूटना, रेलपथ पर पेड़ गिरने से अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई गाड़ी का अवपथन जो गेटमैन को दिखाई देता हो तो गेटमैन तथा स्टेशन मास्टर समपार फाटक पर अवरोध में वर्णित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करेंगे। यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता है तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द रखेगा जबतक कि रेलपथ से बाधा हटा नहीं दिया जाये।

1.1 गेटमैन के कर्तव्य :-(1) सावधानी :-

गेटमैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।

(2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति :-

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेटमैन बतायी गयी निम्न स्थिति में खड़ा रहेगा।

- (i) गेटमैन सतर्कतापूर्वक गेटलाज के सामने आती हुई ट्रेन के तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
- (ii) दिन में गेटमैन दौरे हाथ में लाल झण्डी तथा बाँये हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।
- (iii) रात्रि समय में गेटमैन जलती हुई सफेद हाथ बत्ती लाइन की तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
- (iv) गेटमैन गले में धागे में बाँधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) गेटमैन की नियमित ड्यूटी :-

- (i) गेटमैन रोड यूजर सिगनल को लगातार जलती हुयी स्थिति में रखना सुनिश्चित करेगा।
- (ii) गेटमैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर लें, तब तक गेटमैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेटमैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिये बन्द करके ताला लगायेगा।
- (iii) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेटमैन गुजरती हुई ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिये तत्पर रहेगा।
- (iv) गेटमैन गुजरती हुई सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे हाट एक्सिल (गर्म धुरा), लटकती हुई चेन, लटकता हुआ बैटरी बाक्स, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैटरी बाक्स में आग लगी हो तथा ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेपटी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेण्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।
- (v) गेटमैन गार्ड द्वारा ड्राइवर को वाकी-टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिये तैयार रहेगा।
- (vi) समपार फाटक का बैरियर क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेटमैन अतिरिक्त चेन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बन्द करेगा।
- (vii) गेटमैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिये यथाशीघ्र समीप वाले स्टेशन मास्टर, गैंग मेट अथवा रेलपथ निरीक्षक को सूचित करेगा।
- (viii) गेट सिगनल लीवर चाभी खराब हो जाने की दशा में गेटमैन गेट सिगनल को 'आन' की दशा में रखेगा।
- (ix) समपार फाटक के गेट सिगनल खराब हो जाने की दशा में गेटमैन ट्रेन देखकर बैरियर को बन्द कर ताला लगा देगा और हाथ सिगनल देगा या ट्रेन को खराब सिगनल तक पायलट करेगा। ऐसी स्थिति में वह गाड़ी के चालक द्वारा खराबी की सूचना अगले स्टेशन पर भेजेगा।
- (x) जब गेटमैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं "बैज" धारण करेगा।

- (xi) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि ड्यूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण—पत्र उपलब्ध है।
- (xii) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।
- (xiii) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में हैं एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार हैं।
- (xiv) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चेक रेल गैप साफ है।
- (xv) गेटमैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से कूटकर ठीक रखेगा।
- (xvi) गेटमैन सड़क प्रयोगकर्ताओं के लिये गेट को बन्द रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिये बन्द हो।
- (xvii) विद्युतीय रेल प्रखण्ड पर गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि सड़क वाहन/पशु जो उस सड़क से गुजरते हैं, समपार के दोनों तरफ लगाये गये "हाइट लोडिंग गेज" के नीचे से गुजरे।
- (xviii) जहाँ तक सम्भव हो गेटमैन मनुष्यों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

**(4). ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य :-**

यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न

कार्य करेगा :-

- (i) वह तत्काल ही ड्राइवर/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।
- (ii) साथ ही साथ ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिये लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेंकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।
- (iii) यदि ड्राइवर/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरान्त भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये तो तदनुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
- (iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेटमैन "रोक हैण्ड सिगनल" (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झण्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।
- (v) वह ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुये दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुये पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुये करेगा।
- (vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रुकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर को उचित कार्यवाही करने हेतु प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के साथ इसकी सूचना देगा।

**(5) आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही :-**

- (i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर निर्धारित पोस्ट पर दिन में लाल बैनर फलैंग तथा रात्रि में लालबत्ती लगायेगा तथा गेट सिगनल को 'आन' स्थिति में रखेगा।
- (ii) इसके उपरान्त यदि गेटमैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।
- (iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

**(6) गेटमैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा :-**

**(अ) दोहरी लाइन पर :-**

- (i) यदि दोनों लाइनें अवरुद्ध हैं तो गेटमैन दिन में लाल बैनर फलैंग तथा रात्रि में लालबत्ती 5 मीटर की दूरी पर निर्धारित

स्थान पर लगायेगा। गेटमैन पहले उस लाइन को संरक्षित करेगा, जिस पर पहले ट्रेन आने की सम्भावना हो।

- (ii) तदुपरान्त उसी तरह गेटमैन दूसरी लाइन पर दिन में लाल बैनर पलैंग तथा रात्रि में लाल बत्ती अवरोध के 5 मीटर दूर लगायेगा।
- (iii) गेटमैन तब पटाखा एवं दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती के साथ गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।
- (iv) गेटमैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती दिखाते हुये पहले लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात् वह समपार से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।
- (v) इसके बाद वह दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती दिखाते हुये उसी प्रकार जैसा ऊपर कमांक (iv) में वर्णित है दूसरी लाइन की तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।
- (vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात् गेटमैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सचेत करने का प्रयास करेगा।
- (vii) उन परिस्थितियों में जब गेटमैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।
- (viii) उसके उपरान्त गेटमैन आने वाली ट्रेन को दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाकर रोकेगा।

**(ब) गेटमैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही :-**

- (i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर या गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेटमैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।
- (ii) गेटमैन सड़क यातायात का विवरण लिखेगा जैसे-वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और स्टेशन मास्टर अथवा रेलपथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।
- (iii) संरक्षा बढ़ाने हेतु इस गेट पर 90 सेकेण्ड का डेड एप्रोच लाकिंग का प्रावधान किया गया है। अतः गाड़ी पास होने के बाद या किसी आपात स्थिति में बन्द गेट को खोलने हेतु सिगनल स्वीच नार्मल करने के 90 सेकेण्ड के उपरान्त ही गेट को खोला जा सकेगा। इसके खराब होने पर कार्यरत गेटमैन, स्टेट.मा. अथवा रेलपथ निरीक्षक को सूचित करेगा।

**(7). 25000 वोल्ट विद्युतीकृत रेलवे लाइन के समपार फाटक पर कार्य करते समय ली जाने वाली विशेष सावधानियाँ:-**

- (i) 25000 वोल्ट पर चार्ज ओ.एच.ई. की तारों से हमेशा 2 मीटर दूर रहें।
- (ii) ओ.एच.ई. की तारों की तरफ पानी की धार न छोड़ें।
- (iii) यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति ओ.एच.ई. धातु की छड़ ऊपर सीधी खड़ी करके या कंधे पर रख कर रेलवे ट्रैक या फाटक पार न करे।
- (iv) ओ.एच.ई. के तारों के समानान्तर 200 मीटर या इससे अधिक दूरी तक धातु की तारों को न खींचें अथवा दौड़ायें।
- (v) ओ.एच.ई. की तारों से चिपके किसी भी व्यक्ति को न छुयें जब तक कि तारों की सप्लाई बंद न कर दी जाए।

- (vi) वर्षा ऋतु में धातु की छड़ वाली छतरी ऊपर रखते हुए ट्रैक पार न करें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें।
- (vii) रेलवे फाटक के पास यदि कोई असाधारण घटना दिखाई पड़ती है तो:-
1. गेट को तुरन्त बंद करें।
  2. स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें जैसे-
    - (क) ओ.एच.ई. की तारों से आग लगने पर।
    - (ख) तारों का टूटना एवं तारों से चिन्गारियों का निकलना।
    - (ग) इंजन के पेटो में खराबी।
    - (घ) किसी व्यक्ति के तारों से चिपकने पर।
    - (ङ) तारों पर पेड़ का गिरना।
    - (च) टूटे या खुले बांड इत्यादि।
  3. उपर्युक्त किसी भी घटना में से किसी भी हालत में टूटी तारों एवं बांड को न छुयें।
  4. ओ.एच.ई. के तार टूटने की स्थिति में यातायात की दिशा में सावधानीपूर्वक जाते हुए, तारों से 2 मी. की उचित दूरी बनाते हुए, सुरक्षा के नियमानुसार बैनर-फ्लैग एवं पटाखें लगायें।
  5. दोहरी लाइन खण्ड में यदि दोनों लाइनों पर ओ.एच.ई. के तारों के साथ कोई घटना घटित होती है जैसे कि दोनों तारों पर अप एवं डाउन लाइन में पेड़ के गिर जाने पर तो दूसरे ट्रैक पर भी जाकर उपरोक्त के अनुसार ट्रैक को सुरक्षित करें।
- (viii) हाइट गेज के टूटने पर तुरन्त गेट को बंद कर दें एवं इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दें, साथ में आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाइन पर उपलब्ध रहें।
- (ix) विद्युत आघात लगे व्यक्ति को तुरन्त कृत्रिम श्वास दें एवं स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें।
- (x) मालगाड़ी, यात्री गाड़ी या इंजन के ऊपर न चढ़ें। यदि यात्री चढ़े हैं तो उसे तुरन्त उतारने की कोशिश करें अथवा स्टेशन मास्टर को सूचित करें।
- (xi) यदि किसी मालगाड़ी के दरवाजे अथवा टैंकर के ढक्कन खुले हों तो तुरन्त स्टेशन मास्टर को सूचित करें।
- (xii) किसी पशु को झटका लगने एवं मरने पर इसकी सूचना तुरन्त स्टेशन मास्टर को दें साथ में आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाइन पर उपलब्ध रहें।
- (xiii) मास्ट(खम्भों) के ऊपर न चढ़ें।
- (xiv) जिस मास्ट(खम्भों) से अर्थ पत्ती खुली हो उस मास्ट को न छुयें तथा उससे 2 मीटर दूर रहें।

.....

## भाग – 5

खलीलाबाद तथा मगहर स्टेशनो के मध्य स्थित "बी-1" श्रेणी के इन्जीन समपार फाटक सं० 177 के संचालन हेतु अनुदेश

**टिप्पणी:-** इन अनुदेशों को पढ़ते समय इस समपार का आरेख सं० वमसिद्धि/ल.जं/2023 (आर०डी०)/21 दि० 10.04.23 देखें।

## 1. विवरण

## 1.2 सामान्य :-

|    |                                          |                                          |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | समपार फाटक सं०                           | 177 "बी-1"                               |
| 2  | इंजीनियरिंग/यातायात फाटक                 | इन्जीनियरिंग                             |
| 3  | किसके अधीन स्टेशन अधीन/रेलपथ निरीक्षक    | सी०से०इन्जी०/पी०वे०/पश्चिम/गोरखपुर       |
| 4  | किलोमीटर पर स्थित                        | 536/3-4                                  |
| 5  | स्टेशन पर                                | खलीलाबाद                                 |
| 6  | स्टेशनो के मध्य                          | खलीलाबाद – मगहर                          |
| 7  | बी०जी०/एम०जी०/एन०जी०                     | बी०जी०                                   |
| 8  | इकहरी लाइन/दोहरी/मिश्रित लाइन            | दोहरी लाइन                               |
| 9  | सामान्य स्थिति                           | सड़क यातायात के लिये खुला                |
| 10 | इण्टरलाकड/नान-इण्टरलाकड                  | इण्टरलाकड                                |
| 11 | इण्टरलाकिंग का प्रकार                    | गेट सिगनलो से इण्टरलाकड                  |
| 12 | गेट सिगनलों का प्रावधान का कि०मी०        |                                          |
|    | अप दिशा-                                 | 536/1-2                                  |
|    | डाउन दिशा-                               | 536/5-6                                  |
| 13 | संकेतन व्यवस्था                          | कलर लाइट सिगनल                           |
| 14 | संचार साधन टेलीफोन/घण्टी इत्यादि         | टेलीफोन                                  |
| 15 | समपार फाटक की चौड़ाई                     | 5.00 मीटर                                |
| 16 | सड़क का प्रकार(एन०एच०/एस०एच०/अन्य)       | अन्य                                     |
| 17 | सड़क का नाम                              | अन्य                                     |
| 18 | पक्का/कच्चा                              | पक्का                                    |
| 19 | पहुँच मार्ग                              | उपलब्ध                                   |
| 20 | सड़क की चौड़ाई                           | 3.60 मीटर पक्की                          |
| 21 | सड़क की कासिंग कोण (इस्क्वू गेट के लिये) | 90°                                      |
|    | पूर्व/उत्तर की तरफ                       | —                                        |
|    | पश्चिम/दक्षिण की तरफ                     | —                                        |
| 22 | सड़क की ढाल यदि कोई हो                   | समतल                                     |
|    | पूर्व/उत्तर की तरफ                       | कोई नहीं                                 |
|    | पश्चिम/दक्षिण की तरफ                     | कोई नहीं                                 |
| 23 | सड़क की सीधाई (सीधा/गोलाई)               | सीधी                                     |
|    | पूर्व/उत्तर की तरफ                       | कोई नहीं                                 |
|    | पश्चिम/दक्षिण की तरफ                     | कोई नहीं                                 |
| 24 | हाईट गेज का प्रावधान                     | है                                       |
| 25 | बैरियर का प्रकार                         | इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर |
| 26 | चेक रेलो की लम्बाई                       | 7.50 मीटर                                |

|    |                                                     |                  |
|----|-----------------------------------------------------|------------------|
| 27 | समपार के मध्य सड़क की सतह                           | समतल             |
| 28 | रम्बल स्ट्रिप/गति अवरोध की लम्बाई                   | 19.50 मीटर       |
| 29 | रोड साइन                                            | उपलब्ध           |
| 30 | गति अवरोधक बोर्ड                                    | उपलब्ध           |
| 31 | टी0वी0यू0                                           | 36090 अगस्त 2021 |
| 32 | अगली गणना की तिथि                                   | अगस्त 2024       |
| 33 | पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान                | उपलब्ध           |
| 34 | गेटमैन की संख्या                                    | दो               |
| 35 | निकटतम रेलवे चिकित्सा सहायता केन्द्र                | बस्ती            |
| 36 | निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो। | खलीलाबाद         |
| 37 | उपलब्ध उपकरणों की सूची हॉ / नही                     | उपलब्ध है        |

### 1.3 उपकरण :-

| क्रम | विवरण                                                            | मात्रा                            |
|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1    | ट्राई कलर टार्च/फ्लैशिंग टेल लैम्प                               | 03                                |
| 2    | हरी हाथ झण्डी                                                    | 01 (डण्डे में लगा हुआ)            |
| 3    | लाल हाथ झण्डी                                                    | 03 (डण्डे में लगा हुआ)            |
| 4    | बैनर फ्लैग लाल                                                   | 03                                |
| 5    | लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट                                  | 02                                |
| 6    | तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर)                                | 02 अदद 'स्टाप चिन्ह' के साथ       |
| 7    | पटाखा सिगनल                                                      | 10                                |
| 8    | टामी बार                                                         | 01                                |
| 9    | मोर्टार पैन (तसला)                                               | 01                                |
| 10   | फावड़ा/बेल्टा                                                    | 01                                |
| 11   | दुरमुट                                                           | 01 (पक्की सतह के लिए आवश्यक नहीं) |
| 12   | पिक एक्स                                                         | 01 (पक्की सतह के लिए आवश्यक नहीं) |
| 13   | टिन केस झण्डी के लिये                                            | 01                                |
| 14   | कैन मिटटी के तेल हेतु                                            | 01                                |
| 15   | बाल्टी/पानी पीने का बर्तन                                        | 01                                |
| 16   | टिन केस मस्टर शीट के लिये                                        | 01                                |
| 17   | चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते हैं (दृष्टि वाला)          | 01                                |
| 18   | गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम | 01                                |
| 19   | टोकरी                                                            | 01                                |
| 20   | सीटी                                                             | 01                                |
| 21   | दीवार घड़ी                                                       | 01                                |
| 22   | छोटी चेन ताला चाभीयुक्त                                          | 02                                |

### 1.4 गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख :-

- गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में।
- गेटमैन नियम पुस्तिका हिन्दी भाषा में।
- पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची।
- ड्यूटी रोस्टर।
- गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण-पत्र।
- गेटमैन का बायोडाटा, नेत्र जॉच, प्रारम्भिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि।
- दुर्घटना रजिस्टर।
- समपार फाटक पर अन्तिम गणना का अभिलेख।
- निरीक्षण एवं आश्वासन पुस्तिका।
- जन परिवाद पुस्तिका।
- संकेत एवं दूर संचार पंजिका
-

1.5. समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश :-(क) संचालन पद्धति :-

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करने के लिये एक जोड़ा लिफ्टिंग बैरियर, की व्यवस्था है। समपार फाटक पर प्रवेश रोकने वाला बैरियर तथा निकासी रोकने वाला बैरियर { बैरियर सं0 बी-1 एवं बी-2 } है।

पुश बटन या हैण्ड जनरेटर से **इलेक्ट्रिक** लिफ्टिंग बैरियरों को संचालित करने के लिये गेट लाज में एक आपरेटिंग पैनल की व्यवस्था है। पैनल पर गेट से सम्बन्धित बूम को बन्द करने के लिए क्लोज बटन एवं खोलने के लिए ओपेन बटन का प्रावधान है। पैनल से सम्बन्धित दोनों बूम के बन्द एवं लाक सुनिश्चित करने के लिये आपरेटिंग पैनल पर दो { बैरियर सं0 बी-1 तथा बी-2 } लाल रंग का **बूम लाक प्रूविंग इन्डिकेशन** है। **इलेक्ट्रिक** लिफ्टिंग बैरियरों को पुश बटन, हैण्ड जनरेटर या मैकेनिकल रूप से संचालित किया जा सकता है।

पुशबटन एवं हैण्ड जनरेटर से संचालन विफल होने की दशा में मैकेनिकल संचालन के समय बारी-बारी से प्रत्येक बैरियर को चलाने के लिये एक कैंक हैण्डिल की व्यवस्था है।

(ए) पुश बटन द्वारा समपार का संचालन:(क) समपार फाटक को बंद करना :

- (i) पैनल के आन/आफ स्विच को "आन" स्थिति में रखे।
- (ii) पैनल के बैरियर-1 एवं बैरियर-2 के स्विच को "आन" स्थिति में रखे।
- (iii) पैनल के आटो/मैनुअल स्विच को आटो स्थिति में रखें।
- (iv) आपरेटिंग पैनल द्वारा क्लोज बटन दबाकर दोनों बूम को { बैरियर सं0 बी-1 एवं बी-2 } बन्द करें। क्लोज बटन दबाते ही एक हुटर बजने लगेगा और बूम आपरेट होगा। बूम के बन्द होने एवं स्वतः लाक होने के पश्चात, बूम लाक प्रूविंग का लाल इन्डिकेशन आपरेटिंग पैनल पर मिलने पर बटन छोड़े।
- (v) आपरेटिंग पैनल पर दोनों बूम लाक प्रूविंग का लाल इन्डिकेशन मिलने पर अप गेट सिगनल सं0 '2' को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं0 2 को 'आर' पोजीशन में घुमाते हैं तथा डाउन गेट सिगनल सं0 '1' को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं0 1 को 'आर' पोजीशन में घुमाते हैं।

(ख) खोलने हेतु :

- (i) समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त कार्यरत गेटमैन गेट सिगनल को आन करने के लिये सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमायेगा। सम्बन्धित सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमाने के बाद गेट लाज पर लगे आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का **सफेद** इन्डिकेशन मिल जायेगा।
- (ii) आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का **सफेद** इन्डिकेशन प्राप्त होने के बाद दोनों बूम को खोलने के लिए आपरेटिंग पैनल पर उपलब्ध ओपेन बटन को तब तक दबाए जब तक कि पैनल पर बूम का ओपेन इन्डिकेशन न मिल जाए।

(बी) पुश बटन विफलता की स्थिति में हैण्ड जनरेटर से समपार का परिचालन:(क) बन्द करने हेतु :-

- (i) पैनल के आन/आफ स्विच को "आन" स्थिति में रखे।
- (ii) पैनल के आटो/मैनुअल को मैनुअल स्थिति में रखें।
- (iii) सर्व प्रथम आपरेटिंग पैनल पर लगे हैण्ड जनरेटर के कैंक को क्लाक वाइज दिशा में तब तक घुमायें जबतक कि दोनों बूम [बी1 व बी2] आपरेट होकर बन्द एवं स्वतः

लाक न हो जायें तथा आपरेटिंग पैनल पर दोनो बूम लाक प्रूविंग का लाल इण्डीकेशन आपरेटिंग पैनल पर न मिल जाये।

- (iv) आपरेटिंग पैनल पर दोनों बूम लाक प्रूविंग का लाल इण्डीकेशन मिलने पर अप गेट सिगनल सं० '2' को 'आफ' करने हेतु सिगनल स्विच सं० '2' को 'आर' पोजीशन में घुमाते हैं तथा डाउन गेट सिगनल सं० '1' को 'आफ' करने के लिये सिगनल स्विच सं० '1' को 'आर' पोजीशन में घुमाते हैं।

(ख) खोलने हेतु

समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त कार्यरत गेटमैन गेट सिगनल को आन करने के लिये सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमायेगा। सम्बन्धित सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमाने के बाद गेट लाज पर लगे आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का सफेद इण्डीकेशन मिल जायेगा।

- (i) पैनल के आन/आफ स्विच को "आन" स्थिति में रखें।  
 (ii) पैनल के आटो/मैनुअल स्विच को मैनुअल स्थिति में रखें।  
 (iii) सर्व प्रथम आपरेटिंग पैनल पर लगे हैण्ड जनरेटर के क्रेन्क को एण्टी क्लाक वाइज दिशा में तब तक घुमायें जबतक कि बूम पूरा न खुल जायें। गेट पूरा खुल जाने पर आपरेटिंग पैनल पर गेट ओपन इण्डीकेशन मिल जायेगा।

(सी) पुश बटन एवं हैण्ड जनरेटर की विफलता के समय :-

(क) समपार का बन्द करने हेतु परिचालन:

- (iv) इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर की विफल होने की दशा में 'सी.एच.जी.2' क्रेन्क हैण्डिल का प्रयोग किया जायेगा जो सामान्यतया 'केएलसीआर' में लाकड रहता है। 'सीएचजी.2' नियंत्रण स्विच को रिलीज स्थिति में करने पर केएलसीआर पर रिलीज (लाल प्रकाश) जलने लगता है। तब कार्यरत गेटमैन लाल इण्डीकेशन के पास लगे पुश बटन को दबाकर 'सीएचजी.2' क्रेन्क हैण्डिल को निकालेगा।

- (ii) गेटमैन लोकेशन के पास आयेगा और क्रेन्क हैण्डिल लगाने के लिए ढक्कन को खोलेगा जिससे क्रेन्क हैण्डिल लगाने के लिए "नाच" दिखाई पड़ेगी। जिससे क्रेन्क हैण्डिल को लगाकर क्लाक वाइज दिशा में आवश्यकतानुसार चलायेगा। यही प्रक्रिया दोनों बैरियरों के लिए की जायेगी। बैरियर को क्रेन्क हैण्डिल से बन्द करने के पश्चात् बूम लाक कवर के साइड में बने लाक को पैनल चाभी द्वारा खोलेगा जिससे बूम लाक कवर के साइड में "नाच" दिखाई पड़ता है। "नाच" में बूम लाक क्रेन्क हैण्डिल लगाकर बैरियर को लाक करेगा। यही प्रक्रिया दोनों बैरियरों को बन्द करने के पश्चात् दोनों बूम लाक पर की जायेगी। संचालन पूर्ण हो जाने के बाद चाभी 'सीएचजी2' को वापस केएलसीआर में लगा देगा व सीएचजी2 स्विच को लाक स्थिति में कर सूचना स्टेशन मास्टर को देगा।

- (iii) दोनों बैरियरों के बन्द होने के पश्चात् अप गेट सिगनल सं० '2' को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं० '2' को 'आर' पोजीशन में घुमाते हैं तथा डाउन गेट सिगनल सं० '1' को "आफ" करने के

लिये सिगनल स्विच सं० '1' को 'आर' पोजीशन में घुमाते हैं ।

(ख) समपार को खोलने हेतु परिचालन:

समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त कार्यरत गेटमैन गेट सिगनल को आन करने के लिये सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमायेगा। सम्बन्धित सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमाने के बाद गेट लाज पर लगे आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का सफेद इण्डिकेशन मिल जायेगा। सर्वप्रथम बूम लाक को रिलीज किया जायेगा, तत्पश्चात क्रेन्क हैण्डिल द्वारा बैरियर को खोला जायेगा।

(डी) सीएचजी.2 केएलसीआर नियंत्रण स्विच:

गेट पर सीएचजी.2 क्रेन्क हैण्डिल के नियंत्रण के लिए एक स्विच गेटलाज पर लगाया गया है। इस स्विच की दो स्थितियां लाक एवं रिलीज है। सीएचजी.2 नियंत्रण स्विच को रिलीज स्थिति में करने पर केएलसीआर पर रिलीज का (लाल प्रकाश) जलने लगता है तब कार्यरत गेटमैन लाल इंडिकेशन के पास लगे पुश बटन को दबाकर 'सीएचजी.2' क्रेन्क हैण्डिल को निकालेगा ।

(ई) स्लाइडिंग बूम बैरियर की संचालन पद्धति :-

(अ) समपार बन्द करने हेतु:-

- जब समपार फाटक को इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर की विफलता या किसी अन्य कारण से इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर द्वारा न बन्द किया जा सके तब समपार को स्लाइडिंग बूम बैरियर को खींचकर बन्द किया जायेगा ।
- स्लाइडिंग बूम बैरियर द्वारा समपार को बन्द करने से पूर्व स्टेशन मास्टर/ गेटमैन के बीच अलग से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान किया जायेगा।
- स्लाइडिंग बूम बैरियरों के लाकिंग पार्ट की तरफ क्रमशः चाभी बी3-बी4 वेल्ड है। 2वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में संगत चाभी बी3-बी4 को लगाकर घुमाने से स्लाइडिंग बूम बैरियर लाक हो जायेंगे तथा क्रमशः चाभी एम1 एवं एम2 रिलीज हो जायेगी। स्लाइडिंग बूमों को पूरी तरह से सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करने के उपरान्त 2वें लाकअप बाक्स से रिलीज चाभी एम1 एवं एम2 को गेटलाज में लगे 3वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगाकर घुमाने पर चाभी 'एम' रिलीज होगी तथा कार्यरत गेटमैन इस चाभी को गेटलाज में लगे के०एल०सी०आर० में लगाकर घुमायेगा, जिससे गेटमैन के आपरेटिंग पैनल पर स्लाइडिंग बूम बैरियर के बन्द होने के बाद लाक होने का इन्डीकेशन प्राप्त हो जायेगा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि स्लाइडिंग बूम बैरियर लाक हो गये है इसके पश्चात् अप गेट सिगनल सं० '2' को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं० '2' को 'आर' पोजीशन में घुमायेगा तथा डाउन गेट सिगनल सं० '1' को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं० '1' को 'आर' पोजीशन में घुमायेगा।

(ब) समपार खोलने हेतु :-

गाड़ी के पूरी गुजर जाने के बाद गेटमैन समपार फाटक को सड़क यातायात हेतु खोलने के लिये सिगनल स्विच को नार्मल करेगा इसके उपरान्त गेटमैन चाभी 'एम' के.एल.सी.आर. से निकालकर 3वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगायेगा। चाभी 'एम' 3वे लाक अप बाक्स में लगाने पर चाभी एम1 एवं एम2 मुक्त होगी। 3वे लाक अप बाक्स से रिलीज चाभी एम1 एवं एम2 को 2वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगाकर घुमाकर संगत बूमों की चाभी बी3 एवं बी4

को रिलीज करेगा इसके उपरान्त गेटमैन इस चाभी की सहायता से स्लाइडिंग बूम बैरियर को खोलकर समापर को सड़क यातायात के लिये खोल देगा।

**(ख) गेटमैन को सूचना :-**

- (i) कार्यरत स्टेशन मास्टर अप गाड़ियों को लाइन विलयर देने से पहले तथा डाउन गाड़ियों के लिये प्रस्थान प्राधिकार देने से पहले टेलीफोन द्वारा कार्यरत गेटमैन को समापर बन्द व लाक करने हेतु निम्न सूचनाएं देगा एवं स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्न प्रारूप में आवश्यकतानुसार रजिस्टर भरेंगे :-

**सामान्य स्थिति में :-**

| तिथि | गाड़ी संख्या व विवरण | समापर को बन्द करने हेतु सूचना देने का समय | गेट से गाड़ी पास होने का सम्भावित समय | कार्यरत गेटमैन द्वारा गेट बंद करके सिगनल आफ करने का समय | स्लाइडिंग बूम से कार्य करते समय प्रा.नं0 का आदान प्रदान | गेटमैन का प्रा.नं0 | स्टेमा का प्रा.नं. | समापर से गाड़ी के सम्पूर्ण पास होने का समय | स्टेशन मास्टर / गेटमैन का हस्ताक्षर | टिप्पणी |
|------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 1    | 2                    | 3                                         | 4                                     | 5                                                       | 6                                                       | 7                  | 8                  | 9                                          | 10                                  |         |

**गेट विफल होने की स्थिति में :-**

इण्टरलाक गेट विफल होने की स्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक गेट माना जायेगा तथा गाड़ियों के आगमन /प्रस्थान की कार्य प्रणाली नान-इण्टरलाक गेट की कार्यप्रणाली के अनुसार किया जायेगा। ऐसी स्थिति में स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्न प्रारूप में आवश्यकतानुसार रजिस्टर भरेंगे:-

| तिथि | गाड़ी का नम्बर एवं विवरण | गेट से पास होने का सम्भावित समय | सूचना मिलने / देने का समय | स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर | गेटमैन द्वारा सूचना प्राप्त होने की पुष्टि हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर | गेटमैन द्वारा गेट को बन्द व लाक कर दिया गया प्राइवेट नम्बर | स्टेशन मास्टर द्वारा समापर के बन्द व लाक होने की पुष्टि हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर | गाड़ी पास होने का समय | स्टेशन मास्टर / गेटमैन का हस्ताक्षर |
|------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1    | 2                        | 3                               | 4                         | 5                                            | 6                                                                       | 7                                                          | 8                                                                                    | 9                     | 10                                  |

- (ii) गेटमैन का यह दायित्व है कि कार्यरत स्टेशन मास्टर से सूचना मिलने पर अत्यन्त सतर्क हो जायेगा और वह समय से समापर फाटक बन्द करें जिससे गाड़ियों का विलम्बन न हो तथा सड़क यातायात अधिक समय तक विलम्बित न हो।

**(ग) टेलीफोन संचार की विफलता :-**

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाये अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन की तरफ से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्न कार्यवाही करेगा :-

- (i) समापर का टेलीफोन जो गाड़ी भेजने वाले स्टेशन से सम्बद्ध है, के खराब हो जाने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (ii). स्टेशन मास्टर ड्राइवर को सूचित करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (iii) यदि गेट सिगनल 'आन' स्थिति में है, तो ड्राइवर गेट सिगनल के पहले रोककर सामान्य नियम 3.73 के अनुसार कार्यवाही करेगा।
- (iv) गाड़ी के आगमन के मामले में कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि गेट का टेलीफोन खराब है।
- (v) तब गाड़ी प्रस्थान कराने वाला स्टेशन मास्टर ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करने के उपरान्त ही गाड़ी भेजेगा।

- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर कार्यरत गेटमैन को भी गैंगमैन/पेट्रोलमैन/प्रथम गाड़ी के ड्राइवर द्वारा टेलीफोन खराब होने के सूचना देगा।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी जो अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी है अतिशीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिये सूचना देगा।
- (viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

(घ) इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर की विफलता :-

- (i) जब इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर के खराब हो जाने के कारण गेट को बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर रेलपथ को बाधित न करता हो।
- (ii) गेटमैन को निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम जिस तरफ से ट्रेन की आने की सम्भावना हो, दिन में लाल बैनर पलैंग तथा रात में लाल बत्ती लगायेगा तदुपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
- (iii) गेटमैन समपार पर सड़क यातायात को रोकने के लिये समपार को सुरक्षा चेन तथा तालो द्वारा बन्द करेगा।
- (iv) सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन में हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आने वाली ट्रेन के ड्राइवर को दिखायेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन से इस समपार की ओर जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (vi) स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह ट्रेन भेजने के पूर्व ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर के शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(ङ) ‘गेट की चाभी’ का गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब ‘गेट की चाभी’ खोलने के लिये न निकाली जा सके :-

- (i) यदि गेट की चाभी विन्च, बूम लाकिंग लीवर से निकाली न जा सके तो कार्यरत गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
- (ii) इस परिस्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक गेट माना जायेगा तथा गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान के कार्यप्रणाली नान-इण्टरलाक गेट की कार्यप्रणाली के अनुसार किया जायेगा।
- (iii) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (iv) स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से ब्लाक खण्ड में ट्रेन भेजने के पूर्व गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को जो विन्च, बूम लाकिंग लीवर की मरम्मत करते हैं को शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (vi) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(च) ‘गेट चाभी’ का गेट के खुली दशा में विफल हो जाना :-

- (i) गेट के खुली दशा में यदि विन्च, बूम लाकिंग लीवर से गेट चाभी निकाली जा सके तो गेटमैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा सूचित करेगा।
- (ii) इस परिस्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक मानकर गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान नान-इण्टरलाक गेट की प्रक्रिया में निहित निर्देशों के अनुसार करेगा।
- (iii) गेटमैन गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध संरक्षा चेन एवं ताले से संरक्षित करेगा उसके बाद वह गाड़ी को हाथ संकेत पर पास करेगा।
- (iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये गाड़ियों को ब्लाक खण्ड में प्रवेश कराने के पूर्व **‘गेट खुली दशा में खराब है’** के लिये सतर्कता आदेश जारी करने के लिये सूचित करेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को जो विन्च, बूम लाकिंग लीवर की मरम्मत करते हैं, को शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (vii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(छ) गेट सिगनल की विफलता :-

- (i) कार्यरत गेटमैन गेट सिगनल को निम्नलिखित परिस्थितियों में खराब मानेगा तथा गेट सिगनल को ‘आफ’ नहीं करेगा :-  
(अ) यदि गेट सिगनल बिना गेट को बन्द किये हुये ‘आफ’ किया जा सके

या

- (ब) यदि ‘चाभी’ को विन्च से गेट की खुली स्थिति में निकाला जा सके

या

- (स) यदि ‘चाभी’ को बूम लाकिंग लीवर से गेट की खुली दशा में निकाला जा सके।
- (ii) यदि गेट सिगनल/गेट डिस्टेन्ट सिगनल ‘आफ’ की स्थिति में खराब हो जाये तो गेटमैन को इसे ‘आन’ स्थिति में लाने का प्रयास किया जायेगा।
- (iii) कार्यरत गेटमैन गेट सिगनल के विफल हो जाने के बारे में अविलम्ब कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके सूचित करेगा।
- (iv) इसके पश्चात् गेट को नान-इण्टरलाक मानकर नान-इण्टरलाक गेटों के लिये निर्धारित पद्धति के अनुसार आगमन/प्रस्थान किया जायेगा।
- (v) कार्यरत गेटमैन दिन में हरी हाथ झण्डी एवं रात्रि में हरी बत्ती गेट को बन्द व लाक करने के बाद गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर प्रस्थान करने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।

- (vii) स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को ब्लाक खण्ड में किसी गाड़ी को भेजने के पूर्व प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके सतर्कता आदेश जारी करने हेतु सूचित करेगा।
- (viii) कार्यरत स्टेशन मास्टर संकेत एवं दूरसंचार के कर्मचारियों को जो गेट सिगनल के अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी है, यथाशीघ्र ठीक करने के लिये सूचित करेगा।
- (ix) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार कर्मचारी विफल गेट सिगनलों को ठीक करने के बाद फिट मेमो दे दे।

**(ज) समपार फाटक पर अवरोध :-**

- (i) यदि कोई सड़क वाहन गेट को तोड़कर रेलपथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेलपथ को बाधित कर रहा है या अन्य कोई बाधा गेट पर है, तो गेटमैन तुरन्त गेट सिगनल को 'आन' स्थिति में कर देगा।
- (ii) समपार के दोनों छोरों के ट्रैक पर आवश्यकता हेतु लगाये गये पोस्ट पर दिन में लाल बैनर पलैंग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा।
- (iii) इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
- (iv) यदि दो या तीन प्रयासों के पश्चात् भी कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम गेट को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
- (v) गेटमैन पटाखा व दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती लेकर तेजी से पहले उस तरफ जायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है। तत्पश्चात् गेटमैन आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही के अनुसार गेट को संरक्षित करेगा।
- (vi) इसके पश्चात् गेटमैन गेट के दूसरी तरफ को भी संरक्षित करेगा।
- (vii) गेटमैन सड़क वाहन का विवरण, चालक का नाम, वाहन मालिक का नाम नोट कर कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर तब तक गाड़ी नहीं चलायेगा जबतक कि गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर लेता है कि सड़क वाहन, लिफ्टिंग बैरियर या अन्य कोई अवरोध रेलपथ को बाधित नहीं कर रहा है।
- (viii) स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से कोई भी गाड़ी ब्लाक खण्ड में तब तक न भेजे जबतक कि रेलपथ पर से सभी अवरोध हटा न दिये जाये।
- (ix) रेलपथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद इसकी सूचना गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा सूचित करेगा।
- (x) तब कार्यरत स्टेशन मास्टर यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो सभी ट्रेन के चालकों को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि गेट सिगनल को 'आन' स्थिति में गेटमैन द्वारा हरा संकेत देने पर सावधानीपूर्वक पास करें।
- (xi) गेटमैन समपार को संरक्षा चेनो तथा तालो द्वारा सड़क यातायात के लिये संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।
- (xii) स्टेशन मास्टर अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी कर्मचारी को लिफ्टिंग बैरियर को अविलम्ब ठीक कराने हेतु सूचित करेगा।
- (xiii) समपार फाटक पर सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय से प्रारम्भ की जायेगी जब लिफ्टिंग बैरियर को मरम्मत के उपरान्त संयोजन/फिट मेमो प्राप्त हो जाये।

**(झ) समपार फाटक के समीप रेलपथ पर अवरोध :-**

यदि किसी रेल का टूटना, रेलपथ पर पेड़ गिरने से अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई गाड़ी का अवपथन जो गेटमैन को दिखाई देता हो तो गेटमैन

तथा स्टेशन मास्टर समपार फाटक पर अवरोध में वर्णित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करेंगे। यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता है तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द रखेगा जबतक कि रेलपथ से बाधा हटा नहीं दिया जाये।

### 1.5 गेटमैन के कर्तव्य :-

#### (1) सावधानी :-

गेटमैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।

#### (2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति :-

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेटमैन बतायी गयी निम्न स्थिति में खड़ा रहेगा।

- (i) गेटमैन सतर्कतापूर्वक गेटलाज के सामने आती हुई ट्रेन के तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
- (ii) दिन में गेटमैन दौरे हाथ में लाल झण्डी तथा बाँये हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।
- (iii) रात्रि समय में गेटमैन जलती हुई सफेद हाथ बत्ती लाइन की तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
- (iv) गेटमैन गले में धागे में बाँधकर सीटी लटकाये रहेगा।

#### (3) गेटमैन की नियमित ड्यूटी :-

- (i) गेटमैन रोड यूजर सिगनल को लगातार जलती हुयी स्थिति में रखना सुनिश्चित करेगा।
- (ii) गेटमैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेटमैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेटमैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिये बन्द करके ताला लगायेगा।
- (iii) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेटमैन गुजरती हुई ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिये तत्पर रहेगा।
- (iv) गेटमैन गुजरती हुई सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे हाट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकता हुआ बैटरी बाक्स, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैटरी बाक्स में आग लगी हो तथा ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेपटी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेण्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।
- (v) गेटमैन गार्ड द्वारा ट्राइवर को वाकी-टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिये तैयार रहेगा।
- (vi) समपार फाटक का बैरियर क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेटमैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बन्द करेगा।
- (vii) गेटमैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिये यथाशीघ्र समीप वाले स्टेशन मास्टर, गैंग मेट अथवा रेलपथ निरीक्षक को सूचित करेगा।
- (viii) गेट सिगनल लीवर चाभी खराब हो जाने की दशा में गेटमैन गेट सिगनल को 'आन' की दशा में रखेगा।
- (ix) समपार फाटक के गेट सिगनल खराब हो जाने की दशा में गेटमैन ट्रेन देखकर बैरियर को बन्द कर ताला लगा देगा और हाथ सिगनल देगा या ट्रेन को खराब सिगनल तक पायलट करेगा। ऐसी स्थिति में वह गाड़ी के चालक द्वारा खराबी की सूचना अगले स्टेशन पर भेजेगा।
- (x) जब गेटमैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं "बैज" धारण करेगा।

- (xi) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि ड्यूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण—पत्र उपलब्ध है।
- (xii) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।
- (xiii) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में हैं एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार हैं।
- (xiv) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चेक रेल गैप साफ है।
- (xv) गेटमैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से कूटकर ठीक रखेगा।
- (xvi) गेटमैन सड़क प्रयोगकर्ताओं के लिये गेट को बन्द रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिये बन्द हो।
- (xvii) विद्युतीय रेल प्रखण्ड पर गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि सड़क वाहन/पशु जो उस सड़क से गुजरते हैं, समपार के दोनों तरफ लगाये गये “हाइट लोडिंग गेज” के नीचे से गुजरे।
- (xviii) जहाँ तक सम्भव हो गेटमैन मनुष्यों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

**(4). ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य :-**

यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न

कार्य करेगा :-

- (i) वह तत्काल ही ड्राइवर/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।
- (ii) साथ ही साथ ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिये लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेंकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।
- (iii) यदि ड्राइवर/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरान्त भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये तो तदनुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
- (iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेटमैन “रोक हैण्ड सिगनल” (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झण्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।
- (v) वह ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुये दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुये पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुये करेगा।
- (vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रुकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर को उचित कार्यवाही करने हेतु प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के साथ इसकी सूचना देगा।

**(5) आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही :-**

- (i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर निर्धारित पोस्ट पर दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा तथा गेट सिगनल को ‘आन’ स्थिति में रखेगा।
- (ii) इसके उपरान्त यदि गेटमैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।
- (iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

**(6) गेटमैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा :-**

**(अ) दोहरी लाइन पर :-**

- (i) यदि दोनों लाइनें अवरुद्ध हैं तो गेटमैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लालबत्ती 5 मीटर की दूरी पर निर्धारित

स्थान पर लगायेगा। गेटमैन पहले उस लाइन को संरक्षित करेगा, जिस पर पहले ट्रेन आने की सम्भावना हो।

- (ii) तदुपरान्त उसी तरह गेटमैन दूसरी लाइन पर दिन में लाल बैनर पलैंग तथा रात्रि में लाल बत्ती अवरोध के 5 मीटर दूर लगायेगा।
- (iii) गेटमैन तब पटाखा एवं दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती के साथ गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।
- (iv) गेटमैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती दिखाते हुये पहले लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात् वह समपार से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।
- (v) इसके बाद वह दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती दिखाते हुये उसी प्रकार जैसा ऊपर कमांक (iv) में वर्णित है दूसरी लाइन की तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।
- (vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात् गेटमैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सचेत करने का प्रयास करेगा।
- (vii) उन परिस्थितियों में जब गेटमैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।
- (viii) उसके उपरान्त गेटमैन आने वाली ट्रेन को दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाकर रोकेगा।

**(ब) गेटमैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही :-**

- (i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर या गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेटमैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।
- (ii) गेटमैन सड़क यातायात का विवरण लिखेगा जैसे - वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और स्टेशन मास्टर अथवा रेलपथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।
- (iii) संरक्षा बढ़ाने हेतु इस गेट पर 90 सेकेण्ड का डेड एप्रोच लाकिंग का प्रावधान किया गया है। अतः गाड़ी पास होने के बाद या किसी आपात स्थिति में बन्द गेट को खोलने हेतु सिगनल स्वीच नार्मल करने के 90 सेकेण्ड के उपरान्त ही गेट को खोला जा सकेगा। इसके खराब होने पर कार्यरत गेटमैन, स्टे.मा. अथवा रेलपथ निरीक्षक को सूचित करेगा।

**(7) 25000 वोल्ट विद्युतीकृत रेलवे लाइन के समपार फाटक पर कार्य करते समय ली जाने वाली विशेष सावधानियाँ:-**

- (i) 25000 वोल्ट पर चार्ज ओ.एच.ई. की तारों से हमेशा 2 मीटर दूर रहें।
- (ii) ओ.एच.ई. की तारों की तरफ पानी की धार न छोड़ें।
- (iii) यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति ओ.एच.ई. धातु की छड़ ऊपर सीधी खड़ी करके या कंधे पर रख कर रेलवे ट्रैक या फाटक पार न करे।
- (iv) ओ.एच.ई. के तारों के समानान्तर 200 मीटर या इससे अधिक दूरी तक धातु की तारों को न खींचें अथवा दौड़ायें।
- (v) ओ.एच.ई. की तारों से चिपके किसी भी व्यक्ति को न छुयें जब तक कि तारों की सप्लाई बंद न कर दी जाए।

- (vi) वर्षा ऋतु में धातु की छड़ वाली छतरी ऊपर रखते हुए ट्रैक पार न करें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें।
- (vii) रेलवे फाटक के पास यदि कोई असाधारण घटना दिखाई पड़ती है तो:-
3. गेट को तुरन्त बंद करें।
4. स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें जैसे—
- (क) ओ.एच.ई. की तारों से आग लगने पर।
- (ख) तारों का टूटना एवं तारों से चिन्गारियों का निकलना।
- (ग) इंजन के पेटो में खराबी।
- (घ) किसी व्यक्ति के तारों से चिपकने पर।
- (ङ) तारों पर पेड़ का गिरना।
- (च) टूटे या खुले बांड इत्यादि।
6. उपर्युक्त किसी भी घटना में से किसी भी हालत में टूटी तारों एवं बांड को न छुयें।
7. ओ.एच.ई. के तार टूटने की स्थिति में यातायात की दिशा में सावधानीपूर्वक जाते हुए, तारों से 2 मी. की उचित दूरी बनाते हुए, सुरक्षा के नियमानुसार बैनर-फ्लैग एवं पटाखें लगायें।
8. दोहरी लाइन खण्ड में यदि दोनों लाइनों पर ओ.एच.ई. के तारों के साथ कोई घटना घटित होती है जैसे कि दोनों तारों पर अप एवं डाउन लाइन में पेड़ के गिर जाने पर तो दूसरे ट्रैक पर भी जाकर उपरोक्त के अनुसार ट्रैक को सुरक्षित करें।
- (viii) हाइट गेज के टूटने पर तुरन्त गेट को बंद कर दें एवं इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दें, साथ में आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाइन पर उपलब्ध रहें।
- (ix) विद्युत आघात लगे व्यक्ति को तुरन्त कृत्रिम श्वास दें एवं स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें।
- (x) मालगाड़ी, यात्री गाड़ी या इंजन के ऊपर न चढ़ें। यदि यात्री चढ़े हैं तो उसे तुरन्त उतारने की कोशिश करें अथवा स्टेशन मास्टर को सूचित करें।
- (xi) यदि किसी मालगाड़ी के दरवाजे अथवा टैंकर के ढक्कन खुले हों तो तुरन्त स्टेशन मास्टर को सूचित करें।
- (xii) किसी पशु को झटका लगने एवं मरने पर इसकी सूचना तुरन्त स्टेशन मास्टर को दें साथ में आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाइन पर उपलब्ध रहें।
- (xiii) मास्ट(खम्भों) के ऊपर न चढ़ें।
- (xiv) जिस मास्ट(खम्भों) से अर्थ पत्ती खुली हो उस मास्ट को न छुयें तथा उससे 2 मीटर दूर रहें।

.....

## परिशिष्ट 'ए'

## भाग - 1

**खलीलाबाद स्टेशन पर स्थित 'स्पेशल' श्रेणी का ट्राफिक समपार फाटक सं० 179 के संचालन हेतु अनुदेश**

## 1. विवरण

## 1.6 सामान्य :-

|    |                                          |                                    |
|----|------------------------------------------|------------------------------------|
| 1  | समपार फाटक सं०                           | 179 "स्पेशल"                       |
| 2  | इंजीनियरिंग/यातायात फाटक                 | यातायात                            |
| 3  | किसके अधीन स्टेशन अधी०/रेलपथ निरीक्षक    | स्टेशन अधीक्षक/खलीलाबाद            |
| 4  | किलोमीटर पर स्थित                        | 538/5-6                            |
| 5  | स्टेशन पर                                | खलीलाबाद                           |
| 6  | स्टेशनों के मध्य                         | खलीलाबाद यार्ड                     |
| 7  | बी०जी०/एम०जी०/एन०जी०                     | बी०जी०                             |
| 8  | इकहरी लाइन/दोहरी/मिश्रित लाइन            | दोहरी लाइन                         |
| 9  | सामान्य स्थिति                           | सड़क यातायात के लिये खुला          |
| 10 | इण्टरलाकड/नान-इण्टरलाकड                  | इण्टरलाकड                          |
| 11 | इण्टरलाकिंग का प्रकार                    | स्टेशन के सिगनलो से अन्तर्पाशित है |
| 12 | गेट सिगनलों का प्रावधान का कि०मी०        | —                                  |
|    | अप दिशा—                                 | —                                  |
|    | डाउन दिशा—                               | —                                  |
| 13 | संकेतन व्यवस्था                          | कलर लाइट सिगनल                     |
| 14 | संचार साधन टेलीफोन/घण्टी इत्यादि         | टेलीफोन                            |
| 15 | समपार फाटक की चौड़ाई                     | 9.00 मीटर                          |
| 16 | सड़क का प्रकार(एन०एच०/एस०एच०/अन्य)       | अन्य                               |
| 17 | सड़क का नाम                              | अन्य                               |
| 18 | पक्का/कच्चा                              | पक्का                              |
| 19 | पहुँच मार्ग                              | उपलब्ध                             |
| 20 | सड़क की चौड़ाई                           | 8.20 मीटर पक्की                    |
| 21 | सड़क की कासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिये) | 90°                                |
|    | पूर्व/उत्तर की तरफ                       | 90°                                |
|    | पश्चिम/दक्षिण की तरफ                     | 90°                                |
| 22 | सड़क की ढाल यदि कोई हो                   | समतल                               |
|    | पूर्व/उत्तर की तरफ                       | कोई नहीं                           |
|    | पश्चिम/दक्षिण की तरफ                     | कोई नहीं                           |
| 23 | सड़क की सीधआई (सीधा/गोलाई)               | सीधी                               |
|    | पूर्व/उत्तर की तरफ                       | कोई नहीं                           |
|    | पश्चिम/दक्षिण की तरफ                     | कोई नहीं                           |
| 24 | हाईट गेज का प्रावधान                     | है                                 |
| 25 | बैरियर का प्रकार                         | लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर      |
| 26 | चेक रेलो की लम्बाई                       | 11.00 मीटर                         |

|    |                                                     |                   |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 27 | समपार के मध्य सड़क की सतह                           | पक्का             |
| 28 | रम्बल स्ट्रिप/गति अवरोध की लम्बाई                   | 20.00 मीटर        |
| 29 | रोड साइन                                            | उपलब्ध            |
| 30 | गति अवरोधक बोर्ड                                    | उपलब्ध            |
| 31 | टी0वी0यू0                                           | 166680 अगस्त 2021 |
| 32 | अगली गणना की तिथि                                   | अगस्त 2024        |
| 33 | पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान                | उपलब्ध            |
| 34 | गेटमैनों की संख्या                                  | 3                 |
| 35 | निकटतम रेलवे चिकित्सा सहायता केन्द्र                | बस्ती             |
| 36 | निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो। | खलीलाबाद          |
| 37 | उपलब्ध उपकरणों की सूची हाँ / नहीं                   | उपलब्ध हैं        |

## 1.7 उपकरण :-

| क्रम सं0 | विवरण                                                            | मात्रा                            |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1        | ट्राई कलर टार्च/फ्लैशिंग टेल लैम्प                               | 03                                |
| 2        | हरी हाथ झण्डी                                                    | 01 (डण्डे में लगा हुआ)            |
| 3        | लाल हाथ झण्डी                                                    | 03 (डण्डे में लगा हुआ)            |
| 4        | बैनर फ्लैग लाल                                                   | 03                                |
| 5        | लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट                                  | 02                                |
| 6        | तालों के साथ अतिरिक्त चेन( जंजीर)                                | 02 अदद 'स्टाप चिन्ह' के साथ       |
| 7        | पटाखा सिगनल                                                      | 10                                |
| 8        | टामी बार                                                         | 01                                |
| 9        | मोर्टार पैन ( तसला )                                             | 01                                |
| 10       | फावड़ा/बेल्टा                                                    | 01                                |
| 11       | दुरमुट                                                           | 01 (पक्की सतह के लिए आवश्यक नहीं) |
| 12       | पिक एक्स                                                         | 01 (पक्की सतह के लिए आवश्यक नहीं) |
| 13       | टिन केस झण्डी के लिये                                            | 01                                |
| 14       | कैन मिटटी के तेल हेतु                                            | 01                                |
| 15       | बाल्टी/पानी पीने का बर्तन                                        | 01                                |
| 16       | टिन केस मस्टर शीट के लिये                                        | 01                                |
| 17       | चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते हैं ( दृष्टि वाला )        | 01                                |
| 18       | गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम | 01                                |
| 19       | टोकरी                                                            | 01                                |
| 20       | सीटी                                                             | 01                                |
| 21       | दीवार घड़ी                                                       | 01                                |
| 22       | छोटी चेन ताला चाभीयुक्त                                          | 02                                |

## 1.8 गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख :-

24. गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में।
25. गेटमैन नियम पुस्तिका हिन्दी भाषा में।
26. पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची।
27. ड्यूटी रोस्टर।
28. गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण-पत्र।
29. गेटमैन का बायोडाटा, नेत्र जॉच, प्रारम्भिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि।
30. दुर्घटना रजिस्टर।
31. समपार फाटक पर अन्तिम गणना का अभिलेख।
32. निरीक्षण पुस्तिका।
33. जन परिवाद पुस्तिका।

## 1.9 समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश :-

(क) संचालन पद्धति:-

मंसिदूङ्ग  
पूर्वोत्तर रेलवे/लखनऊ

वमंपरिप्र/सा0  
पूर्वोत्तर रेलवे/लखनऊ

## (1) लिफ्टिंग बैरियर संचालन पद्धति :-

समपार को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करने के लिये ट्रैक के दोनों ओर एक जोड़ा लिफ्टिंग बैरियर की व्यवस्था है। लिफ्टिंग बैरियरों को संचालित करने के लिये एक विन्च की व्यवस्था है। समपार को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करने के लिये कार्यरत गेटमैन विन्च को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जाये। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियरों के बीच में कोई सड़क वाहन फँस न जाये। विन्च को इस स्थिति में लाक करने के लिये चाभी 'क्यू-1' को घुमाकर निकाल लेगा तथा इसे बूम लाक लीवर पर लगे इसके 'ई' प्रकार के ताले में चाभी 'क्यू-1' लगाकर घुमायेगा जो लीवर को मुक्त करेगी। बूम लाक लीवर को विपरीत दिशा में खींचने पर बूमों को फाटक बन्द दशा में लाक कर देगा। बूम लाक लीवर से चाभी "क्यू" निकालकर गेट लाज में लगे लीवर लाक में लगाकर घड़ी की दिशा में घुमायेगा जिससे स्टेशन मास्टर पैनल पर प्रदत्त इस गेट की बन्द होने की पुष्टि स्वरूप एक इण्डिकेशन मिल जायेगा। इण्डिकेशन मिलने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार नियंत्रण पुश बटन जी बीएन एवं एलएन को एक साथ दबायेगा। तब गाड़ी के लिए आवश्यक सिगनल आफ करेगा। सिगनल आफ करने पर गेट लाज में के.एल.सी.आर. पर से लाक फ्री इंडिकेशन चला जायेगा। गाड़ी के गुजरने के बाद कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार नियंत्रण पुश बटन जीबीएन एवं वाईएन को एक साथ दबायेगा। जिससे गेट लाज में प्रदत्त के0एल0सी0आर0 पर लाक फ्री इण्डिकेशन मिलने के बाद गेटमैन चाभी "क्यू" को लीवर लाक से घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाकर निकाल देगा। इस चाभी "क्यू" को बूम लाक लीवर पर लगे ताले में लगाकर घुमाकर लीवर को सामान्य दशा में करके इसके ताले से चाभी "क्यू-1" निकाल लेगा तथा विन्च पर लगे इसके ताले में डालकर घुमा देगा तथा विन्च को तब तक घुमायेगा जब तक कि लिफ्टिंग बैरियरों के बूम उपर उठकर लगभग उर्ध्वाधर न हो जाये।

## (2) स्लाइडिंग बूम बैरियर की संचालन पद्धति :-

## (1) समपार बन्द करने हेतु:-

- (i) जब समपार फाटक को लिफ्टिंग बैरियर की विफलता या किसी अन्य कारण से लिफ्टिंग बैरियर द्वारा न बन्द किया जा सके तब समपार पर लगाए गए स्लाइडिंग बूम बैरियर को खींचकर बन्द किया जायेगा।
- (ii) स्लाइडिंग बूम बैरियर द्वारा समपार को बन्द करने से पहले कार्यरत स्टेशन मास्टर/गेटमैन के बीच अलग से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान किया जायेगा।
- (iii) स्लाइडिंग बूम बैरियरों के लाकिंग पार्ट की तरफ संगत चाभी बी3-बी4 वेल्ड है। स्लाइडिंग बूम बैरियर के 2 वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में संगत चाभी बी3-बी4 को लगाकर घुमाने से सम्बन्धित बूम लाक हो जायेंगे तथा क्रमशः चाभी एल1 एवं एल2 रिलीज हो जायेगी।
- (iv) 2वें लाकअप बाक्स से रिलीज चाभी एल1 एवं एल2 को 3वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगाकर घुमाने पर चाभी 'क्यू' रिलीज होगी। गेटमैन इस चाभी को गेटलाज में लगे के.एल.सी.आर. में लगाकर घुमायेगा जिससे समपार बन्द होने का इण्डिकेशन स्टेशन मास्टर को पैनल पर प्राप्त होगा।
- (v) समपार फाटक को बंद होने का संकेत मिलने पर स्टेशन मास्टर समपार नियंत्रण बटन "552 एलएन" एवं GBN बटन को दबाकर समपार को लाक स्थिति में कर देगा। तत्पश्चात् गाड़ी के लिए आवश्यक सिगनल "आफ" करेगा। सिगनल "आफ" करने पर गेट लाज में लगे आपरेटिंग पैनल पर से लाक फ्री का सफेद इण्डिकेशन बुझ जायेगा। सिगनल 'आफ' हो जाने के पश्चात् गेटलाज में लगे के.एल.सी.आर. से चाभी 'क्यू' को नहीं निकाला जा सकेगा।

## (2) समपार खोलने हेतु :-

समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त कार्यरत स्टेशन मास्टर, समपार नियंत्रण बटन "552 वाई.एन" को GBN बटन के साथ

दबाकर रिलीज करेगा। जिससे गेट लाज में गेट रिलीज का इण्डिकेशन मिल जायेगा। गेट रिलीज का इण्डिकेशन मिलने के उपरान्त कार्यरत गेटमैन चाभी 'क्यू' के.एल.सी.आर. से निकालकर 3वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगायेगा। चाभी 'क्यू' 3वे लाक अप बाक्स में लगाने पर चाभी एल1 एवं एल2 मुक्त होगी। 3वे लाक अप बाक्स से रिलीज चाभी एल1 एवं एल2 को 2वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगाकर घुमाकर संगत बूमों की चाभी बी3 एवं बी4 को रिलीज करेगा इसके उपरान्त कार्यरत गेटमैन इस चाभी की सहायता से स्लाइडिंग बूम बैरियर को खोलकर समपार को सड़क यातायात के लिये खोल देगा।

### नोट: I. आपातकालीन स्विच :

आपातकाल के समय गेट रक्षित सिगनलों को आन स्थिति में करने के लिये गेट लाज में एक स्विच का प्रावधान है। यह स्विच एक ग्लास लगे केस में लगा है। केस ताला बंद व सील रहता है। आपात स्थिति में गेट रक्षित सिगनलों को "आन" करने के लिए गेटमैन ग्लास केस के सामने लगे शीशे को तोड़कर स्विच को घुमायेगा तथा इसका विस्तृत विवरण डायरी में भरेगा। ऐसा करने पर सिगनल "आन" दशा में हो जायेंगे। इसकी सूचना कार्यरत स्टेशन मास्टर को देगा। आपात स्थिति समाप्त हो जाने पर स्विच को नार्मल कर देगा। केस में नया शीशा लगा दिया जायेगा।

### II. विद्युतीय नियंत्रण विफलता पर गेट को खोलें जाने हेतु :

विद्युत नियंत्रण की विफलता के समय स्टेशन मास्टर द्वारा भेजी गयी आपात कालीन चाभी "क्यू ई" को बूम लाक लीवर पर लगे ताले में लगाकर घुमाने पर बूम लाक लीवर रिलीज हो जाता है तथा लिफ्टिंग बैरियर को खोला जा सकता है।

#### (ख) गेटमैन को सूचना :-

- (i) अप गाड़ियों के आगमन एवं डाउन गाड़ियों का लाइन सं0 5 पर सैण्ड हम्प लगाकर लेने के अतिरिक्त आगमन तथा डाउन गाड़ियों के प्रस्थान के लिये समपार को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द एवं लाक करने के लिए कार्यरत स्टेशन मास्टर, कार्यरत गेटमैन को निम्न सूचनाएं देगा एवं स्टेशन मास्टर/ गेटमैन निम्न प्रारूप में आवश्यकतानुसार रजिस्टर भरेंगे :-

#### सामान्य स्थिति में :-

| तिथि | गाड़ी संख्या व विवरण | सूचना का समय | कार्यरत गेटमैन द्वारा गेट बंद करके इंडिकेशन देने का समय | स्लाइडिंग बूम से कार्य करते समय प्रा. नं0 का आदान प्रदान |                      | समपार से गाड़ी पास होने का समय | आवश्यकता -नुसार गेटमैन द्वारा गाड़ी के पूर्ण आगमन हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर. | स्टेशन मास्टर / गेटमैन का हस्ताक्षर | टिप्पणी |
|------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
|      |                      |              |                                                         | गेटमैन का प्रा.नं.                                       | स्टे0मा0 का प्रा.नं. |                                |                                                                                 |                                     |         |
| 1    | 2                    | 3            | 4                                                       | 5                                                        | 6                    | 7                              | 8                                                                               | 9                                   | 10      |

#### गेट विफल होने की स्थिति में :-

इण्टरलाक गेट विफल होने की स्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक गेट माना जायेगा तथा गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान की कार्य प्रणाली नान-इण्टरलाक गेट की कार्यप्रणाली के अनुसार किया जायेगा। ऐसी स्थिति में स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्न प्रारूप में आवश्यकतानुसार रजिस्टर भरेंगे:-

| तिथि | गाड़ी का नम्बर एवं विवरण | गेट से पास होने का सम्भावित समय | सूचना मिलने / देने का समय | स्टे.मा. द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर | गेटमैन द्वारा सूचना प्राप्त होने की पुष्टि हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर | गेटमैन द्वारा गेट को बन्द व लाक कर दिया गया प्राइवेट नम्बर | स्टेशन मास्टर द्वारा समपार के बन्द व लाक होने की पुष्टि हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर | गाड़ी पास होने का समय | स्टेशन मास्टर / गेटमैन का हस्ताक्षर |
|------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1    | 2                        | 3                               | 4                         | 5                                       | 6                                                                       | 7                                                          | 8                                                                                    | 9                     | 10                                  |

- (ii) गेटमैन गेट को बन्द व लाक करके गेट बन्द चाभी के.एल.सी.आर. में लगाकर घुमा देगा ऐसा करने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को पैनल पर गेट बन्द इण्डिकेशन मिल जायेगा।
- (iii) इण्डिकेशन मिलने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार नियंत्रण पुश बटन जीबीएन एवं एलएन को एक साथ दबायेगा। तब गाड़ी के लिए आवश्यक सिगनल आफ करेगा। सिगनल आफ करने पर गेट लाज में के.एल.सी.आर. पर से लाक फ्री इंडिकेशन चला जायेगा।
- (iv) स्टेशन मास्टर का यह दायित्व है कि गेटमैन को सूचित करने से पूर्व सुनिश्चित कर ले कि गाड़ी प्रस्थान के लिये तैयार है क्योंकि सड़क यातायात अधिक देर तक समपार पर रुका न रहे।
- (v) जब किसी गाड़ी को स्टेशन से/को यार्ड को/से पायलट करना हो अथवा कोई शंटिंग मूवमेन्ट इस समपार के आर-पार करना हो तो गाड़ी पायलट करने अथवा शंटिंग कार्य के लिये नियुक्त कर्मचारी फाटक को सड़क यातायात के लिये बन्द व लाक होना सुनिश्चित करेगा तथा उसके पश्चात् ही समपार फाटक को पार करेगा।

(ग) टेलीफोन संचार की विफलता :-

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाये अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन की तरफ से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर अग्रलिखित कार्यवाही करेगा :-

- (i) कार्यरत स्टेशन मास्टर कॉटावाला द्वारा गेटमैन को लिखित रूप से पूर्ण विवरण, संख्या एवं गाड़ी की दिशा में बारे में सूचित करेगा।
- (ii) कार्यरत गेटमैन स्टेशन मास्टर से लिखित सूचना प्राप्त होने के उपरान्त गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करेगा तथा इण्डिकेशन स्टेशन मास्टर को ट्रान्समिट करेगा। इण्डिकेशन प्राप्त होने के उपरान्त स्टेशन मास्टर समपार नियन्त्रक पुश बटन जीबीएन एवं एलएन को एक साथ दबायेगा। तत्पश्चात् गाड़ी के लिये आवश्यक सिगनल 'आफ' करेगा।
- (iii) ट्रेनों की अधिकता के कारण कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गेटमैन को सूचित करना सम्भव न हो सके तो कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के ड्राइवर को सिगनल 'आन' स्थिति में पार करने हेतु लिखित आदेश देगा।
- (iv) इसके अतिरिक्त स्टेशन मास्टर ड्राइवर को लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ने हेतु तथा गेटमैन के हाथ सिगनल के अनुसार समपार पार करने का सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (v) गाड़ी के आगमन के मामले में कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि गेट का टेलीफोन खराब है।
- (vi) तब गाड़ी प्रस्थान कराने वाला स्टेशन मास्टर ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करने के उपरान्त ही गाड़ी भेजेगा।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी जो टेलीफोन अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी है अतिशीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिये सूचना देगा।
- (viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

(घ) लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर की विफलता :-

- (i) जब लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर के खराब हो जाने के कारण गेट को बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर रेलपथ को बाधित न करता हो।
- (ii) गेटमैन को निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम जिस तरफ से ट्रेन के आने की सम्भावना हो, दिन में लाल बैनर पलैंग तथा रात में लाल बत्ती लगायेगा। तदुपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
- (iii) गेटमैन समपार पर सड़क यातायात को रोकने के लिये समपार को सुरक्षा चेन तथा तालो द्वारा बन्द करेगा।
- (iv) सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन में हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आने वाली ट्रेन के ड्राइवर को दिखायेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन से इस समपार की ओर जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (vi) स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से ब्लाक खण्ड में ट्रेन भेजने के पूर्व ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करे कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर के शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

**(ङ) 'गेट की चाभी' का गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब 'गेट की चाभी' खोलने के लिये न निकाली जा सके :-**

- (i) यदि गेट की चाभी विन्च, बूम लाकिंग लीवर, के.एल.सी.आर. से निकाली न जा सके तो कार्यरत गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
- (ii) आपातकालीन चाभी "क्यूई" जोकि स्टेशन मास्टर कार्यालय में लगे सील्ड एवं ताला बंद केस में लगी एच.के.टी. में लाक रहती है स्टेशन मास्टर उसकी सील को तोड़कर कार्यरत कर्मचारी के द्वारा गेट पर भिजवायेगा तथा इसकी प्रविष्टि अभिलेख में कारण सहित उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर करेगा।
- (iii) इस परिस्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक गेट माना जायेगा व गाड़ियों का आवागमन नान-इण्टरलाक गेट की कार्यप्रणाली के अनुसार किया जायेगा।
- (iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (v) स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से ब्लाक खण्ड में ट्रेन भेजने के पूर्व ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (vi) स्टे.मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को जो विन्च, बूम लाकिंग लीवर, के.एल.सी.आर. की मरम्मत करते हैं को शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (vii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।
- (viii) मरम्मत के बाद आपात कालीन चाभी दूरसंचार कर्मचारियों द्वारा आपात कालीन बाक्स में रखकर पुनः सील कर दिया जायेगा।

**(च) समपार फाटक की खुली दशा में 'गेट चाभी' की विफलता :-**

- (i) यदि समपार फाटक की खुली दशा में विन्च, बूम लाकिंग लीवर या के.एल.सी.आर. से गेट चाभी निकाली जा सके तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन द्वारा स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के साथ सूचित करेगा।

- (ii) इस परिस्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक मानकर गाड़ियों के आगमन तथा प्रस्थान नान-इण्टरलाक गेट की प्रक्रिया में निहित निर्देशानुसार किया जायेगा।
- (iii) गेटमैन गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध संरक्षा चेन एवं ताले से संरक्षित करेगा तथा वह गाड़ी को हाथ संकेत द्वारा पास करेगा।
- (iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये गाड़ियों को ब्लाक खण्ड में प्रवेश कराने के पूर्व 'गेट खुली दशा में खराब है' के लिये सतर्कता आदेश जारी करने के लिये सूचित करेगा।
- (vi) स्टे.मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को जो विन्च, बूम लाकिंग लीवर, के.एल.सी.आर. की मरम्मत करते हैं को शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (vii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

**(छ) समपार फाटक पर अवरोध :-**

- (i) यदि कोई सड़क वाहन गेट को तोड़कर रेलपथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का अन्य भाग रेलपथ को बाधित कर रहा है या अन्य कोई बाधा गेट पर है, तो गेटमैन तुरन्त समपार के दोनों छोरों के ट्रैक पर आवश्यकता हेतु लगाये गये निर्धारित पोस्ट पर दिन में लाल बैनर फलैंग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा।
- (ii) इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
- (iii) कार्यरत गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को आगमन/प्रस्थान सिगनल यदि किसी ट्रेन के लिये 'आफ' किया गया हो तो उसको 'आन' करने के लिये सूचित करेगा।
- (iv) यदि दो या तीन प्रयासों के पश्चात् भी कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम गेट को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
- (v) गेटमैन पटाखा व दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती लेकर तेजी से पहले उस तरफ जायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है तथा गेटमैन आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही के अनुसार गेट को संरक्षित करेगा।
- (vi) इसके पश्चात् गेटमैन गेट के दूसरी तरफ को भी संरक्षित करेगा।
- (vii) गेटमैन सड़क वाहन का विवरण, चालक का नाम, वाहन मालिक का नाम नोट कर कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर तब तक समपार की ओर गाड़ी नहीं चलायेगा जब तक कि गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर लेता है कि सड़क वाहन, लिफ्टिंग बैरियर या अन्य कोई अवरोध रेलपथ को बाधित नहीं कर रहा है।
- (viii) कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से कोई भी गाड़ी ब्लाक खण्ड में तब तक न भेजे जब तक कि रेलपथ पर से सभी अवरोध हटा न दिये जायें।
- (ix) रेलपथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद इसकी सूचना गेटमैन स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के द्वारा देगा।
- (x) कार्यरत स्टेशन मास्टर यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई अवरोध न हो सभी ट्रेन के चालकों को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ते हुये समपार को गेटमैन द्वारा हरा संकेत देने पर सावधानीपूर्वक पास करें।
- (xi) यदि समपार फाटक बाधित नहीं है तब गेटमैन समपार को संरक्षा चेनो तथा तालो द्वारा सड़क यातायात के लिये संरक्षित करेगा तथा उसके बाद गेटमैन दिन के समय हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।

- (xii) स्टेशन मास्टर अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी कर्मचारी को लिफ्टिंग बैरियर को अविलम्ब ठीक कराने हेतु सूचित करेगा।
- (xiii) समपार फाटक पर सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय से प्रारम्भ की जायेगी जब लिफ्टिंग बैरियर को मरम्मत के उपरान्त संयोजन/फिट मेमो प्राप्त हो जाये।

**(ज) समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध :-**

यदि किसी रेल का टूटना, रेलपथ किसी पेड़ इत्यादि के गिरने के कारण अवरुद्ध होना, सड़क वाहन द्वारा अवरुद्ध अथवा गाड़ी का अवपथन होना जो गेटमैन को दिखाई दे रहा है, तो गेटमैन और स्टेशन मास्टर 'समपार फाटक पर अवरोध' में ऊपर वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करेगा। यदि अवरोध समपार गेट को बाधित कर रहा है तो गेटमैन को सड़क यातायात के लिये गेट को उस समय तक बन्द रखेगा जब तक रेलपथ से अवरोध हटा न लिया जाये।

**1.10 गेटमैन के कर्तव्य :-**

**(1) सावधानी :-**

गेटमैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।

**(2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति :-**

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेटमैन बतायी गयी निम्न स्थिति में खड़ा रहेगा:-

- (i) गेटमैन सतर्कतापूर्वक गेटलाज के सामने आती हुई ट्रेन की तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
- (ii) दिन में गेटमैन दौरे हाथ में लाल झण्डी तथा बाँये हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।
- (iii) रात्रि समय में गेटमैन जलती हुई सफेद हाथ बत्ती लाइन की तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
- (iv) गेटमैन गले में सीटी धागे से बाँधकर लटकाये रहेगा।

**(3) गेटमैन की नियमित ड्यूटी :-**

- (i) गेटमैन रोड यूजर सिगनल को लगातार जलती हुयी स्थिति में रखना सुनिश्चित करेगा।
- (ii) गेटमैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर लें, तब तक गेटमैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेटमैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिये बन्द करके ताला लगायेगा।
- (iii) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेटमैन गुजरती हुई ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिये तत्पर रहेगा।
- (iv) गेटमैन गुजरती हुई सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे हाट एक्सिल (गर्म धुरा), लटकती हुई चेन, लटकता हुआ बैटरी बाक्स, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैटरी बाक्स में आग लगी हो तथा ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेपटी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेण्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।
- (v) गेटमैन गार्ड द्वारा ड्राइवर को वाकी-टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिये तैयार रहेगा।
- (vi) समपार फाटक का बैरियर क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेटमैन अतिरिक्त चेन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बन्द करेगा।
- (vii) गेटमैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिये यथाशीघ्र समीप वाले स्टेशन मास्टर, गैंग मेट अथवा रेलपथ निरीक्षक को सूचित करेगा।
- (viii) जब गेटमैन कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।

कमश: पृष्ठ 10 पर

- (ix) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि ड्यूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण-पत्र उपलब्ध है।
- (x) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।
- (xi) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में हैं एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार हैं।
- (xii) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चेक रेल गैप साफ है।
- (xiii) गेटमैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से कूटकर ठीक रखेगा।
- (xiv) गेटमैन सड़क प्रयोगकर्ताओं के लिये गेट को बन्द रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिये बन्द हो।
- (xv) विद्युतीय रेल प्रखण्ड पर गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि सड़क वाहन/पशु जो उस सड़क से गुजरते हैं, समपार के दोनों तरफ लगाये गये "हाइट लोडिंग गेज" के नीचे से गुजरे।
- (xvi) जहाँ तक सम्भव हो गेटमैन मनुष्यों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4). ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य :-

यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा :-

- (i) वह तत्काल ही ड्राइवर/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।
- (ii) साथ ही साथ ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिये लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेंकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।
- (iii) यदि ड्राइवर/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरान्त भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये तदनुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
- (iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेटमैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झण्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।
- (v) वह ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुये दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुये पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करेगा।
- (vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रुकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर को उचित कार्यवाही करने हेतु प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा इसकी सूचना देगा।

(5) आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही :-

- (i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर निर्धारित पोस्ट पर दिन में लाल बैनर फलैंग तथा रात्रि में लालबत्ती लगायेगा।
- (ii) इसके उपरान्त यदि गेटमैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।
- (iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

(6) गेटमैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा :-

- (अ) दोहरी लाइन खण्ड पर

- (i) यदि दोनो लाइनों अवरुद्ध है तो गेटमैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लालबत्ती 5 मीटर की दूरी पर निर्धारित स्थान पर लगायेगा। गेटमैन पहले उस लाइन को संरक्षित करेगा, जिस पर पहले ट्रेन आने की सम्भावना हो।
  - (ii) तदुपरान्त उसी तरह गेटमैन दूसरी लाइन पर दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लालबत्ती अवरोध से 5 मीटर दूर लगायेगा।
  - (iii) गेटमैन तब पटाखा एवं दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती के साथ गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।
  - (iv) गेटमैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाते हुये लाइन की तरफ बढ़ेगा जिस पर पहले ट्रेन आने की सम्भावना है। 600 मीटर पर एक पटाखा लगायेगा इसके बाद वह आगे बढ़कर समपार फाटक से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखा 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को सुरक्षित करने के पश्चात् वह गेट पर वापस लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर लगाये गये पटाखे को उठा लेगा।
  - (v) इसके बाद वह दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाते हुये उसी प्रकार जैसा ऊपर क्रमांक (iv) में वर्णित है दूसरी लाइन की तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।
  - (vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात् गेटमैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सचेत करने का प्रयास करेगा।
  - (vii) उन परिस्थितियों में जब गेटमैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।
  - (viii) उसके उपरान्त गेटमैन आने वाली ट्रेन को दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाकर रोकेगा।
- (ब) गेटमैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही :-
- (i) यदि समपार फाटक किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर या गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेटमैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।
  - (ii) गेटमैन सड़क यातायात का विवरण लिखेगा जैसे - वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और स्टेशन मास्टर अथवा रेलपथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।
  - (iii) स्टेशन मास्टर द्वारा सूचित करने पर आने वाली गाड़ियों के पूर्ण आगमन हेतु गेट मैन, टेल लैम्प/टेल बोर्ड के साथ गाड़ी का पास होना और फाउलिंग मार्क साफ होना सुनिश्चित होने के बाद गाड़ी के पूर्ण आगमन की पुष्टि स्वरूप स्टेशन मास्टर को सहायक नियम 4.17(vii) के अनुसार प्राइवेट नम्बर देगा।

क्रमशः पृष्ठ 12 पर

(7) 25000 वोल्ट विद्युतीकृत रेलवे लाइन के समपार फाटक पर कार्य करते समय ली जाने वाली विशेष सावधानियाँ:-

- (i) 25000 वोल्ट पर चार्ज ओ.एच.ई. की तारों से हमेशा 2 मीटर दूर रहें।
- (ii) ओ.एच.ई. की तारों की तरफ पानी की धार न छोड़ें।
- (iii) यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति ओ.एच.ई. धातु की छड़ ऊपर सीधी खड़ी करके या कंधे पर रख कर रेलवे ट्रैक या फाटक पार न करे।

- (iv) ओ.एच.ई. के तारों के समानान्तर 200 मीटर या इससे अधिक दूरी तक धातु की तारों को न खींचें अथवा दौड़ायें।
- (v) ओ.एच.ई. की तारों से चिपके किसी भी व्यक्ति को न छुएं जब तक कि तारों की सप्लाई बंद न कर दी जाए।
- (vi) वर्षा ऋतु में धातु की छड़ वाली छतरी ऊपर रखते हुए ट्रैक पार न करें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें।
- (vii) रेलवे फाटक के पास यदि कोई असाधारण घटना दिखाई पड़ती है तो:-
5. गेट को तुरन्त बंद करें।
6. स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें जैसे-
- (क) ओ.एच.ई. की तारों से आग लगने पर।
- (ख) तारों का टूटना एवं तारों से चिन्गारियों का निकलना।
- (ग) इंजन के पेंटो में खराबी।
- (घ) किसी व्यक्ति के तारों से चिपकने पर।
- (ङ) तारों पर पेड़ का गिरना।
- (च) टूटे या खुले बांड इत्यादि।
9. उपर्युक्त किसी भी घटना में से किसी भी हालत में टूटी तारों एवं बांड को न छुयें।
10. ओ.एच.ई. के तार टूटने की स्थिति में यातायात की दिशा में सावधानीपूर्वक जाते हुए, तारों से 2 मी. की उचित दूरी बनाते हुए, सुरक्षा के नियमानुसार बैनर-फ्लैग एवं पटाखें लगायें।
11. दोहरी लाइन खण्ड में यदि दोनों लाइनों पर ओ.एच.ई. के तारों के साथ कोई घटना घटित होती है जैसे कि दोनों तारों पर अप एवं डाउन लाइन में पेड़ के गिर जाने पर तो दूसरे ट्रैक पर भी जाकर उपरोक्त के अनुसार ट्रैक को सुरक्षित करें।
- (viii) हाइट गेज के टूटने पर तुरन्त गेट को बंद कर दें एवं इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दें, साथ में आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाइन पर उपलब्ध रहें।
- (ix) विद्युत आघात लगे व्यक्ति को तुरन्त कृत्रिम श्वास दें एवं स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें।
- (x) मालगाड़ी, यात्री गाड़ी या इंजन के ऊपर न चढ़ें। यदि यात्री चढ़े हैं तो उसे तुरन्त उतारने की कोशिश करें अथवा स्टेशन मास्टर को सूचित करें।
- (xi) यदि किसी मालगाड़ी के दरवाजे अथवा टैंकर के ढक्कन खुले हों तो तुरन्त स्टेशन मास्टर को सूचित करें।
- (xii) किसी पशु को झटका लगने एवं मरने पर इसकी सूचना तुरन्त स्टेशन मास्टर को दें साथ में आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाइन पर उपलब्ध रहें।
- (xiii) मास्ट(खम्भों) के ऊपर न चढ़ें।
- (xiv) जिस मास्ट(खम्भों) से अर्थ पत्ती खुली हो उस मास्ट को न छुयें तथा उससे 2 मीटर दूर रहें।

## परिशिष्ट 'ए'

### भाग - 2

### खलीलाबाद स्टेशन पर स्थित 'विशेष' श्रेणी का ट्राफिक समपार फाटक सं० 180 के संचालन हेतु अनुदेश

1. विवरण  
1.11 सामान्य :-

|    |                                          |                                    |
|----|------------------------------------------|------------------------------------|
| 1  | समपार फाटक सं०                           | 180 "विशेष"                        |
| 2  | इंजीनियरिंग/यातायात फाटक                 | यातायात                            |
| 3  | किसके अधीन स्टेशन अधी०/रेलपथ निरीक्षक    | स्टेशन अधीक्षक/खलीलाबाद            |
| 4  | किलोमीटर पर स्थित                        | 539/4-5                            |
| 5  | स्टेशन पर                                | खलीलाबाद                           |
| 6  | स्टेशनों के मध्य                         | खलीलाबाद यार्ड                     |
| 7  | बी०जी०/एम०जी०/एन०जी०                     | बी०जी०                             |
| 8  | इकहरी लाइन/दोहरी/मिश्रित लाइन            | दोहरी लाइन                         |
| 9  | सामान्य स्थिति                           | सड़क यातायात के लिये खुला          |
| 10 | इण्टरलाकड/नान-इण्टरलाकड                  | इण्टरलाकड                          |
| 11 | इण्टरलाकिंग का प्रकार                    | स्टेशन के सिगनलो से अन्तर्पाशित है |
| 12 | गेट सिगनलों का प्रावधान का कि०मी०        | —                                  |
|    | अप दिशा—                                 | —                                  |
|    | डाउन दिशा—                               | —                                  |
| 13 | संकेतन व्यवस्था                          | कलर लाइट सिगनल                     |
| 14 | संचार साधन टेलीफोन/घण्टी इत्यादि         | टेलीफोन                            |
| 15 | समपार फाटक की चौड़ाई                     | 8.20 मीटर                          |
| 16 | सड़क का प्रकार(एन०एच०/एस०एच०/अन्य)       | एसएच                               |
| 17 | सड़क का नाम                              | एसएच                               |
| 18 | पक्का/कच्चा                              | पक्का                              |
| 19 | पहुँच मार्ग                              | उपलब्ध                             |
| 20 | सड़क की चौड़ाई                           | 7.10 मीटर पक्की                    |
| 21 | सड़क की कासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिये) | 90°                                |
|    | पूर्व/उत्तर की तरफ                       | 90°                                |
|    | पश्चिम/दक्षिण की तरफ                     | 90°                                |
| 22 | सड़क की ढाल यदि कोई हो                   | समतल                               |
|    | पूर्व/उत्तर की तरफ                       | कोई नहीं                           |
|    | पश्चिम/दक्षिण की तरफ                     | कोई नहीं                           |
| 23 | सड़क की सीधआई (सीधा/गोलाई)               | सीधी                               |
|    | पूर्व/उत्तर की तरफ                       | कोई नहीं                           |
|    | पश्चिम/दक्षिण की तरफ                     | कोई नहीं                           |
| 24 | हाईट गेज का प्रावधान                     | है                                 |
| 25 | बैरियर का प्रकार                         | लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर      |
| 26 | चेक रेलो की लम्बाई                       | 10.80 मीटर                         |

|    |                                                     |                   |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 27 | समपार के मध्य सड़क की सतह                           | समतल              |
| 28 | रम्बल स्ट्रिप/गति अवरोध की लम्बाई                   | 20.00 मीटर        |
| 29 | रोड साइन                                            | उपलब्ध            |
| 30 | गति अवरोधक बोर्ड                                    | उपलब्ध            |
| 31 | टी०वी०यू०                                           | 104670 अगस्त 2021 |
| 32 | अगली गणना की तिथि                                   | अगस्त 2024        |
| 33 | पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान                | उपलब्ध            |
| 34 | गेटमैनों की संख्या                                  | 3                 |
| 35 | निकटतम रेलवे चिकित्सा सहायता केन्द्र                | बस्ती             |
| 36 | निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो। | खलीलाबाद          |
| 37 | उपलब्ध उपकरणों की सूची हों/नहीं                     | उपलब्ध हैं        |

## 1.12 उपकरण :-

| क्रम सं0 | विवरण                                                            | मात्रा                            |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1        | ट्राई कलर टार्च/फलैशिंग टेल लैम्प                                | 03                                |
| 2        | हरी हाथ झण्डी                                                    | 01 (डण्डे में लगा हुआ)            |
| 3        | लाल हाथ झण्डी                                                    | 03 (डण्डे में लगा हुआ)            |
| 4        | बैनर फ्लैग लाल                                                   | 03                                |
| 5        | लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट                                  | 02                                |
| 6        | तालों के साथ अतिरिक्त चेन( जंजीर)                                | 02 अदद 'स्टाप चिन्ह' के साथ       |
| 7        | पटाखा सिगनल                                                      | 10                                |
| 8        | टामी बार                                                         | 01                                |
| 9        | मोर्टार पैन ( तसला )                                             | 01                                |
| 10       | फावड़ा/बेल्टा                                                    | 01                                |
| 11       | दुरमुट                                                           | 01 (पक्की सतह के लिए आवश्यक नहीं) |
| 12       | पिक एक्स                                                         | 01 (पक्की सतह के लिए आवश्यक नहीं) |
| 13       | टिन केस झण्डी के लिये                                            | 01                                |
| 14       | कैन मिटटी के तेल हेतु                                            | 01                                |
| 15       | बाल्टी/पानी पीने का बर्तन                                        | 01                                |
| 16       | टिन केस मस्टर शीट के लिये                                        | 01                                |
| 17       | चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते हैं ( दृष्टि वाला )        | 01                                |
| 18       | गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम | 01                                |
| 19       | टोकरी                                                            | 01                                |
| 20       | सीटी                                                             | 01                                |
| 21       | दीवार घड़ी                                                       | 01                                |
| 22       | छोटी चेन ताला चाभीयुक्त                                          | 02                                |

## 1.13 गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख :-

34. गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में।
35. गेटमैन नियम पुस्तिका हिन्दी भाषा में।
36. पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची।
37. ड्यूटी रोस्टर।
38. गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण-पत्र।
39. गेटमैन का बायोडाटा, नेत्र जॉच, प्रारम्भिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि।
40. दुर्घटना रजिस्टर।
41. समपार फाटक पर अन्तिम गणना का अभिलेख।
42. निरीक्षण पुस्तिका।
43. जन परिवाद पुस्तिका।

## 1.14 समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश :-

## (क) संचालन पद्धति:-

## (1) लिफ्टिंग बैरियर संचालन पद्धति

समपार को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करने के लिये ट्रैक के दोनों ओर एक जोड़ा लिफ्टिंग बैरियर की व्यवस्था है। लिफ्टिंग बैरियरों को संचालित करने के लिये एक विन्च की व्यवस्था है। समपार को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करने के लिये कार्यरत गेटमैन विन्च को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जाये। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियरों के बीच में कोई सड़क वाहन फँस न जाये। विन्च को इस स्थिति में लाक करने के लिये चाभी 'पी-1' को घुमाकर निकाल लेगा

तथा इसे बूम लाक लीवर पर लगे इसके 'ई' प्रकार के ताले में चाभी "पी-1" लगाकर घुमायेगा जो लीवर को मुक्त करेगी। बूम लाक लीवर को विपरीत दिशा में खींचने पर बूमों को फाटक बन्द दशा में लाक कर देगा। बूम लाक लीवर से चाभी "पी" निकालकर गेट लाज में लगे लीवर लाक में लगाकर घड़ी की दिशा में घुमायेगा जिससे स्टेशन मास्टर पैनल पर प्रदत्त इस गेट की बन्द होने की पुष्टि स्वरूप एक इण्डिकेशन मिल जायेगा। इण्डिकेशन मिलने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार नियंत्रण पुश बटन **जीबीएन** एवं **एलएन** को एक साथ दबायेगा। तब गाड़ी के लिए आवश्यक सिगनल आफ करेगा। सिगनल आफ करने पर गेट लाज में **के. एल.सी.आर.** पर से लाक फ्री इंडिकेशन चला जायेगा। गाड़ी के गुजरने के बाद कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार नियंत्रण पुश बटन **जीबीएन** एवं **वाईएन** को एक साथ दबायेगा। जिससे गेट लाज में प्रदत्त के.एल.सी.आर. पर लाक फ्री इण्डिकेशन मिलने के बाद गेटमैन चाभी "पी" को लीवर लाक से घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाकर निकाल देगा। इस चाभी "पी" को बूम लाक लीवर पर लगे ताले में लगाकर घुमाकर लीवर को सामान्य दशा में करके इसके ताले से चाभी "पी-1" निकाल लेगा तथा विन्च पर लगे इसके ताले में डालकर घुमा देगा तथा विन्च को तब तक घुमायेगा जब तक कि लिफ्टिंग बैरियरों के बूम उपर उठकर लगभग उर्ध्वाधर न हो जाये।

## (2) स्लाइडिंग बूम बैरियर की संचालन पद्धति :-

### (1) समपार बन्द करने हेतु:-

- (i) जब समपार फाटक को लिफ्टिंग बैरियर की विफलता या किसी अन्य कारण से लिफ्टिंग बैरियर द्वारा न बन्द किया जा सके तब समपार पर लगाए गए स्लाइडिंग बूम बैरियर को खींचकर बन्द किया जायेगा।
- (ii) स्लाइडिंग बूम बैरियर द्वारा समपार को बन्द करने से पहले कार्यरत स्टेशन मास्टर/गेटमैन के बीच अलग से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान किया जायेगा।
- (iii) स्लाइडिंग बूम बैरियरों के लाकिंग पार्ट की तरफ संगत चाभी **बी1-बी2** वेल्ड है। स्लाइडिंग बूम बैरियर के 2 वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में संगत चाभी **बी1-बी2** को लगाकर घुमाने से सम्बन्धित बूम लाक हो जायेंगे तथा क्रमशः चाभी **के1** एवं **के2** रिलीज हो जायेगी।
- (iv) 2वें लाकअप बाक्स से रिलीज चाभी **के1** एवं **के2** को 3वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगाकर घुमाने पर चाभी "पी" रिलीज होगी। गेटमैन इस चाभी को गेटलाज में लगे के.एल.सी.आर. में लगाकर घुमायेगा जिससे समपार बन्द होने का इण्डिकेशन स्टेशन मास्टर को पैनल पर प्राप्त होगा।
- (v) समपार फाटक को बंद होने का संकेत मिलने पर स्टेशन मास्टर समपार नियंत्रण बटन "**551एलएन**" एवं **GBN** बटन को दबाकर समपार को लाक स्थिति में कर देगा। तत्पश्चात् गाड़ी के लिए आवश्यक सिगनल "**आफ**" करेगा। सिगनल "**आफ**" करने पर गेट लाज में लगे आपरेटिंग पैनल पर से लाक फ्री का **सफेद** इण्डिकेशन बुझ जायेगा। सिगनल 'आफ' हो जाने के पश्चात् गेटलाज में लगे के.एल.सी.आर. से चाभी "पी" को नहीं निकाला जा सकेगा।

### (2) समपार खोलने हेतु :-

समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त कार्यरत स्टेशन मास्टर, समपार नियंत्रण बटन "**551 वाइ.एन**" को **GBN** बटन के साथ दबाकर रिलीज करेगा। जिससे गेट लाज में गेट रिलीज का इण्डिकेशन मिल जायेगा। गेट रिलीज का इण्डिकेशन मिलने के उपरान्त कार्यरत गेटमैन चाभी "पी" के.एल.सी.आर. से निकालकर 3वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगायेगा। चाभी "पी" 3वे लाक अप बाक्स में लगाने पर चाभी **के1** एवं **के2** मुक्त होगी। 3वे लाक अप बाक्स से रिलीज चाभी **के1** एवं **के2** को 2वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगाकर घुमाकर संगत बूमों की चाभी **बी1** एवं **बी2** को रिलीज करेगा इसके उपरान्त कार्यरत गेटमैन इस चाभी की

सहायता से स्लाइडिंग बूम बैरियर को खोलकर समपार को सड़क यातायात के लिये खोल देगा।

### नोट: I. आपातकालीन स्विच :

आपातकाल के समय गेट रक्षित सिगनलों को आन स्थिति में करने के लिये गेट लाज में एक स्विच का प्रावधान है। यह स्विच एक ग्लास लगे केस में लगा है। केस ताला बंद व सील रहता है। आपात स्थिति में गेट रक्षित सिगनलों को "आन" करने के लिए गेटमैन ग्लास केस के सामने लगे शीशे को तोड़कर स्विच को घुमायेगा तथा इसका विवरण डायरी में भरेगा। ऐसा करने पर सिगनल "आन" दशा में हो जायेगें। इसकी सूचना कार्यरत स्टेशन मास्टर को देगा। आपात स्थिति समाप्त हो जाने पर स्विच को नार्मल कर देगा। केस में नया शीशा लगा दिया जायेगा।

### II. विद्युतीय नियंत्रण विफलता पर गेट को खोलें जाने हेतु :

विद्युत नियंत्रण की विफलता के समय स्टेशन मास्टर द्वारा भेजी गयी आपातकालीन चाभी "पीई" को बूम लाक लीवर पर लगे ताले में लगाकर घुमाने पर बूम लाक लीवर रिलीज हो जाता है तथा लिफ्टिंग बैरियर को खोला जा सकता है।

#### (ख) गेटमैन को सूचना :-

- (i) अप एवं डाउन गाड़ियों के आगमन तथा अप गाड़ियों के प्रस्थान के लिये समपार को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द एवं लाक करने के लिए कार्यरत स्टेशन मास्टर, कार्यरत गेटमैन को अग्रलिखित सूचनाएं देगा एवं स्टेशन मास्टर/गेटमैन अग्र प्रारूप में आवश्यकतानुसार रजिस्टर भरेंगे :-

#### सामान्य स्थिति में :-

| तिथि | गाड़ी संख्या व विवरण | सूचना का समय | कार्यरत गेटमैन द्वारा गेट बंद करके इंडीकेशन देने का समय | स्लाइडिंग बूम से कार्य करते समय प्रा.नं0 का आदान प्रदान | गेटमैन का प्रा. नं. | स्टे0मा0 का प्रा. नं. | समपार से गाड़ी पास होने का समय | आवश्यकता—नुसार गेटमैन द्वारा गाड़ी के पूर्ण आगमन हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर. | स्टेशन मास्टर / गेटमैन का हस्ताक्षर | टिप्पणी |
|------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 1    | 2                    | 3            | 4                                                       | 5                                                       | 6                   | 7                     | 8                              | 9                                                                              | 10                                  |         |

#### गेट विफल होने की स्थिति में :-

इण्टरलाक गेट विफल होने की स्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक गेट माना जायेगा तथा गाड़ियों के आगमन/ प्रस्थान की कार्य प्रणाली नान-इण्टरलाक गेट की कार्यप्रणाली के अनुसार किया जायेगा। ऐसी स्थिति में स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्न प्रारूप में आवश्यकतानुसार रजिस्टर भरेंगे:-

| तिथि | गाड़ी का नम्बर एवं विवरण | गेट से पास होने का सम्भावित समय | सूचना मिलने / देने का समय | स्टे.मा. द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर | गेटमैन द्वारा सूचना प्राप्त होने की पुष्टि हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर | गेटमैन द्वारा गेट को बन्द व लाक कर दिया गया प्राइवेट नम्बर | स्टेशन मास्टर द्वारा समपार के बन्द व लाक होने की पुष्टि हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर | गाड़ी पास होने का समय | स्टेशन मास्टर/ गेटमैन का हस्ताक्षर |
|------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1    | 2                        | 3                               | 4                         | 5                                       | 6                                                                       | 7                                                          | 8                                                                                    | 9                     | 10                                 |

- (ii) गेटमैन गेट को बन्द व लाक करके गेट बन्द चाभी के.एल.सी.आर. में लगाकर घुमा देगा ऐसा करने पर स्टे.मा. को पैनल पर गेट बन्द इण्डीकेशन मिल जायेगा।

- (iii) इण्डीकेशन मिलने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार नियंत्रण पुश बटन जीबीएन एवं एलएन को एक साथ दबायेगा। तब गाड़ी के लिए

आवश्यक सिगनल आफ करेगा। सिगनल आफ करने पर गेट लाज में के. एल.सी.आर.पर से लाक फ्री इंडीकेशन चला जायेगा।

- (iv) स्टेशन मास्टर का यह दायित्व है कि गेटमैन को सूचित करने से पूर्व सुनिश्चित कर ले कि गाड़ी प्रस्थान के लिये तैयार है क्योंकि सड़क यातायात अधिक देर तक समपार पर रुका न रहे।
- (v) जब किसी गाड़ी को स्टेशन से/को यार्ड को/से पायलट करना हो अथवा कोई शंटिंग मूवमेन्ट इस समपार के आर-पार करना हो तो गाड़ी पायलट करने या शंटिंग कार्य के लिये नियुक्त कर्मचारी फाटक को सड़क यातायात के लिये बन्द व लाक होना सुनिश्चित करेगा तथा उसके बाद ही समपार फाटक को पार करेगा।

**(ग) टेलीफोन संचार की विफलता :-**

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाये अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन की तरफ से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न हो तो स्टेशन मास्टर निम्न कार्यवाही करेगा :-

- (i) कार्यरत स्टेशन मास्टर, कॉटावाला द्वारा गेटमैन को लिखित रूप से पूर्ण विवरण, संख्या एवं गाड़ी की दिशा में बारे में सूचित करेगा।
- (ii) कार्यरत गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर से लिखित सूचना प्राप्त होने के उपरान्त गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करेगा तथा इण्डीकेशन कार्यरत स्टेशन मास्टर को ट्रान्समिट करेगा। इण्डीकेशन प्राप्त होने के उपरान्त कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार नियन्त्रक पुश बटन जीबीएन एवं एलएन को एक साथ दबायेगा। तत्पश्चात् गाड़ी के लिये आवश्यक सिगनल 'आफ' करेगा।
- (iii) ट्रेनों की अधिकता के कारण कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गेटमैन को सूचित करना सम्भव न हो सके तो कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार की ओर जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सिगनल 'आन' स्थिति में पार करने हेतु लिखित आदेश देगा।
- (iv) इसके अतिरिक्त स्टेशन मास्टर ड्राइवर को लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ने हेतु तथा गेटमैन के हाथ सिगनल के अनुसार समपार पार करने का सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (v) गाड़ी के आगमन के मामले में कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि गेट का टेलीफोन खराब है।
- (vi) तब गाड़ी प्रस्थान कराने वाला स्टेशन मास्टर ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करने के उपरान्त ही गाड़ी भेजेगा।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी जो टेलीफोन अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी है अतिशीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिये सूचना देगा।
- (viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

**(घ) लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर की विफलता :-**

- (i) जब लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर के खराब हो जाने के कारण गेट को बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर रेलपथ को बाधित न करता हो।
- (ii) गेटमैन को निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम जिस तरफ से ट्रेन के आने की सम्भावना हो, दिन में लाल बैनर फलैंग तथा रात में लाल बत्ती लगायेगा। तदुपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
- (iii) गेटमैन समपार पर सड़क यातायात को रोकने के लिये समपार को सुरक्षा चेन तथा तालो द्वारा बन्द करेगा।
- (iv) सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन में हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आने वाली ट्रेन के ड्राइवर को दिखायेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन से इस समपार की ओर जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।

- (vi) स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर, गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से ब्लाक खण्ड में ट्रेन भेजने के पूर्व ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करे कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर के शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

**(ड.) 'गेट की चाभी' का गेट की बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब 'गेट की चाभी' खोलने के लिये न निकाली जा सके :-**

- (i) यदि गेट की चाभी विन्च, बूम लाकिंग लीवर, के.एल.सी.आर. से निकाली न जा सके तो कार्यरत गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
- (ii) आपातकालीन चाभी "पीई" जोकि स्टेशन मास्टर कार्यालय में लगे सील्ड एवं ताला बंद केस में लगी एच.के.टी. में लाक रहती है, स्टेशन मास्टर उसकी सील को तोड़कर कार्यरत कर्मचारी के द्वारा गेट पर भिजवायेगा तथा इसकी प्रविष्टि स्टेशन मास्टर अभिलेख में कारण सहित उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर करेगा।
- (iii) इस परिस्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक गेट माना जायेगा व गाड़ियों का आगमन/प्रस्थान नान-इण्टरलाक गेट की कार्यप्रणाली के अनुसार किया जायेगा।
- (iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (v) स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर, गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह अपनी ओर से ब्लाक खण्ड में ट्रेन भेजने के पूर्व ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करें कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (vi) स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी जो विन्च, बूम लाकिंग लीवर, के.एल.सी.आर. की मरम्मत करते हैं को शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (vii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।
- (viii) मरम्मत के बाद आपातकालीन चाभी दूरसंचार कर्मचारियों द्वारा आपात कालीन बाक्स में रखकर पुनः सील कर दिया जायेगा।

**(च) समपार फाटक की खुली दशा में 'गेट चाभी' की विफलता :-**

- (i) समपार की खुली दशा में यदि विन्च, बूम लाकिंग लीवर या के.एल.सी.आर. से गेट चाभी निकाली जा सके तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन द्वारा कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के साथ सूचित करेगा।
- (ii) इस परिस्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक मानकर गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान नान-इण्टरलाक गेट की प्रक्रिया में निहित निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
- (iii) गेटमैन गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध संरक्षा चेन एवं ताले से संरक्षित करेगा तथा वह गाड़ी को हाथ संकेत द्वारा पास करेगा।
- (iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये गाड़ियों को ब्लाक खण्ड में प्रवेश कराने के पूर्व 'गेट खुली दशा में खराब है' के लिये सतर्कता आदेश जारी करने के लिये सूचित करेगा।

- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी, जो विन्च, बूम लाकिंग लीवर, के.एल.सी.आर. की मरम्मत करते हैं को शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (vii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दें।

**(छ) समपार फाटक पर अवरोध :-**

- (i) यदि कोई सड़क वाहन गेट को तोड़कर रेलपथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का अन्य भाग रेलपथ को बाधित कर रहा है या अन्य कोई बाधा गेट पर है, तो गेटमैन तुरन्त समपार के दोनों छोरों के ट्रैक पर आवश्यकता हेतु लगाये गये निर्धारित पोस्ट पर दिन में लाल बैनर फलैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा।
- (ii) इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
- (iii) कार्यरत गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को आगमन/प्रस्थान सिगनल यदि किसी ट्रेन के लिये 'आफ' किया गया हो तो उसको 'आन' करने के लिये सूचित करेगा।
- (iv) यदि दो या तीन प्रयासों के पश्चात् भी कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम गेट को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
- (v) गेटमैन पटाखा व दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती लेकर तेजी से पहले उस तरफ जायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है तथा गेटमैन आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही के अनुसार गेट को संरक्षित करेगा।
- (vi) इसके पश्चात् गेटमैन गेट के दूसरी तरफ को भी संरक्षित करेगा।
- (vii) गेटमैन सड़क वाहन का विवरण, चालक का नाम, वाहन मालिक का नाम नोट कर कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर तब तक समपार की ओर गाड़ी नहीं चलायेगा जब तक कि गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर लेता है कि सड़क वाहन, लिफ्टिंग बैरियर या अन्य कोई अवरोध रेलपथ को बाधित नहीं कर रहा है।
- (viii) कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से कोई भी गाड़ी ब्लॉक खण्ड में तब तक न भेजे जब तक कि रेलपथ पर से सभी अवरोध हटा न दिये जायें।
- (ix) रेलपथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद इसकी सूचना गेटमैन स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान से सूचित करेगा।
- (x) कार्यरत स्टेशन मास्टर यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई अवरोध न हो सभी ट्रेन के चालकों को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ते हुये समपार को गेटमैन द्वारा हरा संकेत देने पर सावधानीपूर्वक पास करें।
- (xi) यदि समपार फाटक बाधित नहीं है तब गेटमैन समपार को संरक्षा चेनो तथा तालो द्वारा सड़क यातायात के लिये संरक्षित करेगा तथा उसके बाद गेटमैन दिन के समय हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।
- (xii) स्टेशन मास्टर अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी कर्मचारी को लिफ्टिंग बैरियर को अविलम्ब ठीक कराने हेतु सूचित करेगा।
- (xiii) समपार फाटक पर सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय से प्रारम्भ की जायेगी जब लिफ्टिंग बैरियर को मरम्मत के उपरान्त संयोजन/फिट मेमो प्राप्त हो जाये।

**(ज) समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध :-**

यदि किसी रेल का टूटना, रेलपथ किसी पेड़ इत्यादि के गिरने के कारण अवरुद्ध होना, सड़क वाहन द्वारा अवरुद्ध अथवा गाड़ी का अवपथन होना जो गेटमैन को दिखाई दे रहा है, तो गेटमैन और स्टेशन मास्टर 'समपार फाटक पर अवरोध' में ऊपर वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करेगा। यदि अवरोध समपार गेट को

बाधित कर रहा है तो गेटमैन को सड़क यातायात के लिये गेट को उस समय तक बन्द रखेगा जब तक रेलपथ से अवरोध हटा न लिया जाये।

### 1.15 गेटमैन के कर्तव्य :-

#### (1) सावधानी :-

गेटमैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।

#### (2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति :-

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेटमैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा:-

- (i) गेटमैन सतर्कतापूर्वक गेटलाज के सामने आती हुई ट्रेन की तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
- (ii) दिन में गेटमैन दायें हाथ में लाल झण्डी तथा बाँये हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।
- (iii) रात्रि समय में गेटमैन जलती हुई सफेद हाथ बत्ती लाइन की तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
- (iv) गेटमैन गले में सीटी धागे से बाँधकर लटकाये रहेगा।

#### (3) गेटमैन की नियमित ड्यूटी :-

- (i) गेटमैन रोड यूजर सिगनल को लगातार जलती हुयी स्थिति में रखना सुनिश्चित करेगा।
- (ii) गेटमैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर लें, तब तक गेटमैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेटमैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिये बन्द करके ताला लगायेगा।
- (iii) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेटमैन गुजरती हुई ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिये तत्पर रहेगा।
- (iv) गेटमैन गुजरती हुई सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे हाट एक्सिल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकता हुआ बैटरी बाक्स, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैटरी बाक्स में आग लगी हो तथा ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेपटी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेण्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।
- (v) गेटमैन गार्ड द्वारा झाइवर को वाकी-टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिये तैयार रहेगा।
- (vi) समपार फाटक का बैरियर क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेटमैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बन्द करेगा।
- (vii) गेटमैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिये यथाशीघ्र समीप वाले स्टेशन मास्टर, गैंगमेट अथवा रेलपथ निरीक्षक को सूचित करेगा।
- (viii) जब गेटमैन कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।
- (ix) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि ड्यूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण-पत्र उपलब्ध है।
- (x) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।
- (xi) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है।
- (xii) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चेक रेल गैप साफ है।
- (xiii) गेटमैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से कूटकर ठीक रखेगा।

- (xiv) गेटमैन सड़क प्रयोगकर्ताओं के लिये गेट को बन्द रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिये बन्द हो।
- (xv) विद्युतीय रेल प्रखण्ड पर गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि सड़क वाहन/पशु जो उस सड़क से गुजरते हैं, समपार के दोनों तरफ लगाये गये "हाइट लोडिंग गेज" के नीचे से गुजरे।
- (xvi) गेटमैन मनुष्यों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4) ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य :-

यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा :-

- (i) वह तत्काल ही ड्राइवर/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।
- (ii) साथ ही साथ ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिये लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेंकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।
- (iii) यदि ड्राइवर/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरान्त भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये तदनुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
- (iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेटमैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झण्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।
- (v) वह ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुये दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुये पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करेगा।
- (vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रुकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर को उचित कार्यवाही करने हेतु प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा इसकी सूचना देगा।

(5) आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही :-

- (i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर निर्धारित पोस्ट पर दिन में लाल बैनर फलैंग व रात्रि में लालबत्ती लगायेगा।
- (ii) इसके उपरान्त यदि गेटमैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।
- (iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

(6) गेटमैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा :-

(अ) दोहरी लाइन खण्ड पर

- (i) यदि दोनों लाइनें अवरुद्ध हैं तो गेटमैन दिन में लाल बैनर फलैंग तथा रात्रि में लालबत्ती 5 मीटर की दूरी पर निर्धारित स्थान पर लगायेगा। गेटमैन पहले उस लाइन को संरक्षित करेगा, जिस पर पहले ट्रेन आने की सम्भावना हो।
- (ii) तदुपरान्त उसी तरह गेटमैन दूसरी लाइन पर दिन में लाल बैनर फलैंग तथा रात्रि में लालबत्ती अवरोध से 5 मीटर दूर लगायेगा।
- (iii) गेटमैन तब पटाखा एवं दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती के साथ गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।
- (iv) गेटमैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाते हुये लाइन की तरफ बढ़ेगा जिस पर पहले ट्रेन आने की सम्भावना है। 600 मीटर पर एक पटाखा लगायेगा इसके बाद वह आगे बढ़कर समपार फाटक से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखा 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस

प्रकार लाइन को सुरक्षित करने के पश्चात् वह गेट पर वापस लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर लगाये गये पटाखे को उठा लेगा।

- (v) इसके बाद वह दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाते हुये उसी प्रकार जैसा ऊपर क्रमांक (iv) में वर्णित है दूसरी लाइन की तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।
  - (vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात् गेटमैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सचेत करने का प्रयास करेगा।
  - (vii) उन परिस्थितियों में जब गेटमैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।
  - (viii) उसके उपरान्त गेटमैन आने वाली ट्रेन को दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाकर रोकेगा।
- (ब) गेटमैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही :-
- (i) यदि समपार फाटक किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर या गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेटमैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।
  - (ii) गेटमैन सड़क यातायात का विवरण लिखेगा जैसे-वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और स्टेशन मास्टर अथवा रेलपथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।
  - (iii) स्टेशन मास्टर द्वारा सूचित करने पर आने वाली गाड़ियों के पूर्ण आगमन हेतु गेट मैन, टेल लैम्प/टेल बोर्ड के साथ गाड़ी का पास होना और फाउलिंग मार्क साफ होना सुनिश्चित होने के बाद गाड़ी के पूर्ण आगमन की पुष्टि स्वरूप स्टेशन मास्टर को सहायक नियम 4.17(vii) के अनुसार प्राइवेट नम्बर देगा।

**(7). 25000 वोल्ट विद्युतीकृत रेलवे लाइन के समपार फाटक पर कार्य करते समय ली जाने वाली विशेष सावधानियाँ:-**

- (i) 25000 वोल्ट पर चार्ज ओ.एच.ई. की तारों से हमेशा 2 मीटर दूर रहें।
  - (ii) ओ.एच.ई. की तारों की तरफ पानी की धार न छोड़ें।
  - (iii) यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति ओ.एच.ई. धातु की छड़ ऊपर सीधी खड़ी करके या कंधे पर रख कर रेलवे ट्रैक या फाटक पार न करे।
  - (iv) ओ.एच.ई. के तारों के समानान्तर 200 मीटर या इससे अधिक दूरी तक धातु की तारों को न खींचें अथवा दौड़ायें।
  - (v) ओ.एच.ई. की तारों से चिपके किसी भी व्यक्ति को न छुयें जब तक कि तारों की सप्लाई बंद न कर दी जाए।
  - (vi) वर्षा ऋतु में धातु की छड़ वाली छतरी ऊपर रखते हुए ट्रैक पार न करें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें।
  - (vii) रेलवे फाटक के पास यदि कोई असाधारण घटना दिखाई पड़ती है तो:-
7. गेट को तुरन्त बंद करें।
  8. स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें जैसे-
    - (क) ओ.एच.ई. की तारों से आग लगने पर।
    - (ख) तारों का टूटना एवं तारों से चिंगारियों का निकलना।
    - (ग) इंजन के पेंटों में खराबी।
    - (घ) किसी व्यक्ति के तारों से चिपकने पर।
    - (ङ) तारों पर पेड़ का गिरना।
    - (च) टूटे या खुले बांड इत्यादि।

12. उपर्युक्त किसी भी घटना में से किसी भी हालत में टूटी तारों एवं बांड को न छुयें।
13. ओ.एच.ई. के तार टूटने की स्थिति में यातायात की दिशा में सावधानीपूर्वक जाते हुए, तारों से 2 मी. की उचित दूरी बनाते हुए, सुरक्षा के नियमानुसार बैनर-फ्लैग एवं पटाखें लगायें।
14. दोहरी लाइन खण्ड में यदि दोनों लाइनों पर ओ.एच.ई. के तारों के साथ कोई घटना घटित होती है जैसे कि दोनों तारों पर अप एवं डाउन लाइन में पेड़ के गिर जाने पर तो दूसरे ट्रैक पर भी जाकर उपरोक्त के अनुसार ट्रैक को सुरक्षित करें।
- (viii) हाइट गेज के टूटने पर तुरन्त गेट को बंद कर दें एवं इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दें, साथ में आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाइन पर उपलब्ध रहें।
- (ix) विद्युत आघात लगे व्यक्ति को तुरन्त कृत्रिम श्वास दें एवं स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें।
- (x) मालगाड़ी, यात्री गाड़ी या इंजन के ऊपर न चढ़ें। यदि यात्री चढ़े हैं तो उसे तुरन्त उतारने की कोशिश करें अथवा स्टेशन मास्टर को सूचित करें।
- (xi) यदि किसी मालगाड़ी के दरवाजे अथवा टैंकर के ढक्कन खुले हों तो तुरन्त स्टेशन मास्टर को सूचित करें।
- (xii) किसी पशु को झटका लगने एवं मरने पर इसकी सूचना तुरन्त स्टेशन मास्टर को दें साथ में आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाइन पर उपलब्ध रहें।
- (xiii) मास्ट(खम्भों) के ऊपर न चढ़ें।
- (xiv) जिस मास्ट(खम्भों) से अर्थ पत्ती खुली हो उस मास्ट को न छुयें तथा उससे 2 मीटर दूर रहें।

.....

## परिशिष्ट 'ए'

## भाग -3

खलीलाबाद स्टेशन पर स्थित "बी-2" श्रेणी के इन्जीन समपार फाटक सं० 181 के संचालन हेतु अनुदेश

टिप्पणी:-इन अनुदेशों को पढ़ते समय इस स्टेशन का नियम आरेख सं० वमसिद्धि/ल.जं./2023 (आर०डी०)/20 दि० 10.04.23 देखें।

## 1. विवरण

## 1.16 सामान्य :-

|    |                                          |                                    |
|----|------------------------------------------|------------------------------------|
| 1  | समपार फाटक सं०                           | 181 "बी-2"                         |
| 2  | इंजीनियरिंग/यातायात फाटक                 | इंजीनियरिंग                        |
| 3  | किसके अधीन स्टेशन अधीन/रेलपथ निरीक्षक    | सी०से०इन्जी०/पी०वे०/पश्चिम/गोरखपुर |
| 4  | किलोमीटर पर स्थित                        | 540/8-9                            |
| 5  | स्टेशन पर                                | खलीलाबाद                           |
| 6  | स्टेशनों के मध्य                         | खलीलाबाद - चुरेब                   |
| 7  | बी०जी०/एम०जी०/एन०जी०                     | बी०जी०                             |
| 8  | इकहरी लाइन/दोहरी/मिश्रित लाइन            | दोहरी लाइन                         |
| 9  | सामान्य स्थिति                           | सड़क यातायात के लिये खुला          |
| 10 | इण्टरलाकड/नान-इण्टरलाकड                  | इण्टरलाकड                          |
| 11 | इण्टरलाकिंग का प्रकार                    | गेट सिगनलो से इण्टरलाकड            |
| 12 | गेट सिगनलों का प्रावधान का कि०मी०        |                                    |
|    | अप दिशा-                                 | 540/6-7                            |
|    | डाउन दिशा-                               | 541/0-1                            |
| 13 | संकेतन व्यवस्था                          | कलर लाइट सिगनल                     |
| 14 | संचार साधन टेलीफोन/घण्टी इत्यादि         | टेलीफोन                            |
| 15 | समपार फाटक की चौड़ाई                     | 8.10 मीटर                          |
| 16 | सड़क का प्रकार(एन०एच०/एस०एच०/अन्य)       | एस०एच०                             |
| 17 | सड़क का नाम                              | एस०एच०                             |
| 18 | पक्का/कच्चा                              | पक्का                              |
| 19 | पहुँच मार्ग                              | उपलब्ध                             |
| 20 | सड़क की चौड़ाई                           | 7.60 मीटर पक्की                    |
| 21 | सड़क की कासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिये) | 90°                                |
|    | पूर्व/उत्तर की तरफ                       | -                                  |
|    | पश्चिम/दक्षिण की तरफ                     | -                                  |
| 22 | सड़क की ढाल यदि कोई हो                   | समतल                               |
|    | पूर्व/उत्तर की तरफ                       | कोई नहीं                           |
|    | पश्चिम/दक्षिण की तरफ                     | कोई नहीं                           |
| 23 | सड़क की सीधारी (सीधा/गोलाई)              | सीधी                               |
|    | पूर्व/उत्तर की तरफ                       | कोई नहीं                           |
|    | पश्चिम/दक्षिण की तरफ                     | कोई नहीं                           |
| 24 | हाईट गेज का प्रावधान                     | है                                 |
| 25 | बैरियर का प्रकार                         | लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर      |
| 26 | चेक रेलों की लम्बाई                      | 08.90 मीटर                         |

|    |                                                     |                  |
|----|-----------------------------------------------------|------------------|
| 27 | समपार के मध्य सड़क की सतह                           | पक्का            |
| 28 | रम्बल स्ट्रिप/गति अवरोध की लम्बाई                   | 20.00 मीटर       |
| 29 | रोड साइन                                            | उपलब्ध           |
| 30 | गति अवरोधक बोर्ड                                    | उपलब्ध           |
| 31 | टी0वी0यू0                                           | 36270 अगस्त 2021 |
| 32 | अगली गणना की तिथि                                   | अगस्त 2024       |
| 33 | पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान                | उपलब्ध           |
| 34 | गेटमैनों की संख्या                                  | दो               |
| 35 | निकटतम रेलवे चिकित्सा सहायता केन्द्र                | बस्ती            |
| 36 | निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो। | खलीलाबाद         |
| 37 | उपलब्ध उपकरणों की सूची हाँ / नहीं                   | उपलब्ध है        |

**1.17 उपकरण :-**

| क्रम | विवरण                                                            | मात्रा                            |
|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1    | ट्राई कलर टार्च/फ्लैशिंग टेल लैम्प                               | 03                                |
| 2    | हरी हाथ झण्डी                                                    | 01 (डण्डे में लगा हुआ)            |
| 3    | लाल हाथ झण्डी                                                    | 03 (डण्डे में लगा हुआ)            |
| 4    | बैनर फ्लैग लाल                                                   | 03                                |
| 5    | लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट                                  | 02                                |
| 6    | तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर)                                | 02 अदद 'स्टाप चिन्ह' के साथ       |
| 7    | पटाखा सिगनल                                                      | 10                                |
| 8    | टामी बार                                                         | 01                                |
| 9    | मोर्टार पैन (तसला)                                               | 01                                |
| 10   | फावड़ा/बेलचा                                                     | 01                                |
| 11   | दुरमुट                                                           | 01 (पक्की सतह के लिए आवश्यक नहीं) |
| 12   | पिक एक्स                                                         | 01 (पक्की सतह के लिए आवश्यक नहीं) |
| 13   | टिन केस झण्डी के लिये                                            | 01                                |
| 14   | कैन मिटटी के तेल हेतु                                            | 01                                |
| 15   | बाल्टी/पानी पीने का बर्तन                                        | 01                                |
| 16   | टिन केस मस्टर शीट के लिये                                        | 01                                |
| 17   | चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते हैं (दृष्टि वाला)          | 01                                |
| 18   | गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम | 01                                |
| 19   | टोकरी                                                            | 01                                |
| 20   | सीटी                                                             | 01                                |
| 21   | दीवार घड़ी                                                       | 01                                |
| 22   | छोटी चेन ताला चाभीयुक्त                                          | 02                                |

**1.18 गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख :-**

44. गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में।
45. गेटमैन नियम पुस्तिका हिन्दी भाषा में।
46. पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची।
47. ड्यूटी रोस्टर।
48. गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण-पत्र।
49. गेटमैन का बायोडाटा, नेत्र जाँच, प्रारम्भिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि।
50. दुर्घटना रजिस्टर।
51. समपार फाटक पर अन्तिम गणना का अभिलेख।
52. निरीक्षण एवं आश्वासन पुस्तिका।
53. जन परिवाद पुस्तिका।
54. संकेत एवं दूर संचार पंजिका

**1.4. समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश :-**

मंसिदूङ्ग  
पूर्वोत्तर रेलवे/लखनऊ

वमंपरिप्र/सा0  
पूर्वोत्तर रेलवे/लखनऊ

## (क)(i) लिफ्टिंग बैरियर की संचालन पद्धति :-

समपार को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करने के लिये एक जोड़ा लिफ्टिंग बैरियर की व्यवस्था है। लिफ्टिंग बैरियरों को संचालित करने के लिये एक विंच की व्यवस्था है। समपार को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करने के लिये कार्यरत गेटमैन विन्च को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जाये। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियरों के बीच में कोई सड़क वाहन फँस न जाये। विन्च को इस स्थिति में लाक करने के लिये चाभी 'टी-1' को घुमाकर निकाल लेगा तथा इसे बूम लाक लीवर पर लगे 'ई' प्रकार के ताले में चाभी 'टी-1' लगाकर घुमायेगा जो लीवर को मुक्त करेगी। बूम लाक लीवर को विपरीत दिशा में खींचने पर बूमों को फाटक बन्द दशा में लाक कर देगा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि बूम लाक हो गये हैं बूम लाक लीवर से चाभी "टी" को निकाल लेगा। इस चाभी "टी" को गेट लाज में लगे लीवर लाक में लगाकर घुमा देगा जिससे गेट पैनल पर प्रदत्त सिगनल स्विच मुक्त हो जायेंगे, तत्पश्चात् जैसी आवश्यकता हो, स्विच सं0 2आर को "आर" दशा में तथा स्विच सं0 2एल को "एल" दशा में घुमा कर अप या डाउन गेट सिगनल को 'आफ' करेगा। गेट की सुरक्षा के लिये डाउन गेट डिस्टेन्ट सिगनल तथा अप गेट डिस्टेन्ट /अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं0 एस-2 कलर लाइट सिगनलों की व्यवस्था है। जो क्रमशः डाउन तथा अप गेट सिगनलों के आस्पेक्ट के अनुसार नियन्त्रित है। गेट सिगनलों को परिचालन करने हेतु गेट लाज में लगे पैनल पर दिये गये स्विच को निम्न प्रकार से परिचालित करेगा:-

| स्विच सं0 | गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान | स्विच का संचालन |
|-----------|---------------------------|-----------------|
| 2एल       | डाउन गाड़ी का आगमन        | "एल" दशा में    |
| 2आर       | अप गाड़ी का प्रस्थान      | "आर" दशा में    |

गाड़ी के पूरी गुजर जाने के बाद गेटमैन समपार फाटक को सड़क यातायात हेतु खोलने के लिये सिगनल स्विच को नार्मल करेगा तथा लीवर लाक से चाभी "टी" को निकालकर बूम लीवर लाक में लगाकर घुमाएगा तथा लीवर को नार्मल करेगा एवं लीवर से चाभी "टी-1" को निकाल विन्च में लगे 'ई' प्रकार के लाक में लगाकर घुमायेगा तथा विन्च को तब तक संचालित करेगा जब तक कि लिफ्टिंग बैरियरों के बूम ऊपर उठकर लगभग ऊर्ध्वाधर न हो जाये।

## (ii) स्लाइडिंग बूम बैरियर की संचालन पद्धति :-

## (अ) समपार बन्द करने हेतु:-

- जब समपार फाटक को इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर की विफलता या किसी अन्य कारण से इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर द्वारा न बन्द किया जा सके तब समपार को स्लाइडिंग बूम बैरियर को खींचकर बन्द किया जायेगा।
- स्लाइडिंग बूम बैरियर द्वारा समपार को बन्द करने से पूर्व स्टेशन मास्टर/ गेटमैन के बीच अलग से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान किया जायेगा।
- स्लाइडिंग बूम बैरियरों के लाकिंग पार्ट की तरफ क्रमशः चाभी बी5-बी6 वेल्ड है। 2वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में संगत चाभी बी5-बी6 को लगाकर घुमाने से स्लाइडिंग बूम बैरियर लाक हो जायेंगे तथा क्रमशः चाभी एम1 एवं एम2 रिलीज हो जायेगी। स्लाइडिंग बूमों को पूरी तरह से सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करने के उपरान्त 2वें लाकअप बाक्स से रिलीज चाभी एम1 एवं एम2 को गेटलाज में लगे 3वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगाकर घुमाने

पर चाभी 'टी' रिलीज होगी तथा कार्यरत गेटमैन इस चाभी को गेटलाज में लगे के०एल०सी०आर० में लगाकर घुमायेगा, जिससे गेटमैन के आपरेटिंग पैनल पर स्लाइडिंग बूम बैरियर के बन्द होने के बाद लाक होने का इन्डीकेशन प्राप्त हो जायेगा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि स्लाइडिंग बूम बैरियर लाक हो गये हैं इसके पश्चात् अप गेट सिगनल सं० 2आर को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं० '2आर' को 'आर' पोजीशन में घुमायेगा तथा डाउन गेट सिगनल सं० '2एल' को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं० '2एल' को 'एल' पोजीशन में घुमायेगा।

**(ब) समपार खोलने हेतु :-**

गाड़ी के पूरी गुजर जाने के बाद गेटमैन समपार फाटक को सड़क यातायात हेतु खोलने के लिये सिगनल स्विच को नार्मल करेगा इसके उपरान्त गेटमैन चाभी 'टी' के.एल.सी.आर. से निकालकर 3वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगायेगा। चाभी 'टी' 3वे लाक अप बाक्स में लगाने पर चाभी एम1 एवं एम2 मुक्त होगी। 3वे लाक अप बाक्स से रिलीज चाभी एम1 एवं एम2 को 2वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगाकर घुमाकर संगत बूमों की चाभी बी5 एवं बी6 को रिलीज करेगा इसके उपरान्त गेटमैन इस चाभी की सहायता से स्लाइडिंग बूम बैरियर को खोलकर समपार को सड़क यातायात के लिये खोल देगा।

**(ख) गेटमैन को सूचना :-**

- (i) कार्यरत स्टेशन मास्टर डाउन गाड़ियों को लाइन क्लियर देने से पहले तथा अप गाड़ियों के लिये प्रस्थान प्राधिकार देने से पहले टेलीफोन द्वारा कार्यरत गेटमैन को समपार बन्द व लाक करने हेतु निम्न सूचनाएं देगा एवं स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्न प्रारूप में आवश्यकतानुसार रजिस्टर भरेंगे :-

**सामान्य स्थिति में :-**

| तिथि | गाड़ी संख्या व विवरण | समपार को बन्द करने हेतु सूचना देने का समय | गेट से गाड़ी पास होने का सम्भावित समय | कार्यरत गेटमैन द्वारा गेट बंदकरके सिगनल आफ करने का समय | स्लाइडिंग बूम से कार्य करते समय प्रा.नं० का आदान प्रदान | गेटमैन का प्रा.नं० | स्टेमा का प्रा.नं. | समपार से गाड़ी के सम्पूर्ण पास होने का समय | स्टेशन मास्टर / गेटमैन का हस्ताक्षर | टिप्पणी |
|------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 1    | 2                    | 3                                         | 4                                     | 5                                                      | 6                                                       | 7                  | 8                  | 9                                          | 10                                  |         |

**गेट विफल होने की स्थिति में :-**

इण्टरलाक गेट विफल होने की स्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक गेट माना जायेगा तथा गाड़ियों के आगमन /प्रस्थान की कार्य प्रणाली नान-इण्टरलाक गेट की कार्यप्रणाली के अनुसार किया जायेगा। ऐसी स्थिति में स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्न प्रारूप में आवश्यकतानुसार रजिस्टर भरेंगे:-

| तिथि | गाड़ी का नम्बर एवं विवरण | गेट से पास होने का सम्भावित समय | सूचना मिलने / देने का समय | स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर | गेटमैन द्वारा सूचना प्राप्त होने की पुष्टि हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर | गेटमैन द्वारा गेट को बन्द व लाक कर दिया गया प्राइवेट नम्बर | स्टेशन मास्टर द्वारा समपार के बन्द व लाक होने की पुष्टि हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर | गाड़ी पास होने का समय | स्टेशन मास्टर/ गेटमैन का हस्ताक्षर |
|------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1    | 2                        | 3                               | 4                         | 5                                            | 6                                                                       | 7                                                          | 8                                                                                    | 9                     | 10                                 |

- (ii) गेटमैन का यह दायित्व है कि कार्यरत स्टेशन मास्टर से सूचना मिलने पर अत्यन्त सतर्क हो जायेगा और समय से समपार फाटक बन्द करके लाक करेगा जिससे गाड़ियों का विलम्ब न हो तथा सड़क यातायात अधिक समय तक विलम्बित न हो।

(ग) टेलीफोन संचार की विफलता :-

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाये अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन की तरफ से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्न कार्यवाही करेगा :-

- (i) समपार का टेलीफोन जो गाड़ी भेजने वाले स्टेशन से सम्बद्ध है, के खराब हो जाने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (ii). स्टेशन मास्टर ड्राइवर को सूचित करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (iii) यदि गेट सिगनल 'आन' स्थिति में है, तो ड्राइवर गेट सिगनल के पहले रोककर सामान्य नियम 3.73 के अनुसार कार्यवाही करेगा।
- (iv) गाड़ी के आगमन के मामले में कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि गेट का टेलीफोन खराब है।
- (v) तब गाड़ी प्रस्थान कराने वाला स्टेशन मास्टर ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करने के उपरान्त ही गाड़ी भेजेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर कार्यरत गेटमैन को भी गैंगमैन/पेट्रोलमैन/प्रथम गाड़ी के ड्राइवर द्वारा टेलीफोन खराब होने के सूचना देगा।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी जो अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी है अतिशीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिये सूचना देगा।
- (viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

(घ) लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर की विफलता:-

- (i) जब लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर के खराब हो जाने के कारण गेट को बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर रेलपथ को बाधित न करता हो।
- (ii) गेटमैन को निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम जिस तरफ से ट्रेन की आने की सम्भावना हो, दिन में लाल बैनर फलैंग तथा रात में लाल बत्ती लगायेगा तदुपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
- (iii) गेटमैन समपार पर सड़क यातायात को रोकने के लिये समपार को सुरक्षा चेन तथा तालो द्वारा बन्द करेगा।
- (iv) सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन में हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आने वाली ट्रेन के ड्राइवर को दिखायेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन से इस समपार की ओर जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (vi) स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह ट्रेन भेजने के पूर्व ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर के शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(ड.)

‘गेट की चाभी’ का गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब ‘गेट की चाभी’ खोलने के लिये न निकाली जा सके :-

- (i) यदि गेट की चाभी विन्च, बूम लाकिंग लीवर से निकाली न जा सके तो कार्यरत गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
- (ii) इस परिस्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक गेट माना जायेगा तथा गाड़ियों का आगमन/प्रस्थान नान-इण्टरलाक गेट की कार्यप्रणाली के अनुसार किया जायेगा।
- (iii) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (iv) स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से ब्लाक खण्ड में ट्रेन भेजने के पूर्व गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को जो विन्च, बूम लाकिंग लीवर की मरम्मत करते हैं को शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (vi) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(च)

‘गेट चाभी’ का गेट के खुली दशा में विफल हो जाना :-

- (i) गेट के खुली दशा में यदि विन्च, बूम लाकिंग लीवर से गेट चाभी निकाली जा सके तो गेटमैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा सूचित करेगा।
- (ii) इस परिस्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक मानकर गाड़ियों के आगमन तथा प्रस्थान की प्रक्रिया नान-इण्टरलाक गेट की प्रक्रिया में निहित निर्देशों के अनुसार करेगा।
- (iii) गेटमैन गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध संरक्षा चेन एवं ताले से संरक्षित करेगा उसके बाद वह गाड़ी को हाथ संकेत पर पास करेगा।
- (iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये गाड़ियों को ब्लाक खण्ड में प्रवेश कराने के पूर्व **‘गेट खुली दशा में खराब है’** हेतु सतर्कता आदेश जारी करने के लिये सूचित करेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को जो विन्च, बूम लाकिंग लीवर की मरम्मत करते हैं, को शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (vii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(छ)

गेट सिगनल की विफलता :-

- (i) कार्यरत गेटमैन गेट सिगनल को निम्नलिखित परिस्थितियों में खराब मानेगा तथा गेट सिगनल को ‘आफ’ नहीं करेगा :-  
(अ) यदि गेट सिगनल बिना गेट को बन्द किये हुये ‘आफ’ किया जा सके

या

- (ब) यदि ‘चाभी’ को विन्च से गेट की खुली स्थिति में निकाला जा सके

या

- (स) यदि 'चाभी' को बूम लाकिंग लीवर से गेट की खुली दशा में निकाला जा सके।
- (ii) यदि गेट सिगनल/गेट डिस्टेन्ट सिगनल 'आफ' की स्थिति में खराब हो जाये तो गेटमैन को इसे 'आन' स्थिति में लाने का प्रयास किया जायेगा।
- (iii) कार्यरत गेटमैन गेट सिगनल के विफल हो जाने के बारे में अविलम्ब स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके सूचित करेगा।
- (iv) इसके पश्चात् गेट को नान-इण्टरलाक मानकर नान-इण्टरलाक गेटो के लिये निर्धारित पद्धति के अनुसार आगमन/प्रस्थान किया जायेगा।
- (v) कार्यरत गेटमैन दिन में हरी हाथ झण्डी एवं रात्रि में हरी बत्ती गेट को बन्द व लाक करने के बाद गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर प्रस्थान करने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (vii) स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को ब्लाक खण्ड में किसी गाड़ी को भेजने के पूर्व प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके सतर्कता आदेश जारी करने हेतु सूचित करेगा।
- (viii) कार्यरत स्टेशन मास्टर संकेत एवं दूरसंचार के कर्मचारियों को जो गेट सिगनल के अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी है, यथाशीघ्र ठीक करने के लिये सूचित करेगा।
- (ix) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार कर्मचारी विफल गेट सिगनलों को ठीक करने के बाद फिट मेमो दे दे।

**(ज) समपार फाटक पर अवरोध :-**

- (i) यदि कोई सड़क वाहन गेट को तोड़कर रेलपथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेलपथ को बाधित कर रहा है या अन्य कोई बाधा गेट पर है, तो गेटमैन तुरन्त गेट सिगनल को 'आन' स्थिति में कर देगा।
- (ii) समपार के दोनों छोरों के ट्रैक पर आवश्यकता हेतु लगाये गये पोस्ट पर दिन में लाल बैनर पलैंग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा।
- (iii) इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
- (iv) यदि दो या तीन प्रयासों के पश्चात् भी कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम गेट को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
- (v) गेटमैन पटाखा व दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती लेकर तेजी से पहले उस तरफ जायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है। तत्पश्चात् गेटमैन आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही के अनुसार गेट को संरक्षित करेगा।
- (vi) इसके पश्चात् गेटमैन गेट के दूसरी तरफ को भी संरक्षित करेगा।
- (vii) गेटमैन सड़क वाहन का विवरण, चालक का नाम, वाहन मालिक का नाम नोट कर कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर तब तक गाड़ी नहीं चलायेगा जबतक कि गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर लेता है कि सड़क वाहन, लिफ्टिंग बैरियर या अन्य कोई अवरोध रेलपथ को बाधित नहीं कर रहा है।
- (viii) स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से कोई भी गाड़ी ब्लाक खण्ड में तब तक न भेजे जबतक कि रेलपथ पर से सभी अवरोध हटा न दिये जाये।

- (ix) रेलपथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद इसकी सूचना गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा सूचित करेगा।
- (x) तब कार्यरत स्टेशन मास्टर यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो सभी ट्रेन के चालकों को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि गेट सिगनल को 'आन' स्थिति में गेटमैन द्वारा हरा संकेत देने पर सावधानीपूर्वक पास करें।
- (xi) गेटमैन समपार को संरक्षा चेनो तथा तालो द्वारा सड़क यातायात के लिये संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।
- (xii) स्टेशन मास्टर अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी कर्मचारी को लिफ्टिंग बैरियर को अविलम्ब ठीक कराने हेतु सूचित करेगा।
- (xiii) समपार फाटक पर सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय से प्रारम्भ की जायेगी जब लिफ्टिंग बैरियर को मरम्मत के उपरान्त संयोजन/फिट मेमो प्राप्त हो जाये।

**(झ) समपार फाटक के समीप रेलपथ पर अवरोध :-**

यदि किसी रेल का टूटना, रेलपथ पर पेड़ गिरने से अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई गाड़ी का अवपथन जो गेटमैन को दिखाई देता हो तो गेटमैन तथा स्टेशन मास्टर समपार फाटक पर अवरोध में वर्णित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करेंगे। यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता है तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द रखेगा जबतक कि रेलपथ से बाधा हटा नहीं दिया जाये।

**1.19 गेटमैन के कर्तव्य :-**

**(1) सावधानी :-**

गेटमैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।

**(2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति :-**

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेटमैन बतायी गयी निम्न स्थिति में खड़ा रहेगा।

- (i) गेटमैन सतर्कतापूर्वक गेटलाज के सामने आती हुई ट्रेन की तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
- (ii) दिन में गेटमैन दायें हाथ में लाल झण्डी तथा बाँयें हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।
- (iii) रात्रि समय में गेटमैन जलती हुई सफेद हाथ बत्ती लाइन की तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
- (iv) गेटमैन गले में धागे में बाँधकर सीटी लटकाये रहेगा।

**(3) गेटमैन की नियमित ड्यूटी :-**

- (i) गेटमैन रोड यूजर सिगनल को लगातार जलती हुयी स्थिति में रखना सुनिश्चित करेगा।
- (ii) गेटमैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर लें, तब तक गेटमैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेटमैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिये बन्द करके ताला लगायेगा।
- (iii) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेटमैन गुजरती हुई ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिये तत्पर रहेगा।
- (iv) गेटमैन गुजरती हुई सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे हाट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चेन, लटकता हुआ बैटरी बाक्स, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैटरी बाक्स में आग लगी हो तथा ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेण्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।

- (v) गेटमैन गार्ड द्वारा झाइवर को वाकी-टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिये तैयार रहेगा।
- (vi) समपार फाटक का बैरियर क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेटमैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बन्द करेगा।
- (vii) गेटमैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिये यथाशीघ्र समीप वाले स्टेशन मास्टर, गैंग मेट अथवा रेलपथ निरीक्षक को सूचित करेगा।
- (viii) गेट सिगनल लीवर चाभी खराब हो जाने की दशा में गेटमैन गेट सिगनल को 'आन' की दशा में रखेगा।
- (ix) समपार फाटक के गेट सिगनल खराब हो जाने की दशा में गेटमैन ट्रेन देखकर बैरियर को बन्द कर ताला लगा देगा और हाथ सिगनल देगा या ट्रेन को खराब सिगनल तक पायलट करेगा। ऐसी स्थिति में वह गाड़ी के चालक द्वारा खराबी की सूचना अगले स्टेशन पर भेजेगा।
- (x) जब गेटमैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं "बैज" धारण करेगा।
- (xi) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि ड्यूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण-पत्र उपलब्ध है।
- (xii) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।
- (xiii) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में हैं एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार हैं।
- (xiv) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चेक रेल गैप साफ है।
- (xv) गेटमैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से कूटकर ठीक रखेगा।
- (xvi) गेटमैन सड़क प्रयोगकर्ताओं के लिये गेट को बन्द रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिये बन्द हो।
- (xvii) विद्युतीय रेल प्रखण्ड पर गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि सड़क वाहन/पशु जो उस सड़क से गुजरते हैं, समपार के दोनों तरफ लगाये गये "हाइट लोडिंग गेज" के नीचे से गुजरे।
- (xviii) जहाँ तक सम्भव हो गेटमैन मनुष्यों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

**(4). ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य :-**

यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा :-

- (i) वह तत्काल ही झाइवर/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।
- (ii) साथ ही साथ झाइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिये लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेंकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।
- (iii) यदि झाइवर/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरान्त भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये तो तदनुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
- (iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेटमैन "रोक हैण्ड सिगनल" (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झण्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।
- (v) वह झाइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुये दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुये पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुये करेगा।
- (vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रुकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर को उचित कार्यवाही करने हेतु प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के साथ इसकी सूचना देगा।

(5) आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही :-

- (i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर निर्धारित पोस्ट पर दिन में लाल बैनर फलैंग तथा रात्रि में लालबत्ती लगायेगा तथा गेट सिगनल को 'आन' स्थिति में रखेगा।
- (ii) इसके उपरान्त यदि गेटमैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।
- (iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

(6) गेटमैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा :-(अ) दोहरी लाइन पर :-

- (i) यदि दोनो लाइनें अवरुद्ध हैं तो गेटमैन दिन में लाल बैनर फलैंग तथा रात्रि में लालबत्ती 5 मीटर की दूरी पर निर्धारित स्थान पर लगायेगा। गेटमैन पहले उस लाइन को संरक्षित करेगा, जिस पर पहले ट्रेन आने की सम्भावना हो।
- (ii) तदुपरान्त उसी तरह गेटमैन दूसरी लाइन पर दिन में लाल बैनर फलैंग तथा रात्रि में लाल बत्ती अवरोध के 5 मीटर दूर लगायेगा।
- (iii) गेटमैन तब पटाखा एवं दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती के साथ गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।
- (iv) गेटमैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती दिखाते हुये पहले लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात् वह समपार से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।
- (v) इसके बाद वह दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती दिखाते हुये उसी प्रकार जैसा ऊपर क्रमांक (iv) में वर्णित है दूसरी लाइन की तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।
- (vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात् गेटमैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सचेत करने का प्रयास करेगा।
- (vii) उन परिस्थितियों में जब गेटमैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।
- (viii) उसके उपरान्त गेटमैन आने वाली ट्रेन को दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाकर रोकेगा।

(ब) गेटमैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही :-

- (i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर या गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेटमैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।
- (ii) गेटमैन सड़क यातायात का विवरण लिखेगा जैसे - वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और स्टेशन मास्टर अथवा रेलपथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

- (iii) संरक्षा बढ़ाने हेतु इस गेट पर 60 सेकेण्ड का डेड एप्रोच लाकिंग का प्रावधान किया गया है। अतः गाड़ी पास होने के बाद या किसी आपात स्थिति में बन्द गेट को खोलने हेतु सिगनल स्वीच नार्मल करने के 60 सेकेण्ड के उपरान्त ही गेट को खोला जा सकेगा। इसके खराब होने पर कार्यरत गेटमैन, स्टे.मा. अथवा रेलपथ निरीक्षक को सूचित करेगा।

**(7) 25000 वोल्ट विद्युतीकृत रेलवे लाइन के समपार फाटक पर कार्य करते समय ली जाने वाली विशेष सावधानियाँ:-**

- (i) 25000 वोल्ट पर चार्ज ओ.एच.ई. की तारों से हमेशा 2 मीटर दूर रहें।
- (ii) ओ.एच.ई. की तारों की तरफ पानी की धार न छोड़ें।
- (iii) यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति ओ.एच.ई. धातु की छड़ ऊपर सीधी खड़ी करके या कंधे पर रख कर रेलवे ट्रैक या फाटक पार न करे।
- (iv) ओ.एच.ई. के तारों के समानान्तर 200 मीटर या इससे अधिक दूरी तक धातु की तारों को न खींचें अथवा दौड़ायें।
- (v) ओ.एच.ई. की तारों से चिपके किसी भी व्यक्ति को न छुयें जब तक कि तारों की सप्लाई बंद न कर दी जाए।
- (vi) वर्षा ऋतु में धातु की छड़ वाली छतरी ऊपर रखते हुए ट्रैक पार न करें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें।
- (vii) रेलवे फाटक के पास यदि कोई असाधारण घटना दिखाई पड़ती है तो:-
9. गेट को तुरन्त बंद करें।
10. स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें जैसे-
  - (क) ओ.एच.ई. की तारों से आग लगने पर।
  - (ख) तारों का टूटना एवं तारों से चिन्नारियों का निकलना।
  - (ग) इंजन के पेंटों में खराबी।
  - (घ) किसी व्यक्ति के तारों से चिपकने पर।
  - (ङ) तारों पर पेड़ का गिरना।
  - (च) टूटे या खुले बांड इत्यादि।
15. उपर्युक्त किसी भी घटना में से किसी भी हालत में टूटी तारों एवं बांड को न छुयें।
16. ओ.एच.ई. के तार टूटने की स्थिति में यातायात की दिशा में सावधानीपूर्वक जाते हुए, तारों से 2 मी. की उचित दूरी बनाते हुए, सुरक्षा के नियमानुसार बैनर-प्लैग एवं पटाखें लगायें।
17. दोहरी लाइन खण्ड में यदि दोनों लाइनों पर ओ.एच.ई. के तारों के साथ कोई घटना घटित होती है जैसे कि दोनों तारों पर अप एवं डाउन लाइन में पेड़ के गिर जाने पर तो दूसरे ट्रैक पर भी जाकर उपरोक्त के अनुसार ट्रैक को सुरक्षित करें।
- (viii) हाइट गेज के टूटने पर तुरन्त गेट को बंद कर दें एवं इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दें, साथ में आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाइन पर उपलब्ध रहें।
- (ix) विद्युत आघात लगे व्यक्ति को तुरन्त कृत्रिम श्वास दें एवं स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें।
- (x) मालगाड़ी, यात्री गाड़ी या इंजन के ऊपर न चढ़ें। यदि यात्री चढ़े हैं तो उसे तुरन्त उतारने की कोशिश करें अथवा स्टेशन मास्टर को सूचित करें।
- (xi) यदि किसी मालगाड़ी के दरवाजे अथवा टैंकर के ढक्कन खुले हों तो तुरन्त स्टेशन मास्टर को सूचित करें।
- (xii) किसी पशु को झटका लगने एवं मरने पर इसकी सूचना तुरन्त स्टेशन मास्टर को दें साथ में आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाइन पर उपलब्ध रहें।
- (xiii) मास्ट(खम्भों) के ऊपर न चढ़ें।
- (xiv) जिस मास्ट(खम्भों) से अर्थ पत्ती खुली हो उस मास्ट को न छुयें तथा उससे 2 मीटर दूर रहें।

## परिशिष्ट 'ए'

## भाग — 6

खलीलाबाद तथा चुरेब स्टेशनो के मध्य स्थित "बी-2" श्रेणी के इन्जी० समपार फाटक सं० 182 के संचालन हेतु अनुदेश

**टिप्पणी:-** इन अनुदेशों को पढ़ते समय इस समपार का आरेख सं० व.मं.सि.दू.इं/ल.जं/2023 (आर०डी०)/22 दि० 10.04.23 देखें।

## 1 विवरण:-

## 1.20 सामान्य :-

|    |                                          |                                          |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | समपार फाटक सं०                           | 182 "बी-2"                               |
| 2  | इंजीनियरिंग/यातायात फाटक                 | इन्जीनियरिंग                             |
| 3  | किसके अधीन स्टेशन अधी०/रेलपथ निरीक्षक    | सी०से०इन्जी०/पी०वे०/पश्चिम/गोरखपुर       |
| 4  | किलोमीटर पर स्थित                        | 542/3-4                                  |
| 5  | स्टेशन पर                                | खलीलाबाद                                 |
| 6  | स्टेशनों के मध्य                         | खलीलाबाद — चुरेब                         |
| 7  | बी०जी०/एम०जी०/एन०जी०                     | बी०जी०                                   |
| 8  | इकहरी लाइन/दोहरी/मिश्रित लाइन            | दोहरी लाइन                               |
| 9  | सामान्य स्थिति                           | सड़क यातायात के लिये खुला                |
| 10 | इण्टरलाकड/नान-इण्टरलाकड                  | इण्टरलाकड                                |
| 11 | इण्टरलाकिंग का प्रकार                    | गेट सिगनलो से इण्टरलाकड                  |
| 12 | गेट सिगनलों का प्रावधान का कि०मी०        |                                          |
|    | अप दिशा-                                 | 542/1-2                                  |
|    | डाउन दिशा-                               | 542/5-6                                  |
| 13 | संकेतन व्यवस्था                          | कलर लाइट सिगनल                           |
| 14 | संचार साधन टेलीफोन/घण्टी इत्यादि         | टेलीफोन                                  |
| 15 | समपार फाटक की चौड़ाई                     | 7.50 मीटर                                |
| 16 | सड़क का प्रकार(एन०एच०/एस०एच०/अन्य)       | अन्य                                     |
| 17 | सड़क का नाम                              | -                                        |
| 18 | पक्का/कच्चा                              | पक्का                                    |
| 19 | पहुँच मार्ग                              | उपलब्ध                                   |
| 20 | सड़क की चौड़ाई                           | 7.50 मीटर पक्की                          |
| 21 | सड़क की कासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिये) | 90°                                      |
|    | पूर्व/उत्तर की तरफ                       | कोई नहीं                                 |
|    | पश्चिम/दक्षिण की तरफ                     | कोई नहीं                                 |
| 22 | सड़क की ढाल यदि कोई हो                   | समतल                                     |
|    | पूर्व/उत्तर की तरफ                       | कोई नहीं                                 |
|    | पश्चिम/दक्षिण की तरफ                     | कोई नहीं                                 |
| 23 | सड़क की सीधआई (सीधा/गोलाई)               | -                                        |
|    | पूर्व/उत्तर की तरफ                       | गोलाई                                    |
|    | पश्चिम/दक्षिण की तरफ                     | गोलाई                                    |
| 24 | हाइट गेज का प्रावधान                     | है                                       |
| 25 | बैरियर का प्रकार                         | इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर |
| 26 | चेक रेलों की लम्बाई                      | 9.50 मीटर                                |

|    |                                                     |                  |
|----|-----------------------------------------------------|------------------|
| 27 | समपार के मध्य सड़क की सतह                           | पक्का            |
| 28 | रम्बल स्ट्रिप/गति अवरोध की लम्बाई                   | 20.00 मीटर       |
| 29 | रोड साइन                                            | उपलब्ध           |
| 30 | गति अवरोधक बोर्ड                                    | उपलब्ध           |
| 31 | टी0वी0यू0                                           | 26820 अगस्त 2021 |
| 32 | अगली गणना की तिथि                                   | अगस्त 2024       |
| 33 | पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान                | उपलब्ध           |
| 34 | गेटमैनों की संख्या                                  | दो               |
| 35 | निकटतम रेलवे चिकित्सा सहायता केन्द्र                | बस्ती            |
| 36 | निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो। | खलीलाबाद         |
| 37 | उपलब्ध उपकरणों की सूची हाँ / नहीं                   | उपलब्ध हैं       |

## 1.21 उपकरण :-

| क्रम सं0 | विवरण                                                            | मात्रा                            |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1        | ट्राई कलर टार्च/फ्लैशिंग टेल लैम्प                               | 03                                |
| 2        | हरी हाथ झण्डी                                                    | 01 (डण्डे में लगा हुआ)            |
| 3        | लाल हाथ झण्डी                                                    | 03 (डण्डे में लगा हुआ)            |
| 4        | बैनर फ्लैग लाल                                                   | 03                                |
| 5        | लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट                                  | 02                                |
| 6        | तालों के साथ अतिरिक्त चेन( जंजीर)                                | 02 अदद 'स्टाप चिन्ह' के साथ       |
| 7        | पटाखा सिगनल                                                      | 10                                |
| 8        | टामी बार                                                         | 01                                |
| 9        | मोर्टार पैन ( तसला )                                             | 01                                |
| 10       | फावड़ा/बेल्टा                                                    | 01                                |
| 11       | दुरमुट                                                           | 01 (पक्की सतह के लिए आवश्यक नहीं) |
| 12       | पिक एक्स                                                         | 01 (पक्की सतह के लिए आवश्यक नहीं) |
| 13       | टिन केस झण्डी के लिये                                            | 01                                |
| 14       | कैन मिटटी के तेल हेतु                                            | 01                                |
| 15       | बाल्टी/पानी पीने का बर्तन                                        | 01                                |
| 16       | टिन केस मस्टर शीट के लिये                                        | 01                                |
| 17       | चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते हैं ( दृष्टि वाला )        | 01                                |
| 18       | गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम | 01                                |
| 19       | टोकरी                                                            | 01                                |
| 20       | सीटी                                                             | 01                                |
| 21       | दीवार घड़ी                                                       | 01                                |
| 22       | छोटी चेन ताला चाभीयुक्त                                          | 02                                |

## 1.22 गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख :-

55. गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में।
56. गेटमैन नियम पुस्तिका हिन्दी भाषा में।
57. पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची।
58. ड्यूटी रोस्टर।
59. गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण-पत्र।
60. गेटमैन का बायोडाटा, नेत्र जाँच, प्रारम्भिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि।
61. दुर्घटना रजिस्टर।
62. समपार फाटक पर अन्तिम गणना का अभिलेख।
63. निरीक्षण एवं आश्वासन पुस्तिका।
64. जन परिवाद पुस्तिका।
65. संकेत एवं दूर संचार पंजिका

## 1.6. समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश :-

मंसिदूङ्ग  
पूर्वोत्तर रेलवे/लखनऊ

वमंपरिप्र/सा0  
पूर्वोत्तर रेलवे/लखनऊ

(क) संचालन पद्धति :-

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करने के लिये एक जोड़ा लिफ्टिंग बैरियर, की व्यवस्था है। समपार फाटक पर प्रवेश रोकने वाला बैरियर तथा निकासी रोकने वाला बैरियर { बैरियर सं० बी-1 एवं बी-2 } है।

पुश बटन या हैण्ड जनरेटर से **इलेक्ट्रिक** लिफ्टिंग बैरियरों को संचालित करने के लिये गेट लाज में एक आपरेटिंग पैनल की व्यवस्था है। पैनल पर गेट से सम्बन्धित बूम को बन्द करने के लिए क्लोज बटन एवं खोलने के लिए ओपन बटन का प्रावधान है। पैनल से सम्बन्धित दोनों बूम के बन्द एवं लाक सुनिश्चित करने के लिये आपरेटिंग पैनल पर दो { बैरियर सं० बी-1 तथा बी-2 } लाल रंग का **बूम लाक प्रूविंग इन्डीकेशन** है। **इलेक्ट्रिक** लिफ्टिंग बैरियरों को पुश बटन, हैण्ड जनरेटर या मैकेनिकल रूप से संचालित किया जा सकता है।

पुशबटन एवं हैण्ड जनरेटर से संचालन विफल होने की दशा में मैकेनिकल संचालन के समय बारी-बारी से प्रत्येक बैरियर को चलाने के लिये एक कैंक हैण्डिल की व्यवस्था है।

(ए) पुश बटन द्वारा समपार का संचालन:(क) समपार फाटक को बंद करना :

- (i) पैनल के आन/आफ स्विच को "आन" स्थिति में रखे।
- (ii) पैनल के बैरियर-1 एवं बैरियर-2 के स्विच को "आन" स्थिति में रखे।
- (iii) पैनल के आटो/मैनुअल स्विच को आटो स्थिति में रखें।
- (iv) आपरेटिंग पैनल द्वारा क्लोज बटन दबाकर दोनों बूम को { बैरियर सं० बी-1 एवं बी-2 } बन्द करें। क्लोज बटन दबाते ही एक हूटर बजने लगेगा और बूम आपरेट होगा। बूम के बन्द होने एवं स्वतः लाक होने के पश्चात, बूम लाक प्रूविंग का लाल इन्डीकेशन आपरेटिंग पैनल पर मिलने पर बटन छोड़े।
- (v) आपरेटिंग पैनल पर दोनों बूम लाक प्रूविंग का लाल इन्डीकेशन मिलने पर अप गेट सिगनल सं० '2' को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं० 2 को 'आर' पोजीशन में घुमाते हैं तथा डाउन गेट सिगनल सं० '1' को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं० 1 को 'आर' पोजीशन में घुमाते हैं।

**कमश: पृष्ठ 4 पर**

(ख) खोलने हेतु :

- (i) समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त कार्यरत गेटमैन गेट सिगनल को आन करने के लिये सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमायेगा। सम्बन्धित सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमाने के बाद गेट लाज पर लगे आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का **सफेद** इन्डीकेशन मिल जायेगा।
- (ii) आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का **सफेद** इन्डीकेशन प्राप्त होने के बाद दोनों बूम को खोलने के लिए आपरेटिंग पैनल पर उपलब्ध ओपन बटन को तब तक दबाए जब तक कि पैनल पर बूम का ओपन इन्डीकेशन न मिल जाए।

(बी) पुश बटन विफलता की स्थिति में हैण्ड जनरेटर से समपार का परिचालन:(क) बन्द करने हेतु :-

- (i) पैनल के आन/आफ स्विच को "आन" स्थिति में रखे।
- (ii) पैनल के आटो/मैनुअल को मैनुअल स्थिति में रखें।
- (iii) सर्व प्रथम आपरेटिंग पैनल पर लगे हैण्ड जनरेटर के कैंक को क्लाक वाइज दिशा में तब तक घुमायें जबतक

कि दोनों बूम [बी1 व बी2] आपरेट होकर बन्द एवं स्वतः लाक न हो जायें तथा आपरेटिंग पैनल पर दोनों बूम लाक प्रूविंग का लाल इण्डिकेशन आपरेटिंग पैनल पर न मिल जाये।

- (iv) आपरेटिंग पैनल पर दोनों बूम लाक प्रूविंग का लाल इण्डिकेशन मिलने पर अप गेट सिगनल सं० '2' को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं० '2' को 'आर' पोजीशन में घुमाते हैं तथा डाउन गेट सिगनल सं० '1' को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं० '1' को 'आर' पोजीशन में घुमाते हैं।

(ख) खोलने हेतु

समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त कार्यरत गेटमैन गेट सिगनल को आन करने के लिये सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमायेगा। सम्बन्धित सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमाने के बाद गेट लाज पर लगे आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का सफेद इण्डिकेशन मिल जायेगा।

- (i) पैनल के आन/आफ स्विच को "आन" स्थिति में रखे।  
 (ii) पैनल के आटो/मैनुअल स्विच को मैनुअल स्थिति में रखें।  
 (iii) सर्वप्रथम आपरेटिंग पैनल पर लगे हैण्ड जनरेटर के क्रैन्क को एण्टी क्लक वाइज दिशा में तब तक घुमायें जबतक कि बूम पूरा न खुल जायें। गेट पूरा खुल जाने पर आपरेटिंग पैनल पर गेट ओपेन इण्डिकेशन मिल जायेगा।

(सी) पुश बटन एवं हैण्ड जनरेटर की विफलता के समय :-

(क) समपार का बन्द करने हेतु परिचालन:

- (v) इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर की विफल होने की दशा में 'सी.एच.जी.' क्रैन्क हैण्डिल का प्रयोग किया जायेगा जो सामान्यतया 'केएलसीआर' में लाक रहता है। 'सीएचजी' नियंत्रण स्विच को रिलीज स्थिति में करने पर केएलसीआर पर रिलीज (लाल प्रकाश) जलने लगता है। तब कार्यरत गेटमैन लाल इंडिकेशन के पास लगे पुश बटन को दबाकर 'सीएचजी' क्रैन्क हैण्डिल को निकालेगा।
- (ii) गेटमैन लोकेशन के पास आयेगा और क्रैन्क हैण्डिल लगाने के लिए ढक्कन को खोलेगा जिससे क्रैन्क हैण्डिल लगाने के लिए "नाच" दिखाई पड़ेगी। जिससे क्रैन्क हैण्डिल को लगाकर क्लक वाइज दिशा में आवश्यकतानुसार चलायेगा। यही प्रक्रिया दोनों बैरियरों के लिए की जायेगी। बैरियर को क्रैन्क हैण्डिल से बन्द करने के पश्चात् बूम लाक कवर के साइड में बने लाक को पैनल चाभी द्वारा खोलेगा जिससे बूम लाक कवर के साइड में "नाच" दिखाई पड़ता है। "नाच" में बूम लाक क्रैन्क हैण्डिल लगाकर बैरियर को लाक करेगा। यही प्रक्रिया दोनों बैरियरों को बन्द करने के पश्चात् दोनों बूम लाक पर की जायेगी। संचालन पूर्ण हो जाने के बाद चाभी "सीएचजी." को वापस केएलसीआर में लगा देगा और सीएचजी स्विच को लाक स्थिति में कर देगा और सूचना कार्यरत स्टेशन मास्टर को देगा।
- (iii) दोनों बैरियरों के बन्द होने के पश्चात् अप गेट सिगनल सं० '2' को "आफ" करने हेतु सिगनल स्विच सं० '2' को 'आर' पोजीशन में घुमाते हैं तथा डाउन गेट सिगनल सं० '1' को "आफ" करने हेतु

सिगनल स्विच सं० '1' को 'आर' पोजीशन में घुमाते हैं।

(ख) समपार को खोलने हेतु परिचालन:

समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त कार्यरत गेटमैन गेट सिगनल को आन करने के लिये सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमायेगा। सम्बन्धित सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमाने के बाद गेट लाज पर लगे आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का सफेद इण्डिकेशन मिल जायेगा। सर्वप्रथम बूम लाक को रिलीज किया जायेगा तत्पश्चात क्रैन्क हैण्डिल द्वारा बैरियर को खोला जायेगा।

(डी) सीएचजी केएलसीआर नियंत्रण स्विच:

गेट पर सीएचजी क्रैन्क हैण्डिल के नियंत्रण के लिए एक स्विच गेटलाज पर लगाया गया है। इस स्विच की दो स्थितियां लाक एवं रिलीज है। सीएचजी नियंत्रण स्विच को रिलीज स्थिति में करने पर केएलसीआर पर रिलीज का (लाल प्रकाश) जलने लगता है। तब कार्यरत गेटमैन लाल इंडिकेशन के पास लगे पुश बटन को दबाकर 'सीएचजी' क्रैन्क हैण्डिल को निकालेगा।

(ई) स्लाइडिंग बूम बैरियर की संचालन पद्धति :-

(अ) समपार बन्द करने हेतु:-

10. जब समपार फाटक को इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर की विफलता या किसी अन्य कारण से इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर द्वारा न बन्द किया जा सके तब समपार को स्लाइडिंग बूम बैरियर को खींचकर बन्द किया जायेगा।
11. स्लाइडिंग बूम बैरियर द्वारा समपार को बन्द करने से पूर्व स्टेशन मास्टर/ गेटमैन के बीच अलग से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान किया जायेगा।
12. स्लाइडिंग बूम बैरियरों के लाकिंग पार्ट की तरफ क्रमशः चाभी बी1-बी2 वेल्ड है। 2वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में संगत चाभी बी1-बी2 को लगाकर घुमाने से स्लाइडिंग बूम बैरियर लाक हो जायेंगे तथा क्रमशः चाभी के1 एवं के2 रिलीज हो जायेगी। स्लाइडिंग बूमों को पूरी तरह से सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करने के उपरान्त 2वें लाकअप बाक्स से रिलीज चाभी के1 एवं के2 को गेटलाज में लगे 3वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगाकर घुमाने पर चाभी 'के' रिलीज होगी तथा कार्यरत गेटमैन इस चाभी को गेटलाज में लगे के0एल0सी0आर0 में लगाकर घुमायेगा, जिससे गेटमैन के आपरेटिंग पैनल पर स्लाइडिंग बूम बैरियर के बन्द होने के बाद लाक होने का इन्डिकेशन प्राप्त हो जायेगा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि स्लाइडिंग बूम बैरियर लाक हो गये है इसके पश्चात् अप गेट सिगनल सं० '2' को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं० '2' को 'आर' पोजीशन में घुमायेगा तथा डाउन गेट सिगनल सं० '1' को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं० '1' को 'आर' पोजीशन में घुमायेगा।

(ब) समपार खोलने हेतु :-

गाड़ी के पूरी गुजर जाने के बाद गेटमैन समपार फाटक को सड़क यातायात हेतु खोलने के लिये सिगनल स्विच को नार्मल करेगा इसके उपरान्त गेटमैन चाभी 'के' के.एल.सी.आर. से निकालकर 3वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगायेगा। चाभी 'के' 3वे लाक अप बाक्स में लगाने पर चाभी के1 एवं के2 मुक्त होगी। 3वे लाक अप बाक्स से रिलीज चाभी के1 एवं के2 को 2वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगाकर घुमाकर संगत बूमों की चाभी बी1 एवं बी2 को रिलीज

करेगा इसके उपरान्त गेटमैन इस चाभी की सहायता से स्लाइडिंग बूम बैरियर को खोलकर समापर को सड़क यातायात के लिये खोल देगा।

(ख) गेटमैन को सूचना :-

- (i) कार्यरत स्टेशन मास्टर डाउन गाड़ियों को लाइन क्लियर देने से पहले तथा अप गाड़ियों के लिये प्रस्थान प्राधिकार देने से पहले टेलीफोन द्वारा कार्यरत गेटमैन को समापर बन्द व लाक करने हेतु निम्न सूचनाएं देगा एवं स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्न प्रारूप में आवश्यकतानुसार रजिस्टर भरेंगे :-

सामान्य स्थिति में :-

| तिथि | गाड़ी संख्या व विवरण | समापर को बन्द करने हेतु सूचना देने का समय | गेट से गाड़ी पास होने का सम्भावित समय | कार्यरत गेटमैन द्वारा गेट बंद करके सिगनल आफ करने का समय | स्लाइडिंग बूम से कार्य करते समय प्रा.नं0 का आदान प्रदान | गेटमैन का प्रा.नं0 | स्टेमा का प्रा.नं. | समापर से गाड़ी के सम्पूर्ण पास होने का समय | स्टेशन मास्टर / गेटमैन का हस्ताक्षर | टिप्पणी |
|------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 1    | 2                    | 3                                         | 4                                     | 5                                                       | 6                                                       | 7                  | 8                  | 9                                          | 10                                  |         |

गेट विफल होने की स्थिति में :-

इण्टरलाक गेट विफल होने की स्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक गेट माना जायेगा तथा गाड़ियों के आगमन /प्रस्थान की कार्य प्रणाली नान-इण्टरलाक गेट की कार्यप्रणाली के अनुसार किया जायेगा। ऐसी स्थिति में स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्न प्रारूप में आवश्यकतानुसार रजिस्टर भरेंगे:-

| तिथि | गाड़ी का नम्बर एवं विवरण | गेट से पास होने का सम्भावित समय | सूचना मिलने / देने का समय | स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर | गेटमैन द्वारा सूचना प्राप्त होने की पुष्टि हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर | गेटमैन द्वारा गेट को बन्द व लाक कर दिया गया प्राइवेट नम्बर | स्टेशन मास्टर द्वारा समापर के बन्द व लाक होने की पुष्टि हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर | गाड़ी पास होने का समय | स्टेशन मास्टर/गेटमैन का हस्ताक्षर |
|------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1    | 2                        | 3                               | 4                         | 5                                            | 6                                                                       | 7                                                          | 8                                                                                    | 9                     | 10                                |

- (ii) गेटमैन का यह दायित्व है कि कार्यरत स्टेशन मास्टर से सूचना मिलने पर अत्यन्त सतर्क हो जायेगा और वह समय से समापर फाटक बन्द करें जिससे गाड़ियों का विलम्बन न हो तथा सड़क यातायात अधिक समय तक विलम्बित न हो।

(ग) टेलीफोन संचार की विफलता :-

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाये अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन की तरफ से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्न कार्यवाही करेगा :-

- समापर का टेलीफोन जो गाड़ी भेजने वाले स्टेशन से सम्बद्ध है, के खराब हो जाने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- स्टेशन मास्टर ड्राइवर को सूचित करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- यदि गेट सिगनल 'आन' स्थिति में है, तो ड्राइवर गेट सिगनल के पहले रोककर सामान्य नियम 3.73 के अनुसार कार्यवाही करेगा।
- गाड़ी के आगमन के मामले में कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि गेट का टेलीफोन खराब है।
- तब गाड़ी प्रस्थान कराने वाला स्टेशन मास्टर ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करने के उपरान्त ही गाड़ी भेजेगा।
- कार्यरत स्टेशन मास्टर कार्यरत गेटमैन को भी गैंगमैन/पेट्रोलमैन/प्रथम गाड़ी के ड्राइवर द्वारा टेलीफोन खराब होने के सूचना देगा।

- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी जो अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी है अतिशीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिये सूचना देगा।
- (viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

(घ) इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर की विफलता :-

- (i) जब इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर के खराब हो जाने के कारण गेट को बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर रेलपथ को बाधित न करता हो।
- (ii) गेटमैन को निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम जिस तरफ से ट्रेन की आने की सम्भावना हो, दिन में लाल बैनर फलैग तथा रात में लाल बत्ती लगायेगा तदुपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
- (iii) गेटमैन समपार पर सड़क यातायात को रोकने के लिये समपार को सुरक्षा चेन तथा तालो द्वारा बन्द करेगा।
- (iv) सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन में हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आने वाली ट्रेन के ड्राइवर को दिखायेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन से इस समपार की ओर जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (vi) स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह ट्रेन भेजने के पूर्व ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/ स्लाइडिंग बूम बैरियर के शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(ङ) ‘गेट की चाभी’ का गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब ‘गेट की चाभी’ खोलने के लिये न निकाली जा सके :-

- (i) यदि गेट की चाभी विन्च, बूम लाकिंग लीवर से निकाली न जा सके तो कार्यरत गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
- (ii) इस परिस्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक गेट माना जायेगा तथा गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान के कार्यप्रणाली नान-इण्टरलाक गेट की कार्यप्रणाली के अनुसार किया जायेगा।
- (iii) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (iv) स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से ब्लाक खण्ड में ट्रेन भेजने के पूर्व गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को जो विन्च, बूम लाकिंग लीवर की मरम्मत करते हैं को शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।

- (vi) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(च) ‘गेट चाभी’ का गेट के खुली दशा में विफल हो जाना :-

- (i) गेट के खुली दशा में यदि विन्च, बूम लाकिंग लीवर से गेट चाभी निकाली जा सके तो गेटमैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा सूचित करेगा।
- (ii) इस परिस्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक मानकर गाड़ियों के आगमन तथा प्रस्थान की प्रक्रिया नान-इण्टरलाक गेट की प्रक्रिया में निहित निर्देशों के अनुसार करेगा।
- (iii) गेटमैन गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध संरक्षा चेन एवं ताले से संरक्षित करेगा उसके बाद वह गाड़ी को हाथ संकेत पर पास करेगा।
- (iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये गाड़ियों को ब्लाक खण्ड में प्रवेश कराने के पूर्व **‘गेट खुली दशा में खराब है’** के लिये सतर्कता आदेश जारी करने के लिये सूचित करेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को जो विन्च, बूम लाकिंग लीवर की मरम्मत करते हैं, को शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (vii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(छ) गेट सिगनल की विफलता :-

- (i) कार्यरत गेटमैन गेट सिगनल को निम्नलिखित परिस्थितियों में खराब मानेगा तथा गेट सिगनल को ‘आफ’ नहीं करेगा :-
  - (अ) यदि गेट सिगनल बिना गेट को बन्द किये हुये ‘आफ’ किया जा सके
  - या
  - (ब) यदि ‘चाभी’ को विन्च से गेट की खुली स्थिति में निकाला जा सके
  - या
  - (स) यदि ‘चाभी’ को बूम लाकिंग लीवर से गेट की खुली दशा में निकाला जा सके।
- (ii) यदि गेट सिगनल/गेट डिस्टेन्ट सिगनल ‘आफ’ की स्थिति में खराब हो जाये तो गेटमैन को इसे ‘आन’ स्थिति में लाने का प्रयास किया जायेगा।
- (iii) कार्यरत गेटमैन गेट सिगनल के विफल हो जाने के बारे में अविलम्ब कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके सूचित करेगा।
- (iv) इसके पश्चात् गेट को नान-इण्टरलाक मानकर नान-इण्टरलाक गेटों के लिये निर्धारित पद्धति के अनुसार आगमन/प्रस्थान किया जायेगा।
- (v) कार्यरत गेटमैन दिन में हरी हाथ झण्डी एवं रात्रि में हरी बत्ती गेट को बन्द व लाक करने के बाद गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर प्रस्थान करने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को ब्लाक खण्ड में किसी गाड़ी को भेजने के पूर्व प्राइवेट

नम्बर का आदान-प्रदान करके सतर्कता आदेश जारी करने हेतु सूचित करेगा।

- (viii) कार्यरत स्टेशन मास्टर संकेत एवं दूरसंचार के कर्मचारियों को जो गेट सिगनल के अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी है, यथाशीघ्र ठीक करने के लिये सूचित करेगा।
- (ix) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार कर्मचारी विफल गेट सिगनलों को ठीक करने के बाद फिट मेमो दे दे।

**(ज) समपार फाटक पर अवरोध :-**

- (i) यदि कोई सड़क वाहन गेट को तोड़कर रेलपथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेलपथ को बाधित कर रहा है या अन्य कोई बाधा गेट पर है, तो गेटमैन तुरन्त गेट सिगनल को 'आन' स्थिति में कर देगा।
- (ii) समपार के दोनों छोरों के ट्रैक पर आवश्यकता हेतु लगाये गये पोस्ट पर दिन में लाल बैनर पलैंग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा।
- (iii) इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
- (iv) यदि दो या तीन प्रयासों के पश्चात् भी कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम गेट को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
- (v) गेटमैन पटाखा व दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती लेकर तेजी से पहले उस तरफ जायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है। तत्पश्चात् गेटमैन आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही के अनुसार गेट को संरक्षित करेगा।
- (vi) इसके पश्चात् गेटमैन गेट के दूसरी तरफ को भी संरक्षित करेगा।
- (vii) गेटमैन सड़क वाहन का विवरण, चालक का नाम, वाहन मालिक का नाम नोट कर कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर तब तक गाड़ी नहीं चलायेगा जबतक कि गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर लेता है कि सड़क वाहन, लिफ्टिंग बैरियर या अन्य कोई अवरोध रेलपथ को बाधित नहीं कर रहा है।
- (viii) स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से कोई भी गाड़ी ब्लाक खण्ड में तब तक न भेजे जबतक कि रेलपथ पर से सभी अवरोध हटा न दिये जायें।
- (ix) रेलपथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद इसकी सूचना गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा सूचित करेगा।
- (x) तब कार्यरत स्टेशन मास्टर यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो सभी ट्रेन के चालकों को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि गेट सिगनल को 'आन' स्थिति में गेटमैन द्वारा हरा संकेत देने पर सावधानीपूर्वक पास करें।
- (xi) गेटमैन समपार को संरक्षा चेनो तथा तालो द्वारा सड़क यातायात के लिये संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।
- (xii) स्टेशन मास्टर अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी कर्मचारी को लिफ्टिंग बैरियर को अविलम्ब ठीक कराने हेतु सूचित करेगा।
- (xiii) समपार फाटक पर सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय से प्रारम्भ की जायेगी जब लिफ्टिंग बैरियर को मरम्मत के उपरान्त संयोजन/फिट मेमो प्राप्त हो जाये।

**(झ) समपार फाटक के समीप रेलपथ पर अवरोध :-**

यदि किसी रेल का टूटना, रेलपथ पर पेड़ गिरने से अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई गाड़ी का अवपथन जो गेटमैन को दिखाई देता हो तो गेटमैन तथा स्टेशन मास्टर समपार फाटक पर अवरोध में वर्णित निर्देशों के अनुसार

कार्यवाही करेंगे। यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता है तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द रखेगा जबतक कि रेलपथ से बाधा हटा नहीं दिया जाये।

### 1.23 गेटमैन के कर्तव्य :-

#### (1) सावधानी :-

गेटमैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।

#### (2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति :-

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेटमैन बतायी गयी निम्न स्थिति में खड़ा रहेगा।

- (i) गेटमैन सतर्कतापूर्वक गेटलाज के सामने आती हुई ट्रेन के तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
- (ii) दिन में गेटमैन दौंये हाथ में लाल झण्डी तथा बाँये हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।
- (iii) रात्रि समय में गेटमैन जलती हुई सफेद हाथ बत्ती लाइन की तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
- (iv) गेटमैन गले में धागे में बाँधकर सीटी लटकाये रहेगा।

#### (3) गेटमैन की नियमित ड्यूटी :-

- (i) गेटमैन रोड यूजर सिगनल को लगातार जलती हुयी स्थिति में रखना सुनिश्चित करेगा।
- (ii) गेटमैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर लें, तब तक गेटमैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेटमैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिये बन्द करके ताला लगायेगा।
- (iii) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेटमैन गुजरती हुई ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिये तत्पर रहेगा।
- (iv) गेटमैन गुजरती हुई सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे हाट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चेन, लटकता हुआ बैटरी बाक्स, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैटरी बाक्स में आग लगी हो तथा ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेण्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।
- (v) गेटमैन गार्ड द्वारा ड्राइवर को वाकी-टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिये तैयार रहेगा।
- (vi) समपार फाटक का बैरियर क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेटमैन अतिरिक्त चेन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बन्द करेगा।
- (vii) गेटमैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिये यथाशीघ्र समीप वाले स्टेशन मास्टर, गैंग मेट अथवा रेलपथ निरीक्षक को सूचित करेगा।
- (viii) गेट सिगनल लीवर चाभी खराब हो जाने की दशा में गेटमैन गेट सिगनल को 'आन' की दशा में रखेगा।
- (ix) समपार फाटक के गेट सिगनल खराब हो जाने की दशा में गेटमैन ट्रेन देखकर बैरियर को बन्द कर ताला लगा देगा और हाथ सिगनल देगा या ट्रेन को खराब सिगनल तक पायलट करेगा। ऐसी स्थिति में वह गाड़ी के चालक द्वारा खराबी की सूचना अगले स्टेशन पर भेजेगा।
- (x) जब गेटमैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं 'बैज' धारण करेगा।

- (xi) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि ड्यूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण—पत्र उपलब्ध है।
- (xii) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।
- (xiii) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में हैं एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार हैं।
- (xiv) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चेक रेल गैप साफ है।
- (xv) गेटमैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से कूटकर ठीक रखेगा।
- (xvi) गेटमैन सड़क प्रयोगकर्ताओं के लिये गेट को बन्द रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिये बन्द हो।
- (xvii) विद्युतीय रेल प्रखण्ड पर गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि सड़क वाहन/पशु जो उस सड़क से गुजरते हैं, समपार के दोनों तरफ लगाये गये “हाइट लोडिंग गेज” के नीचे से गुजरे।
- (xviii) जहाँ तक सम्भव हो गेटमैन मनुष्यों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

**(4). ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य :-**

यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न

कार्य करेगा :-

- (i) वह तत्काल ही ड्राइवर/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।
- (ii) साथ ही साथ ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिये लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेंकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।
- (iii) यदि ड्राइवर/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरान्त भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये तो तदनुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
- (iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेटमैन “रोक हैण्ड सिगनल” (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झण्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।
- (v) वह ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुये दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुये पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुये करेगा।
- (vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रुकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर को उचित कार्यवाही करने हेतु प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के साथ इसकी सूचना देगा।

**(5) आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही :-**

- (i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर निर्धारित पोस्ट पर दिन में लाल बैनर फलैंग तथा रात्रि में लालबत्ती लगायेगा तथा गेट सिगनल को ‘आन’ स्थिति में रखेगा।
- (ii) इसके उपरान्त यदि गेटमैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।
- (iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

**(6) गेटमैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा :-**

**(अ) दोहरी लाइन पर :-**

- (i) यदि दोनों लाइनें अवरुद्ध हैं तो गेटमैन दिन में लाल बैनर फलैंग तथा रात्रि में लालबत्ती 5 मीटर की दूरी पर निर्धारित

स्थान पर लगायेगा। गेटमैन पहले उस लाइन को संरक्षित करेगा, जिस पर पहले ट्रेन आने की सम्भावना हो।

- (ii) तदुपरान्त उसी तरह गेटमैन दूसरी लाइन पर दिन में लाल बैनर पलैंग तथा रात्रि में लाल बत्ती अवरोध के 5 मीटर दूर लगायेगा।
- (iii) गेटमैन तब पटाखा एवं दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती के साथ गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।
- (iv) गेटमैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती दिखाते हुये पहले लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात् वह समपार से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।
- (v) इसके बाद वह दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती दिखाते हुये उसी प्रकार जैसा ऊपर क्रमांक (iv) में वर्णित है दूसरी लाइन की तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।
- (vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात् गेटमैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सचेत करने का प्रयास करेगा।
- (vii) उन परिस्थितियों में जब गेटमैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।
- (viii) उसके उपरान्त गेटमैन आने वाली ट्रेन को दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाकर रोकेगा।

**(ब) गेटमैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही :-**

- (i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर या गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेटमैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।
- (ii) गेटमैन सड़क यातायात का विवरण लिखेगा जैसे - वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और स्टेशन मास्टर अथवा रेलपथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।
- (iii) संरक्षा बढ़ाने हेतु इस गेट पर 90 सेकेण्ड का डेड एप्रोच लाकिंग का प्रावधान किया गया है। अतः गाड़ी पास होने के बाद या किसी आपात स्थिति में बन्द गेट को खोलने हेतु सिगनल स्वीच नार्मल करने के 90 सेकेण्ड के उपरान्त ही गेट को खोला जा सकेगा। इसके खराब होने पर कार्यरत गेटमैन, स्टे.मा. अथवा रेलपथ निरीक्षक को सूचित करेगा।

**क्रमशः पृष्ठ 13 पर**

**(7) 25000 वोल्ट विद्युतीकृत रेलवे लाइन के समपार फाटक पर कार्य करते समय ली जाने वाली विशेष सावधानियाँ:-**

- (i) 25000 वोल्ट पर चार्ज ओ.एच.ई. की तारों से हमेशा 2 मीटर दूर रहें।
- (ii) ओ.एच.ई. की तारों की तरफ पानी की धार न छोड़ें।
- (iii) यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति ओ.एच.ई. धातु की छड़ ऊपर सीधी खड़ी करके या कंधे पर रख कर रेलवे ट्रैक या फाटक पार न करे।
- (iv) ओ.एच.ई. के तारों के समानान्तर 200 मीटर या इससे अधिक दूरी तक धातु की तारों को न खींचें अथवा दौड़ायें।
- (v) ओ.एच.ई. की तारों से चिपके किसी भी व्यक्ति को न छुयें जब तक कि तारों की सप्लाई बंद न कर दी जाए।

- (vi) वर्षा ऋतु में धातु की छड़ वाली छतरी ऊपर रखते हुए ट्रैक पार न करें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें।
- (vii) रेलवे फाटक के पास यदि कोई असाधारण घटना दिखाई पड़ती है तो:-
11. गेट को तुरन्त बंद करें।
12. स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें जैसे—
- (क) ओ.एच.ई. की तारों से आग लगने पर।
- (ख) तारों का टूटना एवं तारों से चिन्गारियों का निकलना।
- (ग) इंजन के पेटो में खराबी।
- (घ) किसी व्यक्ति के तारों से चिपकने पर।
- (ङ) तारों पर पेड़ का गिरना।
- (च) टूटे या खुले बांड इत्यादि।
18. उपर्युक्त किसी भी घटना में से किसी भी हालत में टूटी तारों एवं बांड को न छुयें।
19. ओ.एच.ई. के तार टूटने की स्थिति में यातायात की दिशा में सावधानीपूर्वक जाते हुए, तारों से 2 मी. की उचित दूरी बनाते हुए, सुरक्षा के नियमानुसार बैनर-पलैंग एवं पटाखें लगायें।
20. दोहरी लाइन खण्ड में यदि दोनों लाइनों पर ओ.एच.ई. के तारों के साथ कोई घटना घटित होती है जैसे कि दोनों तारों पर अप एवं डाउन लाइन में पेड़ के गिर जाने पर तो दूसरे ट्रैक पर भी जाकर उपरोक्त के अनुसार ट्रैक को सुरक्षित करें।
- (viii) हाइट गेज के टूटने पर तुरन्त गेट को बंद कर दें एवं इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दें, साथ में आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाइन पर उपलब्ध रहें।
- (ix) विद्युत आघात लगे व्यक्ति को तुरन्त कृत्रिम श्वास दें एवं स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें।
- (x) मालगाड़ी, यात्री गाड़ी या इंजन के ऊपर न चढ़ें। यदि यात्री चढ़े हैं तो उसे तुरन्त उतारने की कोशिश करें अथवा स्टेशन मास्टर को सूचित करें।
- (xi) यदि किसी मालगाड़ी के दरवाजे अथवा टैंकर के ढक्कन खुले हों तो तुरन्त स्टेशन मास्टर को सूचित करें।
- (xii) किसी पशु को झटका लगने एवं मरने पर इसकी सूचना तुरन्त स्टेशन मास्टर को दें साथ में आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाइन पर उपलब्ध रहें।
- (xiii) मास्ट(खम्भों) के ऊपर न चढ़ें।
- (xiv) जिस मास्ट(खम्भों) से अर्थ पत्ती खुली हो उस मास्ट को न छुयें तथा उससे 2 मीटर दूर रहें।

.....

## परिशिष्ट – सी

### टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच) :

.....कुछ नहीं .....

## परिशिष्ट “डी”

साधारण और सहायक नियमों और प्रशासन द्वारा समय-समय पर अनुदेशों में वर्णित कर्तव्यों के अतिरिक्त नित्यप्रति के परिचालन कार्यों से सम्बन्ध में स्टेशन कर्मचारियों का निम्नलिखित कर्तव्य शामिल होंगे :-

### 1. स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर :

स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी है। संचालन एवं कुशलता के उच्च मानक की उपलब्धि एवं निर्वाह करने के लिए सुरक्षित संचालन के लिए सामान्यतया उत्तरदायी है। अतः उनका कर्तव्य है कि व सभी श्रेणियों के कर्मचारी को अपनी उपस्थिति का एहसास कराये। उसके कर्तव्यों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल है :

- 1.1 स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण।
- 1.2 यह सुनिश्चित करने के लिए आवधिक जांच करना कि सभी श्रेणी के कर्मचारी अपनी पाली रोस्टर के अनुरूप कार्य कर रहे हैं तथा उनके द्वारा सही व सुरक्षित कार्य पद्धति अपनायी जा रही है।
- 1.3 यह सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को आवधिक परीक्षा एवं जांच कराना कि इन से सम्बन्धित कर्मचारियों के सम्बन्ध में सभी नियमों से वे पूर्णतः अवगत है।
- 1.4 दुर्घटना निवारण एवं संचालन को सही एवं संरक्षित विधि के प्रयोग सम्बन्धी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना।
- 1.5 यार्ड एवं यार्ड के साधनों का आवधिक निरीक्षण।
- 1.6 आश्वासन पुस्तिका, दुर्घटना पुस्तिका एवं स्टेशन संचालन नियमावली का रख-रखाव करना।
- 1.7 रात्रि में स्टेशन कार्यालय और गाड़ी संचालन के प्रयोजनार्थ निर्धारित नियम पुस्तिका, दैनिक गाड़ी सिगनल पुस्तिका, सतर्कता आदेश पुस्तिका टी/409 एवं टी/369(1)या(3बी) इत्यादि का आवधिक निरीक्षण करना।
- 1.8 सभी अनियमितताओं एवं नियम भंग के मामले का पता लगाना और रिपोर्ट करना।
- 1.9 सामान्य संचालन में सुधार लाने अथवा संरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए यार्ड में किसी आवश्यक संशोधन सम्बन्धित सुझाव सहित युक्ति भी सुझाना।
- 1.10 स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर निम्नलिखित पैरा (2) में स्टेशन मास्टर के लिए वर्णित कर्तव्यों के मदों के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

### 2. स्टेशन मास्टर :

स्टेशन मास्टर जब कार्यरत हो तो वह स्टेशन का पूरा इन्चार्ज होगा तथा कार्य प्रणाली के अनुसार गाड़ियों के रिसेप्शन और डिस्पैच मूवमेन्ट के लिए उत्तरदायी होगा। गाड़ी संचालन से सम्बन्धित सभी कर्मचारियों को उनके आदेशों एवं अनुदेशों के अनुरूप कार्य करना चाहिये। उनके कर्तव्यों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

- 2.1 कार्यमुक्त हो रहे स्टेशन मास्टर से सामान्य एवं असामान्य गाड़ी संचालन के लिए अपेक्षित यार्ड, कांटों, सिगनलों, क्रेक हैण्डिल निजी संख्या पुस्तकों की स्थिति से आश्वस्त होना एवं यह सुनिश्चित करना कि अपूर्ण या खराब मदों का स्टेशन डायरी में विशेष उल्लेख किया गया है।

- 2.2 आगमन की अनुमति देना और प्राप्त करना एवं अन्तिम रोक सिगनल को "आफ" कर प्रस्थान प्राधिकार देना।
- 2.3 ब्लाक यंत्रों का संचालन एवं नियंत्रक कन्ट्रोल टेलीफोन पर स्वयं उपस्थित होकर बातचीत करना।
- 2.4 साधारण एवं सहायक नियमों के अनुरूप सभी गाड़ियों का आगमन एवं प्रस्थान करना।
- 2.5 सिगनलों को 'आफ' स्थिति में करने से पहले लाइन का साफ होना सुनिश्चित करना।
- 2.6 शंटिंग कार्यवाही का सामान्य पर्यवेक्षण।
- 2.7 जाने वाली गाड़ियों के लिए चालकों का यथापेक्षित सतर्कता आदेश (टी-409) एवं खराब सिगनलों को पार करने हेतु (टी-369) (1) या 3-बी जारी करना।
- 2.8 'शिफ्ट वाइज' कर्तव्य के दौरान स्टेशन डायरी का अनुरक्षण।
- 2.9 निजी संख्या पुस्तिका ब्लाक यंत्रों की कुजियों, स्टेशन पैनल एवं कैंक हैण्डिल एसेम्बली के ताले की कुन्जियो को निजी अभिरक्षा में रखना।
- 2.10 अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण।
- 2.11 स्टेशन मास्टर के कार्य पर नहीं रहने 'आफ आवर्स' के दौरान स्टेशन का सामान्य पर्यवेक्षण।
- 2.12 किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा आवंटित अन्य कर्तव्यों का पालन करना।
- 2.13 गाड़ियों के पूर्ण आगमन को सुनिश्चित करना।
- 2.14 मोटर चालित कांटों को संचालित करना।
- 2.15 ट्रॉफिक/पावर ब्लॉक के दौरान पैनल पर नार्मल बटन कॉलर/पावर बटन कॉलर का प्रयोग करेगा।

**टिप्पणी :** उपर्युक्त कर्तव्यों के अतिरिक्त स्टेशन मास्टर प्रशासन द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे।

### 3. कांटावाला :

कांटावाला स्टेशन पर गाड़ियों के रिसेप्शन एवं डिस्पैच तथा शंटिंग के लिए कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों के पालन करने का उत्तरदायी है। उसे स्टेशन की सुरक्षा एवं त्वरित कार्य के लिए कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशों का पालन करना है। इसके साथ-साथ उसकी ड्यूटी में नीचे लिखे कार्य भी शामिल हैं :-

- 3.1 पैनल से जो कांटे संचालित नहीं होते उनकी तथा आवश्यकता पड़ने पर पैनल संचालित कांटों की सेटिंग तथा लाकिंग तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर के निर्देशानुसार गार्ड की देख-रेख में स्टेशन पर गाड़ियों की शंटिंग करना।
- 3.2 आवश्यकतानुसार गाड़ियों का पायलट करना और टी-369 (1) या 3-बी को हस्तांतरित करना।
- 3.3 जैसे और जब कार्यरत स्टेशन मास्टर आदेश दे कुहासा सिगनल को लगाना।
- 3.4 स्टेशन पर वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए वुडेन स्प्रेग लगाना एवं सेपटी चेन बांधकर ताला लगाना।
- 3.5 अगर कोई सतर्कता आदेश हो तो सभी अप एवं डाउन गाड़ियों को सतर्कता आदेश देना।
- 3.6 पैसेन्जर गाड़ियों के लाइन क्लियर एवं पैसेन्जर गाड़ियों को जाने हेतु स्टेशन की घंटी बजाना।
- 3.7 आवश्यकता पड़ने पर रुकने वाली गाड़ियों के गार्ड से पूर्ण आगमन रिपोर्ट लेना।
- 3.8 आवश्यकता पड़ने पर पार्सलों को लादना तथा उतारना।
- 3.9 कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों का शीघ्रता एवं ईमानदारी से पालन करना।

4. फाटकवाला :

फाटकवाला उसके चार्ज में दिये गये समपार फाटक के लिए उत्तरदायी है। प्रशासन द्वारा दिये गये उपकरणों को सुरक्षित रखना, उनके उचित प्रयोग और अनुरक्षण का उत्तरदायित्व उसी का है। उसे सड़क यातायात और रेलवे के लिए सदैव सतर्क रहना है और फाटक को निर्धारित तरीके से परिचालित करके रेल यातायात एवं सड़क यातायात दोनों को सुरक्षित करना है। उसे शंटिंग मूवमेंट और गाड़ी गुजरने पर फाटक को समय से बंद करना तथा संचलन पूरा होने पर समय से फाटक खोलना है ताकि सड़क यातायात डिस्टेंशन की घटना न घटे। इसके अतिरिक्त उसके निम्नलिखित कर्तव्य हैं :-

- 4.1 गाड़ी को गुजरने के लिए समपार फाटक को बंद करके ताला लगाना तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर को समपार फाटक बंद इण्डिकेशन परिशिष्ट 'ए' के अनुसार देना।
- 4.2 दिन में गेट लाज की तरफ सतर्कता के साथ दाहिने हाथ में लाल व बायें हाथ में हरी झण्डी लेकर तथा रात में हाथ बत्ती को ट्रैक की तरफ सफेद रोशनी करके खड़े होना चाहिये जिससे कि आपात स्थिति में वह आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र हाथ बत्ती दिखा सके।
- 4.3 खतरे की आशंका में उसे सतर्क और तुरन्त कार्यवाही हेतु तैयार रखना चाहिये।
- 4.4 उसे देखना चाहिये कि समपार फाटक छोड़ना पड़ जाये तो सड़क यातायात को रोकने हेतु फाटक को बंद कर ताला लगा देना आवश्यक है।
- 4.5 फाटक की बत्तियां निरंतर प्रज्ज्वलित रहनी चाहिये, इसे सुनिश्चित कर लें।
- 4.6 यदि आपात स्थिति में उसे फाटक छोड़ना पड़ जाये तो सड़क यातायात को रोकने हेतु फाटक को बंद कर ताला लगा देना आवश्यक है।
- 4.7 इसे सुनिश्चित करना चाहिये कि पहियों के फ्लेन्ज के पैनल हमेशा साफ हों।
- 4.8 फाटक या उससे सम्बन्धित यंत्रों में यदि कोई खराबी दिखायी देती है तो शीघ्र से शीघ्र कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित कर देना चाहिये।
- 4.9 यदि वह देखता है कि गाड़ी पार्ट हो गयी हो तो शोर मचाकर या हाव-भाव से ड्राइवर एवं गार्ड का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिये।

**(उसे खतरे का सिगनल कतई नहीं दिखाना चाहिये)**

- 4.10 उसे अपने कार्यभार के घंटों में फाटक पर प्रत्येक दशा में उपस्थित रहना चाहिये। उसे समपार फाटक को तब तक नहीं छोड़ना चाहिये जब तक कि वह कार्यमुक्त न हो गया हो।
- 4.11 कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये सभी वैध निर्देशों का पालन करना चाहिये।

क. गाड़ियों के आगमन एवं प्रस्थान के लिए फाटक को बंद करने के बाद कार्यरत स्टेशन मास्टर को फाटक बंद इंडिकेशन देगा।

ख. फाटक होकर गाड़ियों के संरक्षित रूप से पास करने का ध्यान रखना और गाड़ियों के चालन (रन) के दौरान पायी गयी किसी खराबी के सम्बन्ध में चिल्लाकर अथवा अंग संचालन द्वारा चालक एवं गार्ड का ध्यान आकृष्ट करेगा।

ग. अपने कर्तव्य काल में चेक रेल को साफ रखना।

.....

## परिशिष्ट – “ई”

स्टेशन पर उपलब्ध आवश्यक उपकरणों की सूची

| क्रम<br>सं० | उपकरण                                        | संख्या |
|-------------|----------------------------------------------|--------|
| 1           | बटन कालर्स                                   | 6      |
| 2           | पावर ब्लॉक बटन कालर्स                        | 6      |
| 3           | फायर बाल्टिया                                | 6      |
| 4           | अग्निशामक यंत्र                              | 2      |
| 5           | हैण्ड सिगनल लैम्प (ट्राई कलर बैट्री आपरेटेड) | 3      |
| 6           | फाग सिगनल                                    | 50     |
| 7           | प्राथमिक चिकित्सा बाक्स                      | 1      |
| 8           | सेपटी चेन                                    | 6      |
| 9           | क्लैम्प                                      | 12     |
| 10          | पैड लाक चाभी सहित                            | 20     |
| 11          | वूडेन स्प्रेग                                | 12     |
| 12          | वी.एच.एफ. सेट                                | 1      |
| 13          | हैण्ड सिगनल फ्लैग                            |        |
|             | लाल                                          | 4      |
|             | हरा                                          | 4      |
| 14          | स्ट्रेचर                                     | 2      |
| 15          | व्हील चेयर                                   | 1      |

